लोक सभा

मंगलवार,
२१ सितम्बर, १९५४

वाद विवाद

(भाग १—प्रश्नोतर)

खंड ४, १९५४

(२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सप्तम सत्र, १९५४

(खंड ४, में अंक १ से अंक २५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

• विषय-सूची

(खंड ४—अंक १ से २५—२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)

अंक १—सोमवार, २३ अगस्त, १९५४ ... स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७, १०, २४, ३१, ९, १२ से १७, १९, २१ से २३, २५ से २७, २९, ३२, ३३, ३५ . . १—४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६, ८, ११, १८, २०, २८, ३०, ३४ ४०–४५

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७ से १७ . . . ४५–५६

अंक २—मंगलवार, २४ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ३९, ४१ से ४३, ४५ से ५४, ५६ से ६०, ६२, ६३, ६५ से ७६, ७८ से ८१ और ८३ . . ५७–१०७

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १ से ३ . . . . . १०७–११५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४०, ४४, ५५, ६१, ६४, ७७, ८२ और ८४ ११५–११९

अतारांकित प्रश्न संख्या १८ से ३८, ४० से ४३ . . ११९–१३८

अंक ३—बुधवार, २५ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५ से ९०, १२७, ९१ से ९३, ९५ से १०३, १०५ से ११२, १२४, ११३ और ११४ १३९–१८२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ १८३–१८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४, ११५ से १२३, १२५, १२६, १२८ से १४० १८५-१९९

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४ से ४८, ५० से ५९, ६१ और ६२ १९९-२१०

अंक ४— बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १४५, १४७ से १६१, १६३, १६५ से १७८ २११-२५६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ २५६-२५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६, १६२, १६४, १७९ से १८५ २५९-२६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३ से ७४ २६६-२७४

अंक ५— शुक्रवार, २७ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८६, २२७, १८७ से २०१, २०३, २०५, २१७, २०६, २०७, २०९ से २१६, २१८, २१९ . . . . २७५–३२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०२, २०४, २२०, २२१ से २२६, २२८ से २३० . . . . . ३२१–३२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७५ से १०५ . . . . . ३२८–३५०

अंक ६— सोमवार, ३० अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २३१ से २३४, २३६, २३८ से २४८, २५० से २५२, २५५ से २५७, २५९, २६०, २६२ से २६५ . . ३५१–३९५

	स्तम्भ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या २३५, २४९, २५४, २५८, २६१, २६६ से २७१, २७३, २७४, २७६, २७७ से २७९ . . .	३९५–४०६
अतारांकित प्रश्न संख्या १०६ से ११७, ११९ से १२८ . . .	४०६–४२४

अंक ७-- मंगलवार, ३१ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या २८० से २८७, २८९ से ३०१, ३०५, ३०६, ३०८ से ३११, ३१३, ३१४, ३१६, ३१८ से ३२० . .	४२५–४७२
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या २८८, ३०२, ३०५, ३०७, ३१५, ३१७, ३२१ से ३३२	४७३–४८४
अतारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १५१ . .	४८४–४९८

अंक ८-- बुधवार, १ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३३३, ३३५, ३३६, ३३८ से ३४३, ३४५, ३४७, ३४८, ३५८, ३४९, ३५०, ३५२, ३५३, ३५५, ३५६, ३५९, ३६०, ३६३ से ३६६, ३६९ से ३७२, ३७४, ३७६ से ३७८ . .	४९९–५४५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६	५४५–५४८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३३४, ३३७, ३४४, ३४६, ३५१, ३५४, ३५७, ३६१, ३६२, ३६७, ३६८, ३७३, ३७५, ३७९ से ३९५ . . .	५४८–५६४
अतारांकित प्रश्न संख्या १५२ से १५६, १५९ से २०० . .	५६५–५९८

अंक ९—बृहस्पतिवार, २ सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९६, ३९८ से ४०१, ४०३ से ४०७, ४०९, ४१०, ४१३ से ४१५, ४१८ से ४२०, ४२४, ४३८, ४२५ से ४२७, ४२९ से ४३२, ४३४, ४३५, ४३७, ५९९—६४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९७, ४०३, ४०८, ४११, ४१२, ४१६, ४१७, ४२१, से ४२३, ४२८, ४३३, ४३६, ४३९ से ४४१. . ६४३—६५१

अतारांकित प्रश्न संख्या २०१ से २१९. . . . ६५१—६६२

अंक १०—शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४२, ४४५ से ४५६, ४५८, ४६० से ४६६, ४६८, ४७०, ४७१, ४७३, ४७५, ४७७ से ४८२ . . ६६३—७०७

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर—

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . ७०७—७११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न–संख्या ४४३, ४४४, ४५७, ४५९, ४६७, ४६९, ४७२, ४७४, ४७६, ४८३ से ५०४ . . . . ७११—७३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२० से २३३, २३४ से २४१ . . ७३०—७४४

अंक ११—सोमवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०७, ५०९ से ५१६, ५१९, से ५२१, ५२६, ५२८, ५२९, ५३३, ५३५, ५३९, ५४१, ५४७, ५४९, ५५०, ५५२ से ५५५, ५६१, ५६४, ५६५ ७४५-७९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५, ५०८, ५१७, ५१८, ५२२ से ५२५, ५२७, ५३० से ५३२, ५३४, ५३६ से ५३८, ५४०, ५४२ से ५४६, ५४८, ५५१, ५५६ से ५६०, ५६२, ५६३, ५६६ से ५७५ . . . . ७९०-८१४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २७४ . . . . ८१४-८३२

———

अंक १२—बृहस्पतिवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७७, ५७९, ५८१ से ५८४, ५८६, ५८७, ५८९, ५९१ से ५९४, ६०२, ६०८, ६०६, ६०७, ६०९, ६१२, ६३४, ६३५, ६१३ से ६१५, ६२० से ६२६, ६२८, ६२९, ६३३ . . . . ८३३-८७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७६, ५७८, ५८०, ५८५, ५८८, ५९०, ५९५ से ६०१, ६०३, ६०४, ६१०, ६१६ से ६१९, ६२४, ६२५, ६२७, ६३० से ६३२ . . ८७३-८८७

अतारांकित प्रश्न संख्या २७५ से २८२, २८४ से २९१, २९३ से २९५ . . . . . ८८८-८९८

———

अंक १३— बुधवार ८ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३६, ६३८ से ६४०, ६४२ से ६४७, ६५०, ६५१, ६५५ से ६५७, ६६१ से ६६४, ६६७, ६६८, ६७० से ६७५, ६७७, ६७८, ६८१ से ६८४ . . ८९९—९४३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . . ९४४—९४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३७, ६४१, ६४८, ६४९, ६५३, ६५४, ६५८ से ६६०, ६६५, ६६६, ६६९, ६७६, ८७९, ६८०, ६८५ से ६९७ . . . . . ९४६—९६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३२६ . . . ९६२—९८४

अंक १४—शुक्रवार १० सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९८, ७०० से ७०३, ७०५ से ७१६, ७२०, ७१७, ७२२, ७२४, ७२५, ७२७, ७३० से ७३३, ७३८, ७४०, ७४१, ७४४, ७६२, ७४५, ७४६ . . . ९८५—१०३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . . १०३२—१०३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९९, ७०४, ७१८, ७१९, ७२१, ७२३, ७२६, ७२८, ७२९, ७३४ से ७३७, ७३९, ७४२, ७४३, ७४७, से ७६१, ७६३ से ७७१ . . . . १०३५—१०६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२७ से ३७९ . . . १०६२—१०९२

अंक १५—शनिवार, ११ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७२ से ७७५, ७७६ से ७८२, ७८५, ८०९, ७८८, ७८९, ७९१, ७९३, ७९५ से ७९७, ७९९ से ८०५, ८०७, ८११ से ८१३, ८१६ से ८१८ . . १०९३—११४०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . . . . ११४०—११४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७५, ७८४, ७८६, ७८७, ७९२, ७९४ ७९८, ८०६, ८०८, ८१० . . . . . ११४३—११४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८० से ३९८, ४०१ से ४०३ . ११४९—११६६

अंक १६—सोमवार, १३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८१९, ८२१ से ८३१, ८३३ से ८३५, ८३७, ८३९, ८४२ से ८४४, ८४७ से ८५६, ८५८, ८६० से ८६२ ११६७—१२०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२०, ८३२, ८३६, ८३८, ८४०, ८४१, ८४५, ८४६, ८५७, ८६३ से ८७५ . . . १२१०—१२२३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०४ से ४२९ . . . . १२२४—१२४२

अंक १७—मंगलवार, १४ सितम्बर, १९५४

	स्तम्भ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८७८ से ८८०, ८८३ से ८९०, ८९२, ८९३, ८९६, ९०१ से ९०७, ९१०, ९११, ९११ क, ९१२ से ९१५, ९१७, ९१९, ९२०, ९२३, ९२४, ९२६, ८७७	१२४३—१२८६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८७६, ८८१, ८८२, ८९१, ८९४, ८९५, ८९७ से ९००, ९०८, ९०९, ९१८, ९२१, ९२२, ९२५ .	१२८६—१२९४
अतारांकित प्रश्न संख्या ४३० से ४[illegible]	१२९४—१३१४

अंक १८—बुधवार, १५ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२८, ९३०, ९३२ से ९४०, ९४४, ९४८ से ९५९, ९६१, ९६२, ९६४ और ९६५ . . .	१३१५—१३५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२७, ९२९, ९३१, ९४१ से ९४३, ९४६, ९४७, ९६३, ९६६ से ९७९, ९८१ से ९८६, ७८३, ७९०, ८१४ और ८१५	१३५९—१३७६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६३ से ४८५, ४८७ और ४८८ .	१३७६—१३९२

अंक १९—बृहस्पतिवार, १६ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८७, ९९० से ९९६, ९९८, ९९९, १००२ से १००४, १०३६, १००५ से १००८, १०१०, १०१३, १०१६ से १०२५, १०२७ से १०२९	१३९३—१४४२
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ११	१४४२—१४४६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८८, ९८९, ९९७, १०००, १००९, १०११, १०१२, १०१४, १०१५, १०२६, १०३० से १०३५, १०३७ से १०४३ . .	१४४६—१४६२
अतारांकित प्रश्न संख्या ४८९ से ५११	१४६२—१४७८

अंक २०—शुक्रवार, १७ सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४८, १०४९ से १०५५, १०५७ से १०६०, १०६२ से १०६४, १०६७, १०६८, १०७२ से १०७८, १०८० से १०८५ . . . . . १५७९—१५२४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . १५२४—१५२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५, १०५६, १०६३, १०६५, १०६६, १०७०, १०७६, १०८६ से ११०५ . . . . १५२७—१५४२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१२ से ५४६ . . १५४२—१५६६

अंक २१—सोमवार, २० सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०६ से १११०, १११२, १११४, ११२२, ११२४ से ११२६, ११२९, ११३१, ११३४, ११३६, ११३९ से ११४३, ११४५ से ११४७, ११४९, ११५०, ११३७, ११२७, ११३५, ११२१, ११२०, ११३८, ११२८ १५६७—१६१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११३, १११५ से १११७, १११९, ११२३, ११३०, ११४४, ११४८ ... ... १६१४—१६१८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५४७ से ५६७ ... १६१९—१६३४

अंक २२—मंगलवार, २१ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५१ से ११५३, ११५५, ११५७, ११५८, ११६०, ११६१, ११६३, ११६७ से ११७०, ११७३, ११७४, ११७६, ११७७, ११७९ से ११८७, ११८९ से ११९१, ११९४, ११९५, ११९८, ११९९, १२०१, १२०३ तथा ११५४ . . . १६३५—१६८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ . . . . १६८४—१६८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ११५६, ११५९, ११६२, ११६४, ११६५, ११६६, ११७१, ११७२, ११७५, ११७८, ११८८, ११९२, ११९३, ११९६, ११९७, १२००, १२०२ तथा १२०४ . . . १६८७–१६९६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५९३ . १६९७–१७१४

अंक २३—बुधवार, २२ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२०६, १२०९, १२१०, १२१५, १२१७, १२१९, १२२०, १२२३ से १२२६, १२२८ से १२३०, १२३१ से १२३९, १२४१ से १२४५, १२४७ से १२४९, १२५१ से १२५३, १२५५ १२५७, १२५९ . . . . . १७१५—१७६१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . . . १७६१--१७६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०५, १२०७, १२०८, १२११, १२१३ से १२१४, १२१६, १२१८, १२२१, १२२२, १२२७, १२३१, १२४०, १२४६, १२५०, १२५४, १२५६, १२५८, १२६० . . १७६४—१७७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९४ से ६४८ . . . . १७७६—१८०८

अंक २४—बृहस्पतिवार, २३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२६१, १२६३ से १२७०, १२७२, १२७६, १२७७, १२७९, १२८०, १२८४, १२८६, १२८८, १२८९, १२९१ से १३००, १२७५, १२७४ और १११८ . . . . . १८०९—१८५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२६३, १२७३, १२७८, १२८२ से १२८३, १२९० . . . . . १८५५—१८६१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४९ से ६७९ . . . . १८६१—१८८४

अंक २५—शुक्रवार, २४ सितम्बर, १९५४

	स्तम्भ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३०१, १३०३, १३०५ से १३१०, १३१२ से १३१४, १३१६, १३१८, १३२०, १३२१, १३२३, १३२४, १३२६, १३२८, १३३०, १३३१, १३३३ से १३३६, १३३८ से १३४१, १३४३, १३४४	१८८५—१९३३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३०२, १३०४, १३११, १३१५, १३१७, १३१९ १३२२, १३२९, १३३२, १३३७, १३४२	१९३३—१९३९
अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७०६ ७०८ से ७१४	१९३९—१९६०

लोक-सभा

मंगलवार २ सितम्बर १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कोक (पत्थर का कोयला)

*११५१. **श्री टी० के० चौधरी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा सम्बन्धी उद्योगों के लिये कोक (पत्थर के कोयले) के पर्याप्त संभरण की व्यवस्था करने में हाल ही में सरकार को महान कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था ;

(ख) यदि ऐसा है, तो वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) देश के बाज़ार में, रक्षा सम्बन्धी उद्योगों की आवश्यकताओं को मलित कर कोक (पत्थर के कोयले) की सम्पूर्ण आवश्यकता कितनी है ;

(घ) कोक का वर्तमान नियंत्रित मूल्य क्या है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) माननीय सदस्य सम्भवतः हार्ड कोक के संभरण की बात कर रहे हैं। कुछ एक कोक संयंत्रों में पुनर्नवीकरण तथा मरम्मत के कारण उत्पादन कम हो रहा है, इस कारण कुछ श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये, जिन में रक्षा सम्बन्धी उद्योग भी सम्मिलित हैं, हार्ड कोक के संभरण का प्रबन्ध करने में कुछ कठिनाई हो रही थी।

(ख) सरकार की जानकारी यह है कि रक्षा सम्बन्धी उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। हार्ड कोक के संभरण का प्रबन्ध करने के लिये प्राथमिकता देने का क्रम बना लिया गया है तथा रक्षा सम्बन्धी उद्योगों की आवश्यकताओं को अधिक प्राथमिकता प्राप्त है।

(ग) टाटा आयरन ऐंड स्टील कं०; इंडियन आयरन ऐंड स्टील ऐंड सिन्दरी केमिकल ऐंड फर्टीलाइज़र्स लि० की आवश्यकताओं को छोड़ कर जिन की अपनी कोक ओवेन्स हैं, लगभग ४०,००० टन प्रतिमास उत्पादन तथा सूराख वाले हार्ड कोक को मिला कर आवश्यकता रहती है।

(घ) सूचना देने वाला एक विवरण पटल पर रखा गया है।

(ङ) हार्ड कोक के उपोत्पाद की अस्थायी कमी को पूरा करने के लिये कुछ कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है जिस का विस्तृत विवरण पटल पर रखे गये विवरण में दिया

हुआ है । **[देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १४].**

श्री टी० के० चौधरी : कोयला आयुक्त के पास कितनी वास्तविक पंजीकृत मांग की गई है और क्या यह सच है भारत सरकार के प्रमुख खान इंजीनियर ने, जिस ने हाल ही में परिमाप किया है, प्रतिमास ३६,००० टन हार्ड कोक की कमी की रिपोर्ट की है ?

श्री के० सी० रेड्डी : प्रमुख खान इंजीनियर ने कोयला आयुक्त के पास क्या रिपोर्ट दी है, इस का मुझे ज्ञान नहीं किन्तु मेरे पास जो भी सामग्री उपलब्ध है उस से ज्ञात होता है कि जितनी कमी का निर्देश माननीय सदस्य ने किया है, उतनी कमी है नहीं ।

श्री टी० के० चौधरी : सभा पटल पर रखे गये विवरण की कंडिका २ की मद १ यह बताती है कि सूराखों वाले हार्ड कोक का उत्पादन बढ़ रहा है । सरकार आधुनिक उपोत्पाद कोक ओवेन के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या उपाय सोचती है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं यह बताना चाहूंगा कि उपोत्पाद हार्ड कोक देश की ८ भट्टियों में तैयार किया जाता है । इन में से तीन इस्पात कम्पनियों की हैं, एक सरकार की तथा चार निजी कम्पनियों की हैं । माननीय सदस्य को विदित होगा कि हाल ही में सिन्दरी में एक कोक ओवेन संयंत्र का निर्माण हुआ जो लगभग ६०० टन प्रति दिन के हिसाब उत्पादन करेगा । यह हाल के उपोत्पाद कोक के उत्पादन के अतिरिक्त होगा ; और इन में से कुछ कोक ओवेनों का पुनर्नवीकरण या मरम्मत अथवा विस्तार किया जा रहा है । इस सब का सम्मिलित परिणाम उपोत्पाद हार्ड कोक के उत्पादन में वृद्धि करना होगा ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या सरकार ने इस तथ्य पर विचार किया है कि यद्यपि हार्ड कोक का नियंत्रित मूल्य २८ रु० १२ आने से ले कर ३४ रु० १२ आने है, जिस का कलकत्ता तथा हावड़ा प्रदेश में चोर बाज़ार का भाव १५० रु० प्रति टन तक हो जाता है और बहुत से ढलाई के कारखाने जिन का क़ाम इस कोक के बिना नहीं चल सकता, विवश हो कर बन्द कर देने पड़े हैं, जिस से नियोजन समस्या और भी गम्भीर बन गई है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं इस कोक के चोर बाज़ार के भाव के विषय में नहीं जानता हूं, किन्तु जब भी किसी पदार्थ पर नियंत्रण होता है, कुछ हद तक चोर बाज़ारी रहती ही है ; किन्तु यह कहां तक रहती है यह विषय ऐसा है जिस पर मत विभिन्नता हो सकती है । वास्तव में, माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है उस पर जांच करूंगा कि क्या कलकत्ता में चोर बाज़ारी चल रही है और कहां तक । सरकार इस बात के लिये सभी सम्भव उपाय करेगी जिस से ढलाई के कारखानों को हार्ड कोक आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हो सके, जिस का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या यह सच है कि स्वीकार की गई हार्ड कोक की कमी के बावजूद भी, विशेष कर, उत्पादन मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने योजना आयोग के सम्मुख पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा दुर्गापुर में आरम्भ की जाने वाली कोक ओवेन योजना के विचार का विरोध किया था, जिस के परिणामस्वरूप पश्चिमी बंगाल सरकार को यह कोक ओवेन योजना चालू करने का विचार त्याग देना पड़ा था ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य प्रधानतः इसी प्रश्न

की ओर संकेत कर रहे थे । जैसा कि कहा गया है, सरकार इस समय देश में हार्ड कोक के इतने तीव्र अभाव को स्वीकार नहीं करती । भविष्य में इस का पण्य कैसा रहेगा, यह मैं नहीं कह सकता किन्तु मैं यह अवश्य स्वीकार करता हूं कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने दुर्गापुर में एक कोक ओवेन संयंत्र लगाने का प्रस्ताव रखा है । योजना आयोग में इस विषय पर चर्चा की गई थी जिस में सम्बन्धित मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे । मेरा यह कहना गलत न होगा कि उन के सामने जो तथ्य प्रस्तुत किये गये थे वे पूर्ण न होने के कारण यह मामला पश्चिमी बंगाल सरकार को पुनः और अधिक तथ्यों सहित प्रस्तुत करने के लिये, वापस कर दिया गया है । सम्पूर्ण प्रश्न पर अच्छी तरह से जांच करने के लिये एक समिति बनाने का विचार भी किया गया है । इस समिति की बैठक निकट भविष्य में होने वाली है और जब तक कि हमें रिपोर्ट उपलब्ध न हो जाय तब तक हमें दुर्गापुर परियोजना के गुणावगुणों की वास्तविक जांच करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार को एक मुख्यतः यूरोपियों द्वारा नियंत्रित संस्था जिस का नाम हार्ड कोक निर्माता संघ है, की गतिविधियों का तथा इस तथ्य का ज्ञान है कि इस संस्था से सम्बन्धित हित कोक के पण्य में कमी उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : हो सकता है श्रीमान् कि इस नाम की कोई संस्था हो किन्तु उस पर भी अन्य किसी विदेशी कर्मचारियों वाली अथवा अन्यथा संस्था की भांति ही कोयला आयुक्त का नियंत्रण रहता है । जहां तक मुझे सूचना है, श्रीमान्, मैं नहीं समझता कि उक्त संस्था देश में हार्ड कोक की कमी उत्पन्न करने की चेष्टा कर रही है । उचित जांच करने के पश्चात् यदि ऐसी कोई बात हमारी जानकारी में आयेगी तो ऐसी चीज़ को रोकने के लिये उचित कार्यवाही की जायेगी ।

शरणार्थी उपनगर

*११५२. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या देश के शरणार्थी उपनगरों में उद्योगों का संगठन करने के लिये किन्हीं प्रविधिक विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है ;

(ख) क्या इन उपनगरों में छोटे पैमाने के उद्योग खोलने के लिये उद्योगपतियों के कुछ आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) न उद्योगपतियों को क्या सुविधायें देने का विचार किया ज़ा रहा है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)। (क) जी हां ।

(ख) फरीदाबाद, राजपुरा तथा हस्तिनापुर नामक उपनगरों में उद्योग खोलने के लिये उद्योगपतियों को आमंत्रित करने वाली प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गई हैं । बम्बई सरकार भी उल्हासनगर तथा शारदानगर नामक उपनगरों के सम्बन्ध में ऐसी ही कार्यवाही कर रही है ।

(ग) सरकार लगाई गई मशीनों के मूल्य का ५० प्रतिशत तक ऋण देगी तथा आसान शर्तों पर भूमि एवं इमारतों की व्यवस्था करेगी ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इन नगरों में नये उद्योग स्थापित करने के लिये नये उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने का विचार है अथवा उन उद्योगपतियों को कुछ सहायता देने का विचार किया जा रहा है जिन्हों ने पहले से ही कारखाने खोल दिये हैं और जो

वित्तीय कठिनाइयों के कारण उन्हें पूरा करने में असमर्थ हैं ?

श्री जे० के० भोंसल : यह सहायता केवल उन लोगों के लिये जो इन उपनगरों में नये उद्योग स्थापित करना चाहते हैं ।

सरदार हक्म सिंह : यदि इन उद्योगों की सारी योजना सफल हो जाती है तो अधिक से अधिक कितने लोगों को काम में लगाया जा सकेगा ?

श्री जे० के० भोंसल : फरीदाबाद में २००० से ले कर २५०० तथा बम्बई में ५००० से ७००० के बीच विस्थापितों को ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: ये उद्योग बाहरी लोगों को भी दिये जायेंगे अथवा विस्थापितों को ही तथा उन उद्योगपतियों को पहले से ही कितना ऋण दिया जा चुका है जो इन उद्योगों को स्थापित करने जा रहे हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : ये विस्थापितों तथा बाहरी दोनों ही लोगों के लिये बने हैं । हम ने अब तक फरीदाबाद में इमारतों के लिये १३ लाख तथा मशीनों के लिये ९·५ लाख रुपया अग्रिम दिया है ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को विदित है कि उल्हासनगर में विद्युत शक्ति के प्रभार अत्यधिक अर्थात्, २ आ० ६ पा० प्रति यूनिट होने के कारण कोई भी उद्योगपति वहां उद्योग स्थापित करने के लिये तैयार नहीं है और जो छोटे पैमाने के उद्योग पहले से चल रहे हैं वे अब चतपूर्ण हो रहे हैं ।

श्री जे० के० भोंसले : मैं ने प्रश्न का केवल प्रथम अंश सुना द्वितीय नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : उद्योगपति उद्योग चलाने के लिये तैयार नहीं हैं ।

श्री जे० के० भोंसले : श्रीमान्, वास्तव में यह प्रभार अत्यधिक हैं । बंम्बई सरकार ने एक थर्मल इंजन लगाया है और हम आशा करते हैं कि हम प्रयत्न करेंगे और यथासमय इस कठिनाई को हल कर लेंगे ।

अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

*११५३. **श्री डाभी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २ अप्रैल, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५३१ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने ग्राम तेल उद्योग के सम्बन्ध में अखिल-भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के संकल्प में दी गई सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो स के कारण क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). सरकार ने एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है, जोकि तेल निकालने के उद्योग का सर्वेक्षण करेगी और इस सम्बन्ध में सिफ़ारिशें करेगी कि बोर्ड की सिफ़ारिशों के प्रकाश में भविष्य में उद्योग को किस प्रकार विकसित किया जाये । समिति के सिफ़ारिशें करने के बाद निर्णय किया जायेगा ।

श्री डाभी : समिति को नियुक्त करने में कितना समय लगेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : निर्देष पद विचाराधीन हैं । मैं नहीं कह सकता कि समिति को नियुक्त करने में कितना समय लगेगा ?

मांड

*११५५. **श्री झूलन सिन्हा** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि देश में प्रतिवर्ष कितने मांड की आवश्यकता पड़ती है ;

(ख) देश में कितना मांड तैयार होता है और १९५३-५४ में कितना मांड आयात किया गया ;

(ग) देशी उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ; और

(घ) क्या यह सत्य है कि मांड केले के तनों से भी प्राप्त होता है ?

वाणीज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सब प्रकार के मांड की वार्षिक आवश्यकता अनुमानतः ५५००० टन है ।

(ख) कैलन्डर वर्ष १९५३ में मांड का उत्पादन लगभग १७१९४ टन था और कैलन्डर वर्ष १९५४ के पहले ७ मासों में उत्पादन लगभग २४००० टन था । मांड के आयात पर प्रतिबन्ध है ।

(ग) देशी उद्योग की सहायता के लिये आयात पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ।

(घ) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या उन वस्तुओं से जो कि खाद्य में सम्मिलित नहीं, स देश म इस उद्योग को और विकसित किया जा सकता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक विकास का सम्बन्ध है, यह उस मुख्य उद्योग, जिस के लिये मांड प्रयोग किया जाता है, अर्थात् कपड़ा उद्योग के विकास पर निर्भर ह। मांड बनाने के लिये, जहां तक उन वस्तुओं के उत्पादन का सम्बन्ध है, जो कि इमली के बीज तत्व के चूरे की तरह खाद्य वस्तुऐं नहीं हैं, स दिशा में हमारे प्रयोग बहुत सफल नहीं रहे । चूंकि मक्की के मांड की कमी थी, इसलिये हम ने मिलों को ३३ २/३ प्रतिशत मांड इमली के बीजतत्व के चूरे से तैयार करने के लिये बाध्य किया था । परन्तु मली के चूरे की किस्म का मानदंड निश्चित करने के बाद भी हमें इतनी शिकायतें प्राप्त हुई थीं और मक्की के मांड का उत्पादन इतना बढ़ गया था कि हमें नियंत्रण आदेश वापस लेना पड़ा । मैं नहीं कह सकता कि इस दिशा में विकास हो सकता है या नहीं ।

श्री साधन गुप्त : इस उद्योग में लगी हुई पूंजी कितनी विदेशी है और कितनी देशी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ने इस प्रश्न की ओर ध्यान नहीं दिया ।

श्री मात्तन : क्या माननीय मंत्री ने पियोका से तैयार किये जाने वाले मांड पर किस्म सम्बन्धी नियंत्रण लगाने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

ग्रामीण श्रोताओं का नमुना सर्वेक्षण

***११५७. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आकाश-वाणी के श्रोता गवेषणा यूनिटों द्वारा ग्रामीण श्रोताओं का कोई नमूना सर्वेक्षण किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस नमूना सर्वेक्षण के परिणाम क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) तथा (ख) जी हां, बम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिमी बंगाल के राज्यों में नमूना सर्वेक्षणों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्य मई, १९५४ में, समाप्त कर दिया गया है । आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं । रिपोर्टें अभी तैयार हो रही हैं । अतः स अवस्था पर सर्वेक्षण के परिणाम बताना संभव नहीं है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या भाषावार सर्वेक्षण किया गया है ?

डा० केसकर : यह स्पष्ट है कि सर्वेक्षण भाषावार ही होगा क्योंकि यह ग्रामीण श्रोताओं का सर्वेक्षण है और हमारे लगभग सभी ग्रामीण कार्यक्रम (देशी) भाषाओं में होते हैं ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या सरकार का अन्य राज्यों में भी यह सर्वेक्षण करने का विचार है ।

डा० केसकर : जी हां ।

भारत-रूमानिया व्यापार समझोता

*११५८. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मार्च, १९५४ में किये गये भारत-रूमानिया व्यापार समझौते के अनुसरण में दोनों देशों में व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किये गये हैं ; और

(ख) इस समझौते के अधीन न दो देशों के बीच कितनी वस्तुऐं आयात तथा निर्यात की गईं और इन का मुल्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) रूमानिया की सरकार ने भारत में एक व्यापार प्रतिनिधि और उन की सहायता के लिये एक उप प्रतिनिधि नियुक्त किया है । भारत सरकार ने रूमानिया में कोई विशेष व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया । तथापि प्राग स्थित भारतीय दूतावास भारत के व्यापारिक हितों का ध्यान रखता है ।

(ख) एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १५]**.

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : विवरण से यह मालूम होता है कि रूमानिया से १०,००० रुपये का माल आयात किया गया है, किन्तु हम ने उस देश को कोई माल निर्यात नहीं किया । सरकार ने रूमानिया में भारतीय माल की मांग पैदा करने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

श्री करमरकर : रूमानिया और भारत के बीच कोई अधिक व्यापार नहीं होता । उदाहरणतया पिछले वर्ष आयात कुछ नहीं था और रूमानिया को निर्यात २,१७,४२० रुपय का था ।

१९५०-५१ में आयात का मूल्य १,०१८ रुपये था और निर्यात का १,६१,३०० रुपये ।

कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षण

*११६०. **श्री राधा रमण** : क्या **वाणिजय तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने कुटीर उद्योगों में शिक्षण के लिये कोई विद्यार्थी विदेशों में भेज है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने विद्यार्थी भेजे गये हैं ;

(ग) क्या उन में से कोई लौट आया है ; और

( ) यदि हां, तो उसे क्या नौकरी दी गई है ?

वाणिजय मंत्री (श्री करमरकर) (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). उत्पन्न नहीं होते ।

भ्रष्टाचार

*११६१. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **योजना मंत्री** ५ सितम्बर, १९५३ के तारांकित प्रश्न संख्या १०५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार का दमन करने के निमित्त

एक विस्तृत योजना तैयार की जा चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख) एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १६]**.

श्री नवल प्रभाकर : विवरण में जो सिफ़ारिशें और सुझाव दिये गये हैं क्या मैं जान सकता हूं कि इन से सम्बन्धित आदेश राज्य सरकारों को भेज दिये गये हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : जिन बातों से राज्य सरकारों का ताल्लुक है उन बातों की सूचना उन को दे दी गई है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : तारांकित प्रश्न संख्या ११०४ के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मैं पूछ सकता हूं कि भ्रष्टाचार पकड़ने के मामले में सरकार की नीति इस बात से प्रकट होती है कि भारत सरकार की विशेष पुलिस स्थापना ने कलकत्ता पत्तन के उप शिप्पिंग मास्टर के विरुद्ध रिपोर्ट की थी और उन पर अभियोग चलाने की मांग की थी किन्तु उन्हें निलम्बित किये बिना एक विभागीय जांच के बाद निर्दोष ठहराया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ।

कोयला

***११६३. पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि कोयले की एक बड़ी मात्रा उसे एक नाप के अनुसार छांटे जाने में व्यर्थ नष्ट हो जाती है ; तथा

(ख) क्या सरकार एक नाप का आकार दिये कोयले के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार रखती है ?

उत्पादन मंत्री के सभा सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) जी नहीं ; यह कहना कि इस कार्य से कोयले की एक बड़ी मात्रा नष्ट हो जाती है, ठीक नहीं है । किन्तु इसे कोयले के उपयोग की कुछ व्यर्थकारी प्रणाली कहा जा सकता है ।

(ख) नहीं । यद्यपि प्रचलित कार्य प्रणाली में से परिवर्तन करने के प्रश्न पर कोयला आयुक्त द्वारा विचार किया जा रहा है, तो भी खानों में विभिन्न नापों के अनुसार कोयले के तैयार किये जाने पर प्रतिबन्ध लगा देने की कोई प्रस्थापना नहीं है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं जान सकता हूं कि उस कोयले की मात्रा क्या है जिसे एक नाप के आकार के अनुसार छांटा जाता है और उस की कीमत क्या होगी ?

श्री आर० जी० दुबे : कोयला तीन प्रकार का होता है : स्टीम (वाष्प), रूबल (रोड़ी के समान), और स्लैक (कोयले की बजरी) । स्टीम कोयला इंजनों और अन्य प्रकार के बायलरों में काम आता है । इस विशेष प्रकार के कोयले को और रूबल (रोड़ी) को एक विशेष नाप का आकार दिया जाता है । इस प्रकार आकार के अनुसार छांटे गये कोयले की मात्रा का अनुमान लगाना बहुत कठिन है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि कितनी मात्रा व्यर्थ नष्ट हो जाती है ?

श्री आर० जी० दुबे : मैं यह बताऊं कि जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं इस कोयले की कोई विशेष मात्रा व्यर्थ नष्ट नहीं हो जाती ह । उदाहरण के रूप में जब

स्टीम कोयला और रूबल कोयला पृथक कर लिया जाता है तो केवल कोयले की बजरी शेष रह जाती है और इस का उपयोग ईंटे पकाने के लिये किया जाता है । केवल कोयले की राख अवश्य ही व्यर्थ होती है ।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रड्डी) : मैं इस समय यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत स्पष्ट नहीं है अतः इस का ठीक ठीक उत्तर देना बहुत कठिन है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं केवल यह जानना चाहता था कि जब कोयले को एक नाप के आकार के अनुसार छांटा जाता है तो उस समय कोयले की कितनी मात्रा नष्ट हो जाती है ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह सब कुछ तो कोयले के प्रकार और आकार के अनुसार छांटने के तरीके इत्यादि पर निर्भर है । इसलिये मैं ने कहा कि इस प्रकार के सामान्य प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । श्री भागवत झा आज़ाद ।

श्री डी० सी० शर्मा : ११६४ ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य के पास इस का प्राधिकार है तो वह प्रश्न अन्त में आयेगा ।

दामोदर घाटी में नहर का पानी

*११६७. **श्री एस० सी० सिंघल** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि दामोदर घाटी क्षेत्र में पानी की दरें कम हैं, किन्तु फिर भी किसान पूर्णरूप से पानी का उपयोग नहीं कर रहे हैं ; तथा

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) (क) और (ख). क्योंकि दामोदर घाटी निगम की नहरें अभी बनाई जा रही हैं, और वह अभी तक चलनी आरंभ नहीं हुई है इसलिये किसानों द्वारा पानी के उपयोग न किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम द्वारा १२,००० एकड़ भूमि की सिंचाई के लिये बनाई गई पहली योजना में प्रति एकड़ सिंचाई पर १,००० पये की लागत आने का अनुमान किया गया था और १०,००० एकड़ खरीफ की फसल और ७,५०० एकड़ रबी की फसल की सिंचाई की जाने वाली दूसरी योजना में ४०० रुपये प्रति एकड़ की लागत आने का अनुमान किया गया है ? मैं जान सकता हूं कि क्या इस योजना को किसानों में सर्व प्रिय बनाने के लिये इस की लागत को कम करने का कोई उपाय किया गया है ?

श्री हाथी : सम्भवतः माननीय सदस्य तिलिया से सिंचाई किये जाने की ओर निर्देश कर रहे हैं । १२,००० एकड़ भूमि के लिये कुल अनुमानित लागत लगभग १·२१ करोड़ पये थी । उस का विचार त्याग दिया गया है, क्योंकि यह राशि कुछ अधिक थी । दूसरी योजना जो उन्हों ने अब बनाई है और जिस के सम्बन्ध में अनुमान तैयार किये जा रहे हैं कोई १०,००० एकड़ भूमि के लिये होगी जिस में से ७,५०० एकड़ रबी की फसल की सिंचाई होगी, जो लगभग २१,००,००० रुपये की है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं विहार राज्य में नहरी पानी की दरें जान सकता हूं और उन दरों का दामोदर घाटी निगम की प्रस्थापित दरों स क्या अनुपात है ?

श्री हाथी : अभी तक दामोदर घाटी निगम ने पानी की दरें मुक़र्रर नहीं की हैं ।

स्वर्गीय श्री डब्ल्यू सी० बैनर्जी की समाधि

*११६८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति स्वर्गीय श्री डब्ल्यू० सी० बैनर्जी की समाधि क्रोयडन, इंगलैण्ड में बड़ी बुरी दशा में पड़ी हुई है ; तथा

(ख) क्या लन्दन स्थित भारतीय प्रधान प्रदेष्टा के कार्यालय के किसी सरकारी प्रतिनिधि ने उस समाधि को देखा है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) और (ख). अभी तक लन्दन स्थित भारतीय प्रधान प्रदेष्टा ने स्वर्गीय श्री डब्ल्यू० सी० बैनर्जी की समाधि के प्रति कोई रुचि प्रकट नहीं की थी क्योंकि यह समझा जाता था कि उस की देखरेख उन के वंशज कर रहे हैं जो स्थायी रूप से इंगलैंड में निवास कर रहे हैं । जब से यह कल्पना निर्मूल सिद्ध हुई है, प्रधान-प्रदेष्टा के एक प्रतिनिधि को समाधि पर जा कर श्री बैनर्जी के वंशजों के परामर्श से उस की मरम्मत तथा देखरेख की लागत का अनुमान लगाने के लिये प्रतिनियुक्त किया गया है ।

हैदराबाद में बेकारी

*११६९. **श्री माधव रेड्डी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि हैदराबाद सरकार ने अपने राज्य में बेकारी की समस्या को हल करने के लिये एक योजना बनाई है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो उक्त प्रस्थापना की मुख्य बातें क्या हैं और उन को किस प्रकार क्रियान्वित किया जाना है ;

(ग) उन की क्रियान्वित के लिये कितने धन की आवश्यकता होगी ; तथा

(घ) व्यय का कितना भाग केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग): योजनाओं के नाम तथा उन की कुल लागत को दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १७]**

(घ) योजनायें अभी भी परीक्षाधीन हैं ।

श्री माधव रेड्डी : मैं जान सकता हू कि सरकार को परीक्षण कार्य को समाप्त करने तथा इस के सम्बन्ध में कोई निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

श्री एस० एन० मिश्र : श्रीमान् अधिकांश योजनायें उपयुक्त मंत्रालयों को भेजी गई हैं, और कुछ योजनायें स्वयं योजना आयोग में परीक्षाधीन हैं, परन्तु यह ध्यान में रखा जाना चाहिये कि योजना आयोग के पत्र के उत्तर में, जोकि ३० जुलाई, १९५३ को भेजा गया था, राज्य सरकारों ने कोई एक महीने पहले ही अपनी प्रस्थापनायें भेजी हैं । जबकि उन्हें अपनी योजनाओं की रूप रेखा बनाने में कोई एक वर्ष लगा, तो निश्चय ही उन के परीक्षण के लिये कुछ समय की आवश्यकता होगी ।

श्री माधव रेड्डी : विवरण में उल्लिखित बहुत सी मदों के सम्बन्ध में, सरकार ने लागत का ५० प्रतिशत वहन करने की अपनी नीति की पहले ही घोषणा कर दी है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैं जान सकता हूं कि इन योजनाओं को केन्द्रीय सहायता दिये जाने के सम्बन्ध और किन बातों का निश्चय करना है ?

श्री एस० एन० मिश्र : योजनाओं की उन के गुण दोषों के आधार पर जांच की जानी है और जब तक कि किसी योजना की पूर्णरूपेण पड़ताल नहीं हो जाती है उस के सम्बन्ध में कोई भी वित्तीय वाक्वद्धता नहीं की जा सकती है ।

दीवान राधवेन्द्र राव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय सरकार ने हैदराबाद राज्य को ३६ लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया है, मैं जान सकता हूं कि क्या हैदराबाद सरकार ने इन महीनों में समोन्नत रेखा बांध बनाने के द्वारा पूर्ण सेवा योजना के लिये वास्तविक प्रयत्न किया है ?

श्री एस० एन० मिश्र : मामले के इस पहलू का, अर्थात् समोन्नत रेखा बांध बनाने की बात का, राज्य सरकार ने अपनी प्रस्थापनायें बनाते समय निश्चय ही ध्यान रखा होगा, परन्तु क्योंकि उन का प्रश्न इस प्रश्न के क्षेत्र में नहीं आता है इसलिये इस की पुनः परीक्षा करना आवश्यक होगा ।

ज़िला योजना समितियां

*११७०. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने ज़िला स्तर पर योजना निकायों के बनाये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के विचारार्थ कोई सुझाव दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वह सुझाव क्या हैं ; तथा

(ग) क्या ज़िला योजना समितियों से प्रथम पंच वर्षीय योजना के कार्यकरण का सुपरिवीक्षण करने तथा द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लिये योजनायें प्रस्तुत करने की प्रत्याशा की जाती है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) और (ख). योजना आयोग ने राज्य सरकारों को ज़िला विकास समितियां जिन में विभिन्न विभागों के अधिकारी सम्मिलित हों तथा कलक्टर जिस का सभापति हो, तथा ज़िला विकास बोर्ड, जिन में ज़िला विकास समिति के सरकारी सदस्य, ज़िला बोर्ड का सभापति तथा कई अ-सरकारी सदस्य हों, स्थापित करने का सुझाव दिया है ।

(ग) जी हां ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : मैं जान सकता हूं कि क्या न योजना समितियों में नाम निर्देशित किये जाने वाले अ-सरकारी सदस्यों की अधिकतम संख्या १२ है, और यदि ऐसा है, तो क्या सरकार को विदित है कि आयोजन के सम्बन्ध में जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये यह संख्या समुदाय के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है ?

श्री एस० एन० मिश्र : मैं प्रश्न को समझा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से उन्हों ने समितियों में नामनिर्देशित किये जाने वाले सदस्यों का निर्देश किया और कहा कि अधिकतम संख्या बारह है और यह संख्या समाज के सभी वर्गों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करती है । सरकार इस सम्बन्ध में क्या करना चाहती है ?

श्री एस० एन मिश्र : राज्य सरकारों को जब यह सिफ़ारिशें योजना आयोग द्वारा की गई थीं, तो वह परिणामों के रूप में नहीं थीं और राज्य सरकारों को अपने राज्यों की परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने की छूट दी गई थी ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : मैं जान सकता हूं कि क्या योजना आयोग ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ज़िला योजना निकायों के लिये प्राथमिकताओं का निश्चय करने में राज्य

सरकारों का मार्ग प्रदर्शन करने के लिये किन्हीं परीक्षात्मक लक्ष्यों को बताया है ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बनाने का कार्य अभी प्रारम्भिक स्तर पर है और हम अभी उस स्थिति पर नहीं पहुंचे हैं जबकि विशिष्ट योजनाओं के लिये प्राथमिकतायें निश्चित की जाती हैं।

श्री माधव रेड्डी : मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि इन विकास बोर्डों का सम्बन्ध केवल स्थानीय विकास से है और ज़िला आयोजन से नहीं है ?

श्री नन्दा : उन का सम्बन्ध योजना के समस्त अवस्थानों से है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या ज़िला योजना निकाय में अ-सरकारी बहुमत होगा और क्या स समिति के निर्णय योजना आयोग की आगामी योजनाओं के लिये अवश्य पालनीय होंगे ?

श्री एस० एन० मिश्र : योजना आयोग द्वारा दो प्रकार के निकायों का सुझाव दिया गया है । एक निकाय पूर्णतया सरकारी होगा, और दूसरे में जनता के प्रतिनिधि होंगे । विभिन्न राज्यों में न निकायों की संरचना भिन्न भिन्न प्रकार की है और इसलिये हम यह नहीं कह सकते हैं कि एकरूप नियम क्या होगा ।

पश्चिमी पाकिस्तान को पानी मुहया किया जाना

*११७३. **श्री गिडवानी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार समझौते में करार पाये परिमाण से अधिक पानी पश्चिमी पाकिस्तान स्थित छंगामंगा वनों की सिंचाई के लिये मुहैया कर रही है ; और

(ख) क्या इस के परिणामस्वरूप अमृतसर ज़िले में स्थित खेती की ज़मीन को पानी मुहैया नहीं किया जा सका है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

फारक्का पर बांध

*११७४. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान विगत जुलाई में कलकत्ता में आयोजित इंजीनियरों की उस सम्मेलन-वार्ता की ओर आकर्षित किया गया है जिस में सभी ने यह सम्मति प्रकट की थी कि भागीरथी-हुगली नदी में प्रायः बाढ़ आने के कारण गारा जम जाने से कलकत्ता के व्यापार तथा जन-जीवन को पहुंचने वाले खतरे का एकमात्रा उपाय यही है कि फारक्का पर एक बांध का निर्माण हो ; और

(ख) क्या उक्त बांध को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में कोई निश्चय किया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) सरकार का ध्यान इस सम्मेलन-वार्ता के सम्बन्ध में समाचारपत्रों की रिपोर्टों की ओर आकर्षित किया गया है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा कुछ समय पहले दिये हुए इस वक्तव्य को कि गंगा बांध को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जायेगी और उस के बाद स वक्तव्य का प्रतिवाद करने वाली उन रिपोर्टों को जिन की मंत्री जी आज पुष्टि करते हैं, दृष्टि में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस विषय के सम्बन्ध में निकट

भविष्य में ही कोई दृढ़ निश्चय किया जाने वाला है ?

श्री हाथी : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में परियोजनाओं को सम्मिलित करने की प्रक्रिया यह है । योजना आयोग ने एक प्राविधिक मंत्रणा समिति की स्थापना की है जो इन सम्मुख होने वाली योजनाओं की छानबीन कर के उन के सम्बन्ध में योजना आयोग के पास अपनी सिफारिशें भेजेगी । उस के बाद ही इस बात का निश्चय किया जाएगा कि किन योजनाओं पर काम शुरू किया जायेगा ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : कलकत्ता पत्तन, जो देश का सब से बड़ा पत्तन है, को बर्बाद होने से बचाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री हाथी : मंत्रणा समिति ही इस पर विचार करेगी ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या यह सच है कि माननीय योजना मंत्री ने पश्चिमी बंगाल के सिंचाई मंत्री को इस बात का विशिष्ट आश्वासन दिया कि फारक्का पर बनाये जाने वाले इस विशेष बांध को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जायेगा ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : मैं पहले भी यह कहने की स्थिति में नहीं था, न तो अब निर्विवाद रूप से यह कह सकता हूं कि पहले की बनाई इस प्रक्रिया के कारण, कि योजनाओं की छानबीन की जायेगी और उस के बाद उन की प्राथमिकतायें निश्चित की जायेंगी, कसी विशेष योजना को सम्मिलित किया जायेगा । आप निश्चय जानिये कि मैं इस समस्या पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करने के पक्ष में हूं ।

भिलंगना घाटी का विकास

*११७६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के टेहरी-गढ़वाल ज़िले में भिलंगना घाटी की विकास योजना, जो कुछ समय पहले स्वीकृत की गई थी, कब कार्यान्वित की जायेगी ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : सामुदायिक परियोजनाओं की योजना तो तीन वर्ष का कार्यक्रम है । भिलंगना घाटी में स्थित विकास खण्ड का निर्माण-कार्य पहले से ही चल रहा है ; और आशा की जाती है कि ३०-९-५६ तक इसे पूरा किया जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि कई महीने के बाद यह योजना चलाई गई है और क्या उन्हें यह भी ज्ञात है कि इस योजना की प्रगति की रफ्तार में बाधा का कारण यह रहा कि श्रीमती मीरा बहिन और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच इस योजना को ले कर गम्भीर मतभेद पैदा हो गया था ?

श्री एस० एन० मिश्र : यह मतभेद की जो चर्चा माननीय सदस्य ने की, थोड़ी बहुत मात्रा में हुआ होगा लेकिन कोई इस की वजह से प्रगति में ज्यादा बाधा पहुंची है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मंत्री महोदय को यह भी ज्ञात है कि इस मतभेद के कारण ही खिन्न हो कर मीरा बहिन ने वह इलाका छोड़ दिया और काश्मीर में रहने लगी हैं और क्या मैं यह भी जान सकता हूं ....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । हमारा इस से कोई भी सम्बन्ध नहीं ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि अब वहां का काम किस के हाथ में है ?

श्री एस० एन० मिश्र : जिस तरह से और सामुदायिक योजनाओं के काम होते हैं, उसी तरह से वहां का भी काम चल रहा है ।

उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण घटना

*११७७. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** १९ फरवरी, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न सख्या १५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आदिम जातियों के उन दलपतियों (खलनेताओं) को, जिन के नेतृत्व में अक्तूबर, १९५३ में उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण के ताजिन क्षेत्र में भारतीय पदाधिकारियों को क़त्ल किया गया था, गिरफ्तार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने और कहां-कहां पर गिरफ्तार हुए ?

प्रधान मंत्री के सभासचिव (श्री जे० एन० हजारिका) : (क) और (ख)। उस गांव के वृद्धजनों और निवासियों जिन्हों ने बताया कि ये ताजिन ही खलनेता थे और उन्हें ग़लत रास्ते पर डाल दिया था, की सहायता से बारह ताजिनों को गिरफ्तार कर दिया गया है । सुबांसीरी नदी के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर ताजिन क्षेत्र में ही यह गिरफ्तारी हुई । सारे ताजिन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली और रूढ़ियों पर चलने वाली वहां की स्थानीय या केबांग परिष् ही इन गिरफ्तार हुए व्यक्तियों पर अभियोग चलायेगी ।

इन के अतिरिक्त और सात संदिग्ध खलनेताओं के मामलों की भी जांच हो रही है ।

श्री रिशांग किशिंग : अभी और कितने खलनेता फरार हैं ?

श्री जे० एन० हजारिका : हम इतना जानते हैं कि अभी और सात खलनेता गिरफ्तार होंगे ।

श्री रिशांग किशिंग : मैं जानना चाहता हूं कि गिरफ्तार हुए इन सात खलनेताओं के साथ सरकार क्या बर्ताव करेगी ?

श्री जे० एन० हजारिका : केबांग परिष् ही उन के मामले को निपटा देगी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि कानूनी कार्यवाही होगी ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : आदिमजाति सम्बन्धी कानून के अनुसार कार्यवाही होगी ।

श्री अमजद अली : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन फरार खलनेताओं को अपराधियों की सूची में रखा गया है और क्या सरकार की ओर से उन का सुराग लगाने का भी कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री जे० एन० हजारिका : ये व्यक्ति अपने अपने गांवों में हैं या पास के जंगलों में हैं ।

निष्क्रान्त सम्पत्तियों के बदले बन्धक आज्ञप्तियां

*११७९. **श्री हेम राज** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) निष्क्रान्त सम्पत्तियों के बदले या भारत से पश्चिमी पाकिस्तान को गये निष्क्रमणार्थियों के बदले भारत स्थित विविध न्यायालयों द्वारा पारित बन्धक, वित्त अथवा राजस्व की आज्ञप्तियों के स्वामियों को उन की आज्ञप्तियों की रक़म चुकाने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ; और

(ख) कितने समय में उन की आज्ञप्तियों की रकम चुकाई जायेगी ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) और (ख) । जहां तक बन्धक आज्ञप्तियों का प्रश्न है, निष्क्रमणार्थी हित (धारक-

करण) अधिनियम, १९५१, अन्य बातों के साथ इसलिये पारित किया गया था कि बंधकग्रहीता और बंधककर्ता, जिन्हें निष्क्रमणार्थियों के साथ संपत्ति में मिला-जुला हित है, अपने दावों के सम्बन्ध में संतोष प्राप्त कर सकें। यह काम गति से चल रहा है। जहां तक अन्य आज्ञप्तियों का प्रश्न है, इन्हें तृतीय पक्ष के दावों के रूप में निष्क्रान्त सम्पत्ति के अभिरक्षकों द्वारा पंजीबद्ध किया जा रहा है।

श्री हेम राज : क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि यह जो थर्ड पार्टीज़ के क्लेम्स हैं, इन की कुल कितनी रक़म बनती है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : मोर्टगेजेज़ क्लेम्स कौम्पीटेंट आफिसर्स के यहां दाखिल किये हैं और यह कौम्पीटेंट आफिसर्स आम तौर से सिविल कोर्ट्स के आफिसर्स हैं, हमारे पास उन के कोई फीगर्स नहीं हैं, अलबता जो कस्टोडियन के यहां क्लेम्स रजिस्टर किये गये हैं उन की रक़म करीब करीब एक करोड़ रुपये की है।

श्री हेम राज : क्या मैं जान सकता हूं कि यह एक करोड़ रुपये की जो रक़म है, यह कम्पेनसेशन पूल से ली जायगी या यह अलहायिदा रख ली गई है ?

श्री ए० पी० जैन : मेरे खयाल में मेम्बर साहब को कुछ भ्रम है क्योंकि कम्पेनसेशन पूल का जहां तक ताल्लुक है वह तो एक अलहायिदा चीज़ है और जो नया कानून आ रहा है उस के मुताबिक़ कम्पेनसेशन पूल वही होगा कि जो जायदाद या रुपया उधर को तबदील किया जायगा तमाम उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के बाद जो इवैक्यूईज़ की हैं।

श्री हेम राज : क्या मैं जान सकता हूं कि जो क्लेम्स कस्टोडियन के पास रजिस्टर हुए हैं, डिग्रीज़ वगैरह के, उन की अदायगी की क्या सूरत बनेगी ?

श्री ए० पी० जैन : अभी उस के ऊपर विचार हो रहा है कि किस तरह से की जाय और कब की जाये।

रेडियो विश्वविद्यालय

*११८०. **श्री जी० एस० चौधरी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार एक रेडियो विश्वविद्यालय खोलने का विचार रखती है जिस का सुझाव रक्षा संगठन मंत्री ने विद्यार्थियों की एक संस्था में भाषण देते हुए दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विश्व विद्यालय के लिये कितनी राशि की आवश्यकता है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) इस समय कोई भी ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है कि एक रेडियो विश्वविद्यालय खोला जाय। रक्षा संगठन मंत्री का यह सुझाव जिस की ओर माननीय सदस्य ने निर्देश किया है, बहुत ही रुचिकर है, और इस बात का पूरा पूरा अध्ययन किया जायेगा कि इस समय उन के सुझाव पर कार्य करना व्यवहार्य है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

टेलीवीज़न

*११८१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि टेलीवीज़न की नई क्रियाविधि में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये कुछ भारतीय शिल्पियों को सरकार ने विदेश भेजा है :

(ख) यदि हां, तो भेजे गये शिल्पियों की संख्या और उन देशों के नाम जहां वे भेजे गये, क्या हैं ; और

(ग) सरकार कब तक इस देश में टेलीवीजन चालू करना चाहती है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) इस बात पर विचार किया जायेगा कि क्या टेलीवीजन यूनिट को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखा जाना चाहिये ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या इस दूरदर्श एकक का स्थान निश्चित हो गया है, और यदि हां, तो इस का स्थापन कहां किया जायेगा ?

डा० केसकर : मैं ने कहा है कि इस पर विचार हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : वे यह जानना चाहते हैं कि वह स्थान कहां है ।

डा० केसकर : नहीं, श्रीमान् ; अभी उस का निश्चय नहीं हुआ है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार यह बता सकती है कि भारत में दूरदर्श संयंत्र के स्थापन में लगभग कितना व्यय होगा ?

डा० केसकर : न्यूनतम २५ लाख के लगभग रुपये लगने की संभावना है ।

टेहरी-गढ़वाल में बाढ़

*११८२. **श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के टेहरी-गढ़वाल और गढ़वाल के ज़िलों में भी बाढ़ से बहुत हानि हुई है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के उन बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों की सहायता के लिये कोई प्रार्थना की है ;

(ग) यदि हां, तो उस कार्य के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ; और

(घ) राज्य सरकार इन ज़िलों के लिये सहायता का कितना अंश देने का विचार रखती है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) टेहरी-गढ़वाल के ज़िले में बाढ़ की कोई सूचना नहीं मिली है । गढ़वाल के ज़िले में अगस्त, १९५४ में कोद तथा मयार नदियों में बाढ़ आ गई थी जिस के कारण संचार साधनों को काफी क्षति पहुंची । कृषि अथवा गृहों की क्षति के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) और (ग) । उत्तर प्रदेश को नियत की गई केन्द्रीय सहायता तथा उस के आधार के सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १८**].

(घ) राज्य सरकार से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है जो प्राप्त होते ही सभा पटल पर रखी जायेगी ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या सरकार इस से अवगत है कि एक पैसा भी नहीं दिया गया है और वहां बाढ़ आई हुई है तथा कुछ धान पानी के साथ बह गया है ?

श्री हाथी : जैसा मैं ने अभी कहा है, उत्तर प्रदेश सरकार से यह सूचना प्राप्त हुई है कि कृषि को क्षति नहीं पहुंची है । दस अन्य ज़िलों के बारे में तो जन, ढोर तथा अन्य वस्तुओं की क्षति का समाचार प्राप्त हुआ है परन्तु इस के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : अपने प्रश्न में मैंने जन तथा ढोर की हानि के बारे में कुछ नहीं कहा ....

अध्यक्ष महोदय : उत्तर प्रदेश सरकार से जो सूचना प्राप्त हुई है उस में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई गई है ।

कताई के कारखाने

*११८३. **श्री टी० सुब्रह्मण्यम्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या देश के किसी भाग में एक सौ से ले कर पांच सौ तकलियों वाले, कताई के कारखानों के छोटे छोटे एकक स्थापित कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने तथा किन किन स्थानों पर स्थापित किये गये हैं ; और

(ग) सब से छोटे एककों के लिये कितनी पूंजी की अपेक्षा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) १०,००० तकलियों के एक एकक के लिये लगभग २५ लाख रुपया अपेक्षित है जिस में भूमि तथा भवन भी सम्मिलित हैं ।

श्री टी० सुब्रह्मण्यम् : क्या यह तथ्य है कि ५०० से १००० तकलियों वाले एकक जापान में सफलतापूर्वक चल रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

श्री टी० सुब्रह्मण्यम् : क्या सरकार स्वयं अथवा अपने प्रोद्योगिकीय अभिकरणों द्वारा ऐसे छोटे छोटे एककों के प्रारम्भन के सम्बन्ध में कोई गवेषणा अथवा प्रयोग करने का विचार रखती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जो कुछ भी प्रयोग हुए हैं, सब असफल सिद्ध हो चुके हैं और इसी कारण सरकार का यह दृढ़ विचार है कि १०,००० तकलियों का एकक ही आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है ।

दीवान राघवेन्द्र राव : क्या यह विचार है कि वैज्ञानिकन योजनाओं के साथ वर्तमान उद्योग का विकेन्द्रीकरण इस प्रकार के छोटे एककों के रूप में लाना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे नहीं मालूम कि माननीय सदस्य का क्या आशय है । हम तो केवल कताई के कारखाने के सम्बन्ध में आर्थिक एकक के प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं । मेरे विचार में कताई के विकेन्द्रीकरण के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं कहा है । बुनाई के क्षेत्र में ही विकेन्द्रीकरण हो सकता है और मेरा विचार है कि उस सम्बन्ध में यह कार्य हो रहा है ।

सूडान में रहने वाले भारतीय

*११८४. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **प्रधान** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्तमान समय में सूडान में कितने भारतीय रह रहे हैं ;

(ख) क्या उस देश में भारत से आप्रवासन के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कौन कौन से प्रतिबन्ध हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) कोई ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, परन्तु अनेक प्रकार से संख्या का अनुमान १५०० से २५०० तक का लगाया गया है ।

(ख) और (ग) सूडान में प्रवेश करने की इच्छा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिये यह आवश्यक है कि उस के पास या तो एक वैध पारपत्र हो अथवा सूडान की यात्रा

के लिये यथावत् पृष्ठांकित एक यात्रा प्रलेख तथा देश में प्रवेश करने के लिये एक अनुज्ञा पत्र हो । सूडान में स्थायी रूप से निवास हेतु अनुज्ञायें बहुत कम स्वीकृत होती हैं और प्रत्येक प्रकरण की उस के अपने गुणावगुण के आधार पर जांच की जाती है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या भारत में कोई सूडानी हैं ?

श्री अनिल क० चन्दा : मुझे खेद है कि स बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता ।

मध्य प्रदेश में चर्म उद्योग

***११८५ श्री एन० ए० बोरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि चर्म सहकारिता उद्योग के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का पूर्ण विवरण क्या है ; और

(ग) इस की कार्यान्विति की कब तक संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १९]**.

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान में ।

श्री तिम्मय्या : क्या मैं अन्य राज्यों के नाम जान सकता हूं जिन्हों ने ऐसी ही योजनायें प्रस्तुत कीं हैं ?

श्री करमरकर : मुझे इस सम्बन्ध में सूचना की आवश्यकता होगी ।

उर्वरक

***११८६. श्री बर्मन** : क्या **उत्पादन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सिन्द्री उर्वरक कारखाने के विस्तार के सम्बन्ध में सर्वेक्षण हेतु भारत-अमरीकी सहायता कार्यक्रम ने कुछ धन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि की संभावना है ; और

(ग) क्या सरकार ने किसी सुविधाजनक स्थान पर, जहां खरिया मिट्टी तत्क्षण उपलब्ध हो सके, उर्वरकों के उत्पादन के लिये भाखड़ा विद्युत की शक्ति के उपयोग करने के औचित्य पर विचार किया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) संयुक्त राज्य अमरीका के प्राविधिक सहकारिता शिष्टमंडल ने उन प्रस्थापनाओं के सर्वेक्षण के लिये धन दिया है जो उर्वरकों के बनाने के लिये सिन्द्री कारखाने की कोक की भट्टियों के बेकार जाने वाली गैसों के उपयोग करने के सम्बन्ध में हैं ।

(ख) दो नये उर्वरक अर्थात् यूरिया तथा अमोनियम नाईट्रेट सल्फेट, (दोहरा-लवण), के बनाने की प्रस्थापनायें विचाराधीन हैं ।

(ग) ३१ अगस्त, १९५४ को डा० राम सुभग सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३३२ के सम्बन्ध में मैं ने पूर्व ही कहा है कि देश में उर्वरक उत्पादन की क्षमता में अपेक्षित विस्तार, और उस की प्राप्ति के लिये अपनाये जाने वाले साधनों तथा नये एककों की स्थापना के लिये स्थानों के सम्बन्ध में प्रस्थापनाओं पर विचार किया जा रहा है ।

श्री बर्मन : क्या सिन्द्री संयंत्र में उर्वरक का उत्पादन १००० टन प्रति दिन के अन्तिम लक्ष्य तक पहुंच गया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह एक सीमित प्रश्न है । सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूं कि जनता का यह विचार, कि सिन्द्री संयंत्र के उत्पादन की क्षमता १००० टन प्रति दिन की है, पूर्णतया सही नहीं है । परिशुद्धरूपेण उस की क्षमता ९६० टन प्रति दिन की है । साल भर के हिसाब से इस क्षमता में और भी कमी आ जाती है । कुछ दिनों के लिये संयत्र मरम्मत आदि के लिये बन्द रहता है । अतः सिन्द्री का वर्ष भर का कुल यथार्थ उत्पादन ३ लाख टन के लगभग है । हम उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील हैं ।

यह बड़ा संजटिल संयंत्र है । कुछ गति-रोध अथवा अव्यवस्थायें उत्पन्न हो जाती हैं और कुछ दोष दिखाई देने लगते हैं । हम को प्रारम्भ से अन्त तक सतर्क रहना पड़ता है । सब काम प्राविधिक विशेषज्ञों की सहायता से किया जा रहा है और हम यथासंभव लक्ष्य-प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील हैं ।

श्री बर्मन : वर्तमान परिस्थितियों में कितना उत्पादन होता है ?

श्री के० सी० रेड्डी : वर्तमान उत्पादन साधारणतः ७५० टन प्रति दिन है ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या सरकार द्वारा किन्हीं उर्वरक परियोजनाओं के बारे में विचार किये जाने से पूर्व भूमि-सर्वेक्षण पूरा हो जाता है ?

श्री के० सी० रेड्डी : जी हां, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय अपने अभिकरणों की सहायता से भूमि-सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य में संलग्न हैं ।

श्री एन० एल० जोशी : इस कारखाने के विस्तार की संभाव्य लागत क्या होगी ?

श्री के० सी रेड्डी : यूरिया तथा दोहरे लवण के बनाने के सम्बन्ध में ही केवल सिन्द्री का विस्तार होगा । यह कहना कठिन है कि इस सम्बन्ध में सिन्द्री के विस्तार करने में अन्ततः कितना व्यय होगा । परन्तु स्थूल रूप से ७ करोड़ रुपया अथवा इस के आस पास की ही रकम खर्च होगी । यह एक अत्यन्त स्थूल प्राक्कलन है ।

सरकारी भूमि का मूल्य

***११८७. श्री साधन गुप्त** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विस्थापित व्यक्तियों को बेची जाने वाली सरकारी भूमि का मूल्य किस आधार पर निश्चित किया जाता है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : राज्य सरकारों से जानकारी कट्ठी की जा रही है और केन्द्र तथा राज्यों दोनों के सम्बन्ध में यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री साधन गुप्त : दिल्ली में भूमि बेचने के लिये इस विषय में केन्द्रीय सरकार किस प्रक्रिया का अनुसरण करती है ?

श्री० जे० के० भोंसले : मैं ने बताया कि जानकारी इकट्ठी की जा रही है ।

श्री साधन गुप्त : मैं केन्द्रीय सरकार के बारे में पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय: वह जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं ।

श्री साधन गुप्त: उन्हों ने राज्य सरकारों से कहा था ।

अध्यक्ष महोदय : दोनों से । बाद में उन्हों ने यही कहा था ।

श्री साधन गुप्त : केन्द्रीय सरकार से भी !

अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड

*११८९. **श्री आर० एस० लाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) अक्तूबर १९५२ में अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का गठन तदर्थ रूप से किया गया था और तब से प्राप्त किये गये अनुभव के आधार पर इस का पुनर्गठन किया गया है ।

दिया सलाई के कारखाने

*११९०. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या छोटे छोटे दियासलाई निर्माताओं ने बड़े बड़े सार्थों से संरक्षण दिये जाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या सरकार की यह नीति है कि छोटे छोटे निर्माताओं की सहायता की जाये और यदि हां, तो सरकार का इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री० टी० टी० कृष्णमाचारी: मेरे लिये इस प्रकार का वचन देना बड़ा कठिन है । जहां कहीं भी छोटे छोटे एकक कठिनाई में होते हैं और वे किसी आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, उन की सहायता की जाती है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : इन छोटे छोटे एककों का उत्पादन कितना है और यह बड़े बड़े एककों के उत्पादन की तुलना में कम है या अधिक ?

श्री टी० टी कृष्णमाचारी : छोटे छोटे एकक बहुत अच्छे चल रहे हैं । १९५० में सब से बड़े एकक में पचास ग्रुस दिया-सलाइयों की (प्रत्येक साठ तीली वाली) ३,८८,८७१ पेटियां तैयार की गई थीं । छोटे छोटे एककों ने १,३४,७७१ पेटियों का उत्पादन किया था । १९५३ में बड़े एककों ने ४,१७,००० पेटियों का उत्पादन किया था और छोटे एककों ने २,७५,००० पेटियों का उत्पादन किया था । चालू वर्ष में जनवरी और जून के बीच बड़े एककों ने १,६६,००० पेटियों का उत्पादन किया है और छोटे एककों ने १,२९,००० पेटियों का उत्पादन किया है । इस प्रकार माननीय सदस्य देखेंगे कि छोटे छोटे एकक बहुत अच्छे चल रहे हैं ।

श्री के० पी त्रिपाठी : क्या यह सच है कि बड़े पैमाने के उद्योग का एकाधिपत्य होने के कारण वे बहुत अधिक लाभ कमा रहे हैं और यदि हां, तो क्या कुटीरोद्योग क्षेत्र के विकास के लिये सरकार का कोई उप-कर लगाने का विचार है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे भय है कि पहले तथा दूसरे भाग में कुछ ऐसी बात कही गई है जिस का ठीक प्रकार से अनुमान नहीं लगाया जा सकता । वे जो लाभ कमाते हैं हम ने उन के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की है । यदि वस्तुतः अधिक लाभ कमाते हैं तो सरकार को उत्पादन शुल्क बढ़ाने की सम्भावना पर विचार करना

होगा, जिस से कि इस से राज्य-कोष को लाभ पहुंच सके ।

डा० रामा राव : क्या यह सच है कि बड़े बड़े कारखानों में अधिकांश पूंजी विदेशियों की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह सच है ; मैं समझता हूं कि सभा इस बात को काफी अच्छी प्रकार जानती है ।

धान कूटकर चावल बनाने का उद्योग

*११९१. **श्री डाबी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २ अप्रैल १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५३१ के उत्तर का उल्लेख करते हुए यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या सरकार ने धान कूट कर चावल बनाने के उद्योग के सम्बन्ध में अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम्य उद्योग बोर्ड की सिपारिशों को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

(ख) सरकार ने एक समिति की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में निश्चय किया है जो देश में प्रचलित विभिन्न प्रकार की चावल मिलों का सभी सुसंगत दृष्टिकोणों से जैसे प्रविधिक, पौष्टिक, उपभोक्ताओं की प्राथमिकता, आर्थिक व्यवस्था, एवं नौकरी देने आदि के सम्बन्ध में इन के कार्य संचालन के बारे में जांच करेगी । इस समिति की सिफारिशें सरकार के पास आ जाने के बाद ही आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

श्री डाभी : इस समिति की नियुक्ति कब होगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : बहुधा ऐसा ही प्रश्न किया जाता है और उस का उत्तर भी निश्चित होता है । हम शीघ्र ही समिति नियुक्त करने का यथासंभव प्रयत्न कर रहे हैं ।

तिब्बत के सम्बन्ध में भारत-चीन करार

*११९४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या चीन सरकार ने दोनों सरकारों द्वारा अनसमर्थन प्राप्त तिब्बत सम्बन्धी भारत-चीन करार को क्रियान्वित करने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो करार की वे मुख्य मुख्य मदें क्या हैं जोकि क्रियान्वित की गई हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां, करार को क्रियान्वित करने के लिये दोनों सरकारों द्वारा कार्यवाही की जा रही है किन्तु क्रियान्वित करने की प्रक्रिया पूरी होने में कुछ समय लगेगा क्योंकि दोनों ओर से ही बहुत सी बातों के सम्बन्ध में विचार करना है ।

(ख) तीर्थ यात्रा करने वाले तथा व्यापारी उन्हीं रास्तों से आ जा रहे हैं जिन से कि वे आते जाते थे । यात्रियों तथा व्यापारियों के जान और धन के संरक्षण संबंधी सुविधायें दी जा रही हैं । अन्य उपबन्धों के क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में अभी कोई सूचना नहीं मिली है किन्तु उन के क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई नहीं मालूम होती ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या सरकार ने तिब्बत प्रदेश के यातुंग नामक स्थान पर स्थित सैनिक टुकड़ी को पूर्णतः हटा लिया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : अभी तक तो नहीं हटाई है किन्तु मेरा विचार है कि ३१ अक्तूबर से पहले यह काम पूरा हो जायगा ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या सरकार ने तार तथा डाक सेवायें और सामान तथा मकानादि चीन सरकार को हस्तान्तरण करने का विचार किया है ; यदि हां तो उस के लिये कितना मूल्य निश्चित हुआ है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जी हां, तार तथा डाक संस्थापन हम चीन सरकार को हस्तान्तरण करेंगे ; धनराशि लेने के बारे में निश्चित रूप से मुझे पता नहीं है, किन्तु मेरा विश्वास है कि सरकार का विचार इन संस्थानों को चीन सरकार को उपहार स्वरूप देने का है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस करार पर हस्ताक्षर करने के पश्चात्, भारत और तिब्बत के बीच होने वाले व्यापार में कोई कमी हुई है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं तो ऐसा नहीं समझता ।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : नहीं ।

श्री भक्त दर्शन : इस इकरारनामे के साथ जिस पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे, उस की ९वीं धारा में यह लिखा गया है कि प्रत्येक सरकार दूसरे देश के व्यापारियों और तीर्थ यात्रियों की जान और सम्पत्ति की रक्षा करेगी । क्या सरकार के ध्यान में यह आया है कि हाल ही में जब कलकत्ता कारपोरेशन के एक भूतपूर्व मेयर श्री शरत कुमार रायचौधरी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने गये थे तो उन के कैम्प पर डाका डाला गया और उन के बहुत से रुपये और सम्पत्ति की चोरी हो गई ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : हमें इस की सूचना तो नहीं मिली है, आप भेज दें तो हम कुछ दर्याफ्त करें ।

उच्चतम न्यायालय भवन

***११९५. ठा० लक्ष्मण सिंह चरक** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि उच्चतम न्यायालय का भवन कब तक बन कर तैयार हो जायगा ;

(ख) यह भवन किस स्थान पर बन रहा है; और

(ग) क्या भवन निर्माण का कार्य प्रथम पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) लगभग तीन वर्ष ।

(ख) यह स्थान हार्डिज पुल के निकट दिल्ली-मथुरा सड़क तथा हार्डिज एवेन्यू के बीच में है ।

(ग) जी हां ।

ठा० लक्ष्मण सिंह चरक : इस भवन निर्माण के लिये कितना धन नियत किया गया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : कुल प्राक्कलन ४५ लाख रुपये है ।

ठा० लक्ष्मण सिंह चरक : क्या योजना पूरी हो गई है ? निर्माण कार्य कबसे प्रारम्भ होगा ?

सरदार स्वर्ण सिंह : निर्माण कार्य कुछ तो शुरू हो गया है, नींव डालने का कार्य हो रहा है ।

श्री साधन गुप्त : क्या योजना में उच्चतम न्यायालय भवन के निकट वकीलों के

आवास के लिये भवन बनाने का कार्य भी सम्मिलित है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : योजना के प्रथम भाग में तो नहीं है ।

मूंगफली (मूल्यों में गिरावट)

***११९८. श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या मूंगफली के मूल्य में अभी हाल में, बहुत भारी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ;

(ग) मूल्य को एक उचित स्तर पर स्थिर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) भारतवर्ष तथा विदेशों में कृषि-उत्पादित वस्तुओं के मूल्य स्तर में सामान्य कमी तथा मूंगफली की अच्छी फस्ल होने के कारण ही इस के मूल्य में कमी हुई है ।

(ग) मूंगफली के तेल की थोड़ी मात्रा का निर्यात करने की छूट २९ जुलाई १९५४ को दी गई थी, और २ सितम्बर १९५४ से निर्यात शुल्क ३५० रु० प्रति टन से घटा कर २२५ रु० प्रति टन कर दिया गया है । मूल्यों के उतार चढ़ाव पर सरकार बहुत कड़ी निगाह रख रही है ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या सरकार ने तेल का मूल्य स्थिर करने के लिये मूल्य-स्तर के सम्बन्ध में मद्रास, हैदराबाद, मैसूर तथा आंध्र राज्य सरकारों के विचारों के सम्बन्ध में पता कर लिया है ?

श्री करमरकर : इस के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या सरकार का विचार यह है कि देश में मूंगफली का मूल्य कृत्रिम रूप से नहीं घटाया गया है अपितु स्वाभाविक रूप से ही यह ऐसा हो गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य उस क्षेत्र के बारे में अधिक जानते हैं जिस से कि वह आये हैं और संभवतः वह यह जानते हैं कि वहां मूल्य कृत्रिम रूप से गिराया गया है अथवा नहीं । जहां तक हमारी बात है हमारा विचार तो यह है कि बाज़ार की स्थिति ही वास्तव में मूल्य निर्धारित करती है । बाज़ार की स्थिति के अनुसार मूल्य घटते बढ़ते रहते हैं और उन में किसी प्रकार की बाधा न पड़ने देने के लिये हम समय समय पर निर्यात का विनियमन करते हैं ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या साथ ही साथ वनस्पति के मूल्य में भी कमी हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य वनस्पति उद्योग के बारे में कुछ जानते हैं तो वह स बात का अनुभव करेंगे कि यह उद्योग बहुत कठिनाई में है । बहुत सी वनस्पति उत्पादक काइयां उत्पादन नहीं कर रही हैं और मूंगफली के तेल के मूल्य की गिरावट की अपेक्षा वनस्पति के मूल्य में सम्भवतः अधिक गिरावट है क्योंकि जब एक बार माल तैयार हो जाता है और उसे रोकने की गुंजाइश नहीं होती तो उन्हें यह माल बाज़ार में बेचना ही पड़ता है ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या मैं पूछ .....

अध्यक्ष महोदय : हमें अधिक विवाद नहीं करना चाहिये । अगला प्रश्न ।

श्री सी० आर० चौधरी : एक प्रश्न ।

अध्यक्ष महोदय : हम अगला प्रश्न लेंगे ।

उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण

*११९९. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण में अब भी कोई ऐसा क्षेत्र है जो किसी देश के राज्यान्तर्गत नहीं आता ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के क्षेत्र का विस्तार कितना है ; और

(ग) सरकार ने उस क्षेत्र को अपने प्रशासन में लाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री के सभा-सचिव (श्री जे० एन० हजारिका) : (क) तथा (ख) : उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है । इस अभिकरण का सम्पूर्ण भाग भारतीय राज्य क्षेत्र में है । स्वभावतः कुछ क्षेत्र दूसरों की अपेक्षा अधिक विकसित हैं ।

(ग) प्रशासनीय ढांचे का पुनर्गठन इस वर्ष जनवरी में हुआ था । एक वरिष्ठ तथा अनुभवी पदाधिकारी की नियुक्ति आसाम के राज्यपाल के परामर्शदाता के रूप में की गई थी । इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिये सात राजनयिक तथा १७ सहायक राजनयिक पदाधिकारियों को विशेष रूप से नियुक्त किया गया था । उन की सहायता के लिये असैनिक सशस्त्र पुलिस बल के दस्ते थे । इन के अतिरिक्त बहुत से विकास विभाग जैसे कृषि, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण तथा गवेषणा की स्थापना की गई है और वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं । एक सुविख्यात नरतत्वीय विज्ञान वेत्ता को आदिम जातीय परामर्शदाता तथा सरकार को इन मामलों में सलाह देने के लिये नियुक्त किया गया है ।

श्री अमजद अली : क्या अभी हाल में राज्यपाल के वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति हुई है ?

श्री जे० एन० हजारिका : जी हां ।

श्री के० के० वसु : क्या इन क्षेत्रों में शिक्षा का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है अथवा इन विशिष्ट क्षेत्रों में अब भी गैर-सरकारी धर्म प्रचारक अभिकरण हैं ?

श्री जे० एन० हजारिका : सरकारी अभिकरणों द्वारा ।

टेहरी-गढ़वाल में कागज-उद्योग

*१२०१. **श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि टेहरी-गढ़वाल जिले में पर्याप्त कच्चा माल प्राप्त होने की सुविधा के कारण क्या वहां कागज-उद्योग प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : टेहरी-गढ़वाल में कागज की मिल खोलने के विषय में सरकार को अभी तक कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या सरकार को पता है कि यदि वहां एक मिल खोल दी जाय तो वह जिला बड़ा समृद्ध हो जायगा ?

श्री करमरकर : क्या वहां कच्चा माल काफी है ?

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : वहां ऐसा सामान है जिस से एक दियासलाई का कारखाना या कागज का कारखाना खोला जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इस की कोई सूचना नहीं मांगी गई है। हम अगला प्रश्न लेते हैं।

पिंप्री में पेंनीसिलीन का कारखाना

***१२०३. श्री डाभी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पूना के समीप पिंप्री में पेनीसिलीन के कारखाने का कब्जा व प्रबन्ध हिन्दुस्तान एन्टीब्योटिक्स लिमिटेड ने अपने हाथ में ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ; और

(ग) वह कारखाना उत्पादन कब प्रारंभ करेगा ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) जी हां। १ जून, १९५४ से पेनीसिलीन के कारखाने का कब्जा व प्रबन्ध, हिन्दुस्तान एन्टीब्योटिक्स लिमिटेड को सौंप दिया गया। यह समवाय शत प्रतिशत भारत-सरकार का है।

(ख) यह कार्य सरकार के इस दृष्टि-कोण के अनुसार किया गया है कि समवाय की किस्म के संगठन, सरकार के औद्योगिक व्यवसाय के प्रबन्ध के अन्तर्गत उचित हैं।

(ग) इस वर्ष के अन्त तक कारखाने के पूर्ण निर्माण तथा कार्य के बीजारोपण की आशा है। पेनीसिलीन-उत्पादन कुछ समय पश्चात् प्रारम्भ हो जायगा।

श्री डाभी : मैं जानना चाहता हूं कि वार्षिक उत्पादन कितना होगा तथा इस से हमारी आवश्यकता कहां तक पूरी होगी ?

श्री आर० जी० दुबे : अनुमान है कि प्रतिवर्ष ३६ लाख मेगायूनिट का उत्पादन होगा जो धीरे धीरे ९० लाख मेगायूनिट तक जायगा। यह आशा की जाती है कि प्रगति करने पर यह १½ करोड़ मेगा-यनिट तक पहुंच जायगा। यह आंका गया है कि हमारी वार्षिक आवश्यकता २ करोड़ मेगायूनिट के लगभग है।

श्री के० के० बसु : मैं जानना चाहता हूं कि जब यह कारखाना कार्यारम्भ करेगा तब पेनीसिलीन के वर्तमान मूल्य के अनुपात में उस का मूल्य कितना घट जायगा ?

श्री आर० जी० दुबे : इतनी जल्दी यह कैसे कहा जा सकता है किन्तु जब उत्पादन होगा तब मूल्य निस्सन्देह घट जायगा।

श्री के० के० बसु : ऐसा सदैव नहीं होता।

श्री जी० पी० सिन्हा : मैं जानना चाहता हूं कि इस समय कितने कारखाने पेनीसिलीन बना रहे हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : भारत में अभी इस के कोई कारखाने नहीं हैं। केवल वही एक कारखाना है जो उत्पादन प्रारम्भ करने वाला है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-सूची पूरी हो गई है। अब मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को लेता हूं जो अधिकृत हैं। श्री राधारमण, प्रश्न संख्या ११५४।

संगठन तथा पद्धिति विभाग

***११५४. श्री राधा रमण (श्री एस० एन० दास की ओर से)** : क्या **प्रधान-मंत्री** १८ फरवरी, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्र में बनाये गये संगठन तथा पद्धति विभाग ने कार्य के लिये क्या कोई योजना तथा कार्यक्रम बनाया है :

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या राज्यों से प्रवर कर्मचारियों के शिक्षण के लिये कोई प्रबन्ध किया गया

ताकि वे भी उसी प्रकार के संगठन तथा पद्धति विभाग स्थापित कर सकें ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरू) : (क) और (ख). संगठन तथा पद्धति विभाग के कार्यक्रमों तथा कार्यों की टिप्पणी पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २०]**.

(ग) राज्यों में इसी प्रकार की इकाइयां बनाने का कार्य, राज्यों के ऊपर निर्भर है। उन में से कुछ के निवेदन करने पर, केन्द्रीय संगठन तथा पद्धति विभाग की पूर्ण सूचना उन्हें दी गई है। राज्यों से, कर्मचारियों के शिक्षण के लिये अभी कोई निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री राधा रमण : माननीय प्रधान मंत्री द्वारा पटल पर रखे गये विवरण में लिखा है कि ऐसे अनेक उदाहरण पाये गये कि जिन लोगों का यह कर्तव्य था कि वे निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें, वे उस की अवहेलना करते थे तथा जिन का यह कर्तव्य था कि वे उस के पालन पर ज़ोर देते, वे ऐसा नहीं करते थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : उन से प्रक्रिया का पालन करने के लिये कहा गया है।

श्री राधा रमण : मैं जानना चाहता हूं कि इसे लागू करने के लिये विभिन्न मंत्रालयों से सामयिक प्रतिवेदन मंगाने के विचार पर क्या सरकार ध्यान दे रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यदि माननीय सदस्य विवरण को पढ़ें तो शायद उन्हें उस में काफी प्रतिवेदन मिलेगा।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी संस्था है जो संगठन तथा पद्धति विभाग के कार्यों के परिणाम पर विचार करे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : समस्त संगठन तथा पद्धति विभाग ही इसलिये हैं कि वह अपने कार्य का मूल्यांकन करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल पूरा हो गया।

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

तैरी खोल से भेजे गये सत्याग्रहियों की सुरक्षा

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि गोआ म सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ करने से ले कर अब तक, भारतीय सत्याग्रहियों के तीन जत्थे करवर, बन्दा तथा तेरोखोल के मार्ग से वहां भेजे गये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि ये सब जत्थे गोआ के प्राधिकारियों द्वारा बन्दी बना लिये गये ;

(ग) क्या यह सच है कि तेरीखोल से भेजे गये सत्याग्रहियों के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं है ; और

(घ) क्या सरकार को इन सत्याग्रहियों की सुरक्षा के विषय में कोई सूचना है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (घ) तक। गोआ के राष्ट्रीय दलों द्वारा पूर्व-घोषित योजनाओं के अनुसार, १५ अगस्त को गोआ के सत्याग्रहियों के क्रमशः १५, १९ तथा १२ लोगों के तीन जत्थों ने गोआ में प्रवेश किया। पहले जत्थे ने अहिंसात्मक रूप से तेरीखोल दुर्ग पर कब्ज़ा कर लिया और भारतीय राष्ट्रीय झण्डा फहराया जबकि अन्य दो जत्थे जो गोआ-भूमि में आगे बढ़े थे, उन्हें पुर्तगाली पुलिस द्वारा बन्दी बना लिये गये।

तेरीखोल दुर्ग पर भारतीय राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले स्वयंसेवकों को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और समाचारों के अनुसार, वे किसी पुर्तगाली आवास में ले जाये गये। १५ अगस्त को गोआ में जाने वाले स्वयंसेवकों के बारे में इस से अधिक सूचना सरकार के पास नहीं है। विस्तृत सूचना पाने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि तेरीखोल में सत्याग्रहियों को बन्दी बनाने से पूर्व पुर्तगाली प्राधिकारियों ने गोली चलाई और यदि हां, तो क्या उस से किसी की मृत्यु हो गई ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस की ठीक ठीक सूचना पाना कठिन है। गोली चलाई गई थी, यह स्वीकार किया गया है ; किन्तु जहां तक मुझे पता है, किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार को यह सूचना मिली है कि पुर्तगाली प्राधिकारियों ने सत्याग्रहियों के साथ दुर्व्यवहार किया ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हां, श्रीमान्।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने भारतीयों को सत्याग्रह-आन्दोलन में भाग लेने की आज्ञा देने की स्थिति पर विचार किया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : नहीं, श्रीमान। भारत-सरकार ने जिस स्थिति को अपनाया है तथा जो स्थिति अभी तक विद्यमान है वह यह है कि हम गोआनियों के अतिरिक्त अन्य लोगों को इस सत्याग्रह में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित नहीं करते।

श्री गिडवानी खड़े हुए—

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं ...

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। श्री गिडवानी।

श्री गिडवानी : क्या सरकार का ध्यान परसों के पत्रों में प्रकाशित सूचना की ओर गया है कि पुर्तगाली पुलिस के कई आदमी भारतीय सीमा में सतारा जिले के कुबरुर्नी गांव में घुस गये, कई मकानों की तलाशी ली और जब गांव वालों ने काशीनाथ तेन्दुलकर नामक राष्ट्रीय कार्यकर्ता के बारे में कोई सूचना देने से इन्कार किया तो उन को निर्दयतापूर्वक पीटा गया।

श्री जवाहरलाल नेहरू : हां, हम ने पत्रों में यह सूचना पढ़ी थी जिस के बारे में पूछताछ की गई किन्तु पूर्ण सूचना प्राप्त किये बिना इस बारे में कुछ कहना मैं उचित नहीं समझता।

श्री जोकीम आल्वा : क्या यह सच है कि कुछ ब्रिटिश तथा अमरीकी प्रेस संवाददाता, जो एक पुर्तगाली युद्धपोत में कराची से गोआ ले जाये गये थे, १५ अगस्त के दिन गोआ में घूमते हुए पाये गये जबकि भारतीय संवाददाता वहां एक भी न था ; विशेष रूप से पी० टी० आई० या यू० पी० आई० के संवाददाताओं के लिये उस दिन गोआ में प्रवेश वर्जित था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य की सूचना लगभग सही है।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार की यही इच्छा है कि गोआ स्वातंत्र्य आन्दोलन में केवल गोआनियों को ही भाग लेने दिया जाय, भारतीयों को नहीं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरे लिये यह कहना कठिन है कि विशेष परिस्थिति में सरकार कौन सी नीति अपनाये, किन्तु वर्त-

मान नीति यही है कि गोआनियों के अलावा अन्य लोगों को प्रोत्साहित न किया जाय। माननीय सदस्यों को याद होगा कि अनेक गोआनी ऐसे हैं जो भारत-निवासी भी हैं, इसीलिये मैं ने 'भारतीयों' कहने के स्थान पर 'गैर-गोआनी' शब्द का प्रयोग किया है।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रासायनिक उद्योग

*११५६. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि देश में रासायनिक उद्योग औसतन ५० प्रतिशत बेकार हो गया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो इस को काम में लाने के क्या उपाय किये गये हैं अथवा व्यवहार में लाने के क्या उपाय विचाराधीन हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

धातुकार्मिक कोयला

*११५९. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि धातुकार्मिक कोयले का उत्पादन भारतवर्ष में औद्योगिक आवश्यकताओं से अधिक है ; तथा

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत ; तथा

(ग) जब रूरकेला का इस्पात का नवीन कारखाना उत्पादन प्रारम्भ करेगा तो क्या स्थिति होगी ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) मेरे विचार सदस्य महोदय का इंगित धातुकार्मिक उद्योगों की आवश्यकताओं की ओर है। यदि ऐसा है, तो उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) धातुकार्मिक कोयले की क तथा ख श्रेणियों, जोकि धातुकार्मिक उद्योगों में व्यवहार में लाई जाती हैं, का वर्तमान उत्पादन आवश्यकताओं से लगभग शत प्रतिशत अधिक है।

(ग) क तथा ख श्रेणियों का उत्पादन, आवश्यकता से लगभग २५ प्रतिशत अधिक होगा।

निराश्रित स्त्रियों का पुनर्वास

*११६२. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान की निराश्रित स्त्रियों के सहकारी पुनर्वास की योजना को, सरकार ने स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कितनी स्त्रियों का पुनर्वास होगा ;

(ग) इस के लिये कितनी राशि की स्वीकृति दी गई ; तथा

(घ) इस योजना के अन्तर्गत कोई उत्पादन-केन्द्र भी खोला जायेगा ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी हां।

(ख) २५०, निराश्रित स्त्रियां।

(ग) ३,७१,९८० रुपये।

(घ) जी हां।

केन्द्रीय सचिवालय में आग

*११६४. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **निर्माण आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जनवरी १९५३ से जुलाई १९५४ तक केन्द्रीय सचिवालय में कितनी बार आग लगी ;

(ख) आग की इन दुर्घटनाओं में अनुमानतः कितनी सम्पत्ति की हानि हुई ; तथा

(ग) कितने मामलों में जांच की गई ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) टैकनिकल अर्थ में, इस काल में आठ बार आग लगी, परन्तु वास्तव में इन में से दो को ही आग की दुर्घटना कहा जा सकता है ।

(ख) लगभग ८५,२०० रुपये ।

(ग) तुरन्त ही जांच की गई । दो बड़ी आगों में खुली तौर पर जांच की गई ।

प्लाईवुड की वस्तएं

*११६५. **श्री अजित सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय प्लाईवुड वस्तुओं में जिन बुराइयों की शिकायत की जाती है ; सरकार उन बुराइयों को हटाने के क्या उपाय कर रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : मेरे विचार से माननीय सदस्य का इंगित प्लाईवुड की बनी चाय की पेटियों की ओर है ।

सूचना सम्बन्धी एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २१]**.

बाईसिकल

*११६६. **श्री बालकृष्णन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में साइकिल बनाने तथा साइकिल जोड़ने वाले भारत में कितने कारखाने हैं ; तथा

(ख) उन का वार्षिक उत्पादन क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) पूरी साइकिलें बनाने के कुल छः संगठित कारखाने हैं ।

(ख) १९५२ में लगभग १·९७ लाख साइकिलें, १९५३ में २·६४ लाख साइकिलें तथा जनवरी से जून १९५४ तक १·६३ साइकिलें बनाई गई हैं ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में दैनिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारी

*११७१. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मंडपम् कैम्प के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दैनिक मजदूरी पर लगे कर्मचारियों को स्थानीय महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है जबकि वहां पर नियुक्त अन्य विभागों के कर्मचारियों को यह भत्ता दिया जाता है ; तथा

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार सवर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) दैनिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों की सेवा की स्थिति नियमित कर्मचारियों के समान नहीं है ।

तिब्बत के सम्बन्ध में चीन तथा भारत की संधि

*११७२. **श्री वोडयार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तिब्बत के सम्बन्ध में चीन तथा भारत की संधि से भारत तथा चीन का व्यापार कुछ कम हो गया है ; और

(ख) क्या यह सच है कि जो भारतीय व्यापारी तिब्बत से व्यापार करते थे, उन पर इस का बहुत बुरा असर पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तिब्बत सम्बन्धी चीन तथा भारत का करार, भारत तथा चीन के बीच व्यापार पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालता ।

(ख) नहीं श्रीमान् ।

ग्रामीन आवास

***११७५. श्री एन० राचय्या** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मैसूर राज्य के सामुदायिक परियोजना क्षेत्र में कृषकों तथा भूमिहीन कामकरों पर ग्रामीण आवास के अन्तर्गत अब तक कितना धन व्यय किया गया है; और

(ख) तथाकथित भाग में अब तक कितने मकानों का निर्माण हो चुका है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) ३१-८-५४ तक ६५,१०० रुपये ।

(ख) अब तक २१७ मकान बनाये गये और उन की मरम्मत की गई ।

गन्दी वस्तियों का हटाया जाना

***११७८. ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों की गन्दी बस्तियों को हटाने की कोई अन्तिम योजना बनाई है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : श्रीमान्, अभी नहीं ।

विस्थापित व्यक्तियों की दुकानों तथा घरों का नीलाम

***११८८. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दिल्ली के विस्थापित व्यक्तियों का उन की दुकानों तथा घरों के नीलाम के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; तथा

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ।

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) तथा (ख) । जी हां । कुछ खाली सरकारी मकान नीलाम किये जायेंगे । जिन मकानों पर विस्थापित व्यक्तियों का कब्जा है उन्हें उन दावेदारों को जिन के दावों की जांच की जा चुकी है तथा उन गैर दावेदार कब्जा जमाने वालों को जिन से किस्तों में उन के मूल्य की रकम प्राप्त होगी, हस्तान्तरित किया जायगा । निष्क्रान्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में, ऐसा सोचा गया है कि जहां भी कुछ छोटे नगरों को छोड़ कर मकानों की कीमत लगभग ५००० रुपये है, वहां उन्हें साधारणतया बेचा जायगा तथा इस से कम कीमत वाले मकानों का नियतन होगा।

अबक प्रव्रजक

***११९२. श्री एस० एन० दास** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) श्री लंका के साथ किये गये जनवरी १९५४ के करार के पश्चात् श्रीलंका सरकार ने कितने भारतीयों को अवैध प्रव्रजक घोषित किया, तथा

(ख) उन में से कितने भारत भेजे जा चुके हैं ।

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) पहली जनवरी १९५४ से १५ अगस्त, १९५४ तक ७४८ व्यक्ति अवैध प्रव्रजक घोषित किये गये हैं तथा श्रीलंका सरकार ने उन्हें वापस जाने के आदेश दिये हैं ।

(ख) इन घोषित अवैध प्रव्रजकों में से ६४१ भारत वापस भेजे गये हैं ।

दामोदर घाटी निगम

*११९३. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दामोदर घाटी निगम के तिलैया, कोनार, बोकारो, मैथोन तथा पंचेत पर्वत नाम के पांच जलाशयों के क्षेत्र में मकानों और ज़मीनों के जलमग्न होने से कितने व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रभावित व्यक्तियों ने खेती के योग्य बनाई गई उस भूमि को स्वीकार नहीं किया है ; तथा

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) तक. विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २२]**.

मैसूर के लिये आवास योजना

*११९६. **श्री वोडयार** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मैसूर सरकार ने बंगलौर तथा मैसूर के नगरों में औद्योगिक कारीगरों को बसाने की आवास योजना प्रस्तुत की है ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने उस को स्वीकार कर लिया है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां ।

स्याही उद्योग

*११९७. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि स्वदेशी फाउण्टेन पेन स्याही उद्योग का उत्पादन सामर्थ्य वर्तमान आवश्यकताओं से अधिक है ; और,

(ख) इस उद्योग को इस देश में स्थापित होने वाले विदेशी एककों से प्रतियोगिता करने में सहायता देने की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) प्रशुल्क आयोग ने अनुमान लगाया है कि उस की मांग २ औंस वाली ९ लाख दर्जन बोतलों के लगभग है । अनेक एककों के सामर्थ्य का सम्पूर्ण योग लगभग ३५ लाख दर्जन बोतलें थी । स्याही उद्योग सरीखे किसी भी उद्योग में प्रभावशाली सामर्थ्य का कोई भी अनुमान अवश्य दोष-पूर्ण होगा । ऐसे उद्योगों के आवश्यक यंत्रीकरण के मानांक और प्रवृत्ति का अनुमान करने के लिये कोई प्रमाप निश्चित नहीं किया जा सकता ।

(ख) यह उद्योग अनुसूचित उद्योग नहीं है और सरकार को किसी एकक को प्रारम्भ करने की आज्ञा देने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि उस की पूंजी में विदेशी साझेदार शामिल न हो ।

प्रक्ष-मण्डल (ब्रेन्स ट्रस्ट)

*१२००. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी ने प्रक्ष-मण्डल (ब्रेन्स ट्रस्ट) तथा विभिन्न विषयों पर वार्ता की प्रकार के

कार्यक्रमों का स्थायी ठेका कुछ लोगों को दे दिया है ; और

(ख) ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने वाले खास खास व्यक्तियों को क्या कुछ पारिश्रमिक दिया जाता है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) केवल खास खास भाग लेने वालों को ही नहीं, बल्कि सभी भाग लेने वालों को पारिश्रमिक दिया जाता है ।

तिलैया बांध

*१२०२. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को पता है कि पिछली बरसात में तिलैया बांध के ऊपर से बाढ़ के पानी के बहने से बाराकर नदी ने अपना मार्ग बदल दिया और बाढ़ का पानी चौपारन गांव के भीतर तक पहुंच गया ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितने परिवार विस्थापित हुए ;

(ग) कृषि-योग्य डूबी हुई भूमि का क्षेत्रफल कितना है ; और

(घ) क्या सरकार या दामोदर घाटी निगम द्वारा पीड़ितों की सहायता के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) नहीं, श्रीमान् । गत बरसात में तिलैया बांध के ऊपर से बाढ़ का पानी नहीं बहा, बाराकर नदी ने अपना मार्ग नहीं बदला, न तो चौपारन गांव में कोई बाढ़ आई ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

'रोप' नाम की फिल्म

*१२०४. **श्री एस० एन० दास**: क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि 'रोप' नाम की एक विदेशी फिल्म जिस पर कुछ समय पूर्व प्रतिबन्ध लगा दिया गया था अब प्रदर्शित की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों से उस के प्रदर्शन की अनुमति दी गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) 'रोप' नाम की चलचित्र फिल्म को प्रारम्भ में भूतपूर्व पश्चिमी बंगाल चलचित्र विवाचन बोर्ड द्वारा नवम्बर १९४८ में एक प्रमाणपत्र दिया गया था और वह फिल्म बम्बई राज्य को छोड़ कर, जहां पर जुलाई १९४८ में भूतपूर्व बम्बई बोर्ड ने उस प्रमाण पत्र को अमान्य कर दिया था सारे भारत वर्ष में प्रदर्शित किया गया बाद में जब मार्च १९५१ में वह केन्द्रीय चलचित्र विवाचन बोर्ड के सामने प्रस्तुत की गई तो 'केवल वयस्कों के लिये' निबन्धन लगा कर उसे सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्वीकार कर लिया गया ।

(ख) केन्द्रीय चलचित्र विवाचन बोर्ड की परीक्षक समिति के प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि चलचित्र का उपसंहार यह सिद्ध करने के लिये बहुत अच्छा था कि एक अपराध चाहे कितने ही सुन्दर ढंग से किया गया हो, अन्त में दण्डित होता है फिर भी समिति का विचार है कि कहानी के कुछ स्थल ऐसे हैं जो उसे बच्चों के लिये अनुपयुक्त बना देते हैं ।

नारियल

५६८. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि नारियल के मूल्य में भयोत्पादक कमी हो जाने के कारण मलबार के कृषकों को आज आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) मूल्यों में कमी हो जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार इस मन्दी को दूर करने के विषय में क्या विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ग). भारत में नारियल के दामों में कोई भयोत्पादककमी नहीं हुई है । जुलाई १९५३—जून १९५४ के वर्ष में कोचीन में नारियल के थोक मूल्य में केवल ११ प्रतिशत कमी हो गई थी । संसार के मुख्य बाजारों में नारियल की गिरी के मूल्य में और भारत में मुख्य तेलहनों के मूल्य में जो कमी हुई है वह साधारणतया कोचीन में नारियल की गिरी के मूल्य में हुई कमी से बहुत अधिक है । स के अतिरिक्त, युद्ध पूर्व के मूल्यतल से तुलना करने पर हमें पता लगेगा कि नारियल की गिरी का वर्तमान मूल्य मुख्य तेलहनों की अपेक्षा कहीं अधिक है ।

(ख) सभी खेतिहर वस्तुओं के मूल्यों के सामान्य तल की कमी के समधीत, का विचार नारियल के मामले में भी किया जाता है ।

उड़ीसा में समुदायिक परियोजना क्षेत्र

५६९. **श्री के० सी० जेना** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उड़ीसा राज्य में सामुदायिक परियोजना क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ होने से जून १९५४ के अन्त तक जिलानुसार कितने वर्ग एकड़ भूमि में सिंचाई के छोटे और बड़े काम किये गये ;

(ख) क्या उक्त सिंचाई के साधनों वाली भूमि में उत्पन्न फसलें इस वर्ष की अनावृष्टि से प्रभावित हो गई हैं ;

(ग) उड़ीसा के बालासूर जिले में सामुदायिक परियोजना क्षेत्र के कृषकों को परियोजना के प्रारम्भ से जून १९५४ के अन्त तक सिंचाई की सुविधायें प्रदान करने में सरकार ने कितनी राशि व्यय की ।

(घ) बालासूर जिले के परियोजना क्षेत्र में क्रमशः कितने नलकूप गाड़े गये हैं और कितने पक्के कुएं खोदे जा चुके हैं ; और

(ङ) बालासूर जिले के परियोजना क्षेत्र में कितने नये तालाब खोदे गये और कितने पुराने तालाबों की मरम्मत कराई गई ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) से (ङ) तक । सूचना राज्य सरकारों से मांगी गई है और उपलब्ध होने पर पटल पर रखी जायेगी ।

कुटीर उद्योग

५७०. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र ने पंजाब सरकार को १९४९-५० से आज तक कुटीर उद्योग के विकास हेतु कितनी राशि प्रत्येक वर्ष दी और उस में से प्रत्येक वर्ष कितनी राशि का उपयोग किया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २३]** ।

चाय समवायों में यूरोपीय चिकित्सा अधिकारी

५७१. **श्री ए० के० गोपालन :**
श्री वी० पी० नायर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में चाय समवायों की सेवाओं में कितने यूरोपीय चिकित्सा अधिकारी हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णामाचारी) : भारत के चाय समवायों द्वारा सरकार को प्राप्त विवरणों से पता चलता है कि १ जनवरी १९५४ को १६ यूरोपीय चिकित्सा अधिकारी उन की सेवाओं में थे ।

ट्राम्बे द्वीप में स्टेन्डर्ड वेकुम आयल रिफाइनरी

५७२. **सरदार हुक्म सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २९ जुलाई, १९५४ को चालू होने वाली स्टैण्डर्ड वैकुम आयल रिफाइनरी से भारत के तेल की आवश्यकता के कितने प्रतिशत की पूर्ति होने की संभावना है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : जब यह रिफाइनरी (तेल शोधक कारखाना) पूर्ण उत्पादन करने लगेगी तो वह संभवतः मिट्टी के तेल के उत्पाद की भारत की वर्तमान आवश्यकता के २८ प्रतिशत की पूर्ति करेगी ।

बिस्कुट

५७३. **सेठ गोविन्द दास :**
श्री अमजद अली :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे :

(क) १९५१-५२, १९५२-५३ और १९५३-५४ में भारतीय कारखानों ने कितने बिस्कुट बनाये

(ख) उक्त अवधि में कितने बिस्कुट विदेशों में भेजे गये ; और

(ग) उस अवधि में भारत में उन की कितनी खपत हुई ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) से (ग) तक । एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २४]।**

अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग प्रदर्शनी

*५७४. **श्री डाभी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अप्रैल, १९५४ में दिल्ली में जो अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग प्रदर्शनी हुई थी, उसे कितने लोगों ने देखा ;

(ख) प्रदर्शनी-दर्शकों ने कितने रुपये के मूल्य की खादी खरीदी ;

(ग) उन्हों ने कुटीर उद्योगों का (खादी के अतिरिक्त) कितने रुपये का माल खरीदा ; और

(घ) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड खादी तथा अन्य ग्राम उद्योगों सम्बन्धी सांख्यिकीय तथा अन्य सूचना एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) लगभग २,५०,००० ।

(ख) लगभग ५,००,००० रुपये

(ग) लगभग १०,४४४ रुपये ।

(घ) हां, श्रीमान् ।

काफी

५७५. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ में अनुमानतः कितनी काफ़ी का उत्पादन हुआ ;

(ख) इस फसल में कितनी काफ़ी का निर्यात हुआ होगा ;

(ग) इस फसल में भारत से निर्यात होने वाली काफ़ी की मात्रा के बारे में कब विनिश्चय किया गया था ; और

(घ) इस फसल की पैदावार में से इस वर्ष देश में कितनी काफ़ी के उपभोग होने की आशा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) २९,००० टन ।

(ख) अब तक ९,००० टन के निर्यात की अनुमति दी गई है ।

(ग) निर्यात की मात्रा तथा जिन मासों में निर्यात की अनुमति दी गई इस प्रकार हैं :—

मात्रा (टनों में)	दिनांक
१०००	फरवरी, १९५४
१०००	मार्च, १९५४
३०००	अप्रैल, १९५४
१०००	मई, १९५४
२०००	जुलाई, १९५४
१०००	सितम्बर, १९५४

(घ) लगभग २०,००० टन ।

रूस को निर्यात

५७६. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत-रूस व्यापार करार होने की तिथि से १ जुलाई १९५४ तक भारत से रूस को कुल कितने मूल्य का निर्यात हुआ है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : २०१ लाख रुपये का ।

आकाशवाणी, नागपुर

५७७. **सरदार ए० एस० सहगल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिये आकाशवाणी के नागपुर केन्द्र से छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रसारण करने के लिये उचित सुविधायें नहीं दी जा रहीं हैं ; और

(ख) १९५१, १९५२, १९५३ में तथा ३० जून, १९५४ तक आकाशवाणी के नागपुर केन्द्र से छत्तीसगढ़ी में कितनी वार्तायें, संभाषण या कहानियां प्रसारित की गईं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) आकाशवाणी के केन्द्र मुख्यतः प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण करते हैं और बोली केवल ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रयोग की जाती है जिन का आधार लोक संगीत तथा लोक-साहित्य हो और ऐसे मामलों में भी बोली प्रयुक्त की जाती है जिन में नाटक की आवश्यकतायें या विशेष अभिव्यक्ति बोली के प्रयोग को आवश्यक बना देती हैं । अतः आकाशवाणी के कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ी में प्रसारण इस आधार पर होता है, और यह कार्यक्रमों के आयोजन की आवश्यकताओं तथा आवश्यक स्तर के लेखों आदि की उपलब्धि पर निर्भर है ।

(ख) एक विवरण, जिस में अपेक्षित सूचना दी गई है, पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २५].**

बिहार को ऋण

५७८. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने १९५४-५५ तथा १९५५-५६ में कुटीर तथा अन्य ग्राम उद्योगों के विस्तार के लिये बिहार राज्य को कितने रुपये के ऋण व अनुदान देना स्वीकार किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : कुटीर तथा विभिन्न छोटे छोटे उद्योगों की स्थिति नीचे दी जाती है :—

१. हथकरघा उद्योग

सम्भव है कि १९५४-५५ में बिहार सरकार को कुल २१,६२,१६० रुपये तक प्राप्त हों। इस वर्ष में अब तक निम्न धन-राशियां स्वीकृत की गई हैं :—

अनुदान	२,४३,९२० रुपये ।
ऋण	८,००,००० रुपये ।
	१०,४३,००० रुपये ।

१९५५-५६ के लिये किसी भी राज्य के लिये कोई अधिकतम मात्रा निर्धारित नहीं की गई है, परन्तु आशा है कि बिहार राज्य को, १९५४-५५ के लिये निर्धारित मात्रा तक प्राप्त हो जाय ।

२. रेशम कृमि पालन उद्योग

१९५४-५५ में अब तक कोई अनुदान या ऋण स्वीकार नहीं किया गया है। ऐसी योजनायें, जिन में कुल ३,७९,५७६ रुपये व्यय होंगे विचाराधीन हैं । १९५५-५६ के लिये कोई नियतन नहीं किया गया है ।

३. छोटे पैमाने के उद्योग

राज्य-योजनायें कार्यान्वित करने हेतु बिहार सरकार को १९५४-५५ के लिये भारत सरकार के चन्दे के रूप में १,९६,८०० रुपय का अस्थायी नियतन किया गया है। इस राशि में से १,२३,५२० रुपये की राशि ऋण के रूप में स्वीकृत की गई हैं । १९५५-५६ के लिये अभी राशि का कोई नियतन नहीं हुआ है ।

४. दस्तकारी

१९५४-५५ में अब तक कोई अनुदान या ऋण स्वीकार नहीं किया गया है । वे योजनायें जिन में १,००,९५२ रुपये व्यय होंगे और जिस के लिये भारत सरकार से ५१,९६९ रुपये देने की प्रार्थना की गई है, विचाराधीन है । १९५५-५६ के लिये अभी तक किसी भी राज्य से योजनायें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

५. खादी तथा ग्राम उद्योग

स्वीकृत योजनाओं के लिये खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड को धन दिया जाता है । बोर्ड देश भर की संस्थाओं में आवश्यक धन बांट देता है । बिहार में जिन संस्थाओं को सहायता दी गई है, उन के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय पटल पर रखी जायेगी ।

पूंजी उपकरण (आयात)

५७९. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचवर्षीय योजना के लिये किन किन देशों से पूंजी उपकरण का आयात किया गया है और प्रत्येक देश को कितने मूल्य के क्रयादेश दिये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : पंचवर्षीय योजना के लिये आयात की कोई विशिष्ट योजना नहीं बनाई गई थी। और न ही ऐसा कोई संघठित विवरण प्राप्य है जिस में योजना के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों तथा अन्य योजनाओं के सम्बन्ध में पूंजी सामान के लिये सरकारी

विभागों या निजी लोगों द्वारा दिये गये क्रयादेशों का विवरण हो ।

विज्ञापन

५८०. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १ जनवरी १९५४ से ३१ जुलाई १९५४ तक मंत्रालय ने जो प्रेस विज्ञापन दिये हैं उन की संख्या कितनी है और उन्हों ने कितने इंच स्थान लिया है ; और

(ख) ये विज्ञापन कितने अंग्रेज़ी तथा भारतीय भाषाओं के पत्रों में प्रकाशित हुए थे ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) इन विज्ञापनों आदि की संख्या ३९८४ थी और उन्हों ने ८४,१९८ कालम (स्तम्भ) इंच स्थान घेरा ।

(ख) अंग्रेज़ी	९१
भारतीय भाषायें	२६१

सामुदायिक परियोजनायें

५८१. **श्री बी० के० दास** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अब तक सामुदायिक परियोजनाओं पर कुल कितना व्यय हुआ है ;

(ख) उस व्यय में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने कितना धन दिया है

(ग) इस कार्य के लिए कितनी विदेशी सहायता ली गई है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को उनके व्यय-भाग की पूर्ति के लिए कितना सहायता-अनुदान और ऋण दिया है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) ३१ मार्च, १९५४ तक ६·९१ करोड रुपये ।

(ख) क्रमानुसार ५·५० करोड़ रुपये (ऋण सहित) और १·४१ करोड़ रुपये ।

(ग) अब तक आयात किया हुआ लगभग ४५ लाख डालर अर्थात् २·१८ करोड़ रुपये के मूल्य का सामान प्राप्त हो गया है । इसमें से अब तक १·०२ करोड़ रुपये के मूल्य के सामान का खानों में प्रमायोजन हो चुका है और यह उपरोक्त (क) तथा (ख) के आंकड़ों में सम्मिलित है ।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने ३१ मार्च, १९५४ तक भाग 'क' तथा भाग 'ख' राज्यों को, ३० जून १९५४ तक के व्यय में अपने भाग के रूप में, जो अग्रिम दे दिये हैं, वे इस प्रकार हैं :—

सहायता अनुदान — ३·६५ करोड़ रुपये
ऋण — ३·०८ करोड़ रुपये

मोटर गाड़ियां

५८२. **डा० सत्यवादी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५३–५४ में भारत की मोटर बनाने वाली विभिन्न कम्पनियों ने विविध प्रकार की कुल कितनी मोटरों का उत्पादन किया;

(ख) देशी तथा विदेशी मोटरों के तुलनात्मक मूल्य क्या हैं ;

(ग) विभिन्न देशी मोटरों के पुर्ज़ों में से कितने प्रतिशत पुर्ज़े आयात किये जाते हैं, और

(घ) मोटर-उद्योग में लगी हुई देशी तथा विदेशी पूंजी के आंकड़े क्या हैं और किस देश की कितनी पूंजी लगी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) लगभग १२,९४०।

(ख) देशी मोटरों के सूची-मूल्य संलग्न विवरण में दिये हैं । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुसन्ध संख्या २६]** विदेशी मोटरों के

मूल्य की सूचना उपलब्ध नहीं है । क्योंकि आयात केवल पूर्णतया खुली हुई हालत में किया जाता है ।

(ग) देशी पुर्जों के प्रतिशत में किसी एक समय प्रत्येक प्रकार की कार तथा ठेले के अनुसार विभिन्नता होती है और मोटरों के देशी पुर्जों की संख्या में बहुत से निर्माण कार्यक्रमों की प्रगतिशील कार्यान्विति के साथ साथ निरन्तर वृद्धि हो रही है । अतः आयात होने वाले पुर्जों का कोई विशिष्ट प्रतिशत बताना कठिन है ।

(घ) सरकार के पास कोई ठीक सूचना नहीं है ।

मोटर निर्माण कार्यक्रम

५८३. **श्री बंसल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री देश के समस्त मोटर निर्माण समवायों का निर्माण कार्यक्रम बताने वाला विवरण पटल पर रखने की कृपा करेंगे और बतायेंगे कि तत्सम्बन्धी कार्यक्रम किस सीमा तक कार्यान्वित किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): जानकारी बताने वाला विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस—३५५/५४]** ।

इम्फाल को बिजली मुहैया करना

५८४. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को इम्फाल नगर में अपर्याप्त बिजली मुहैया किये जाने के सम्बन्ध में ज्ञात है ;

(ख) क्या सरकार को इम्फाल और उसके उपनगर की जनता की बिजली के प्रकाश की बढ़ती हुई मांग के सम्बन्ध में भी मालूम है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ने वहां की जनता की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने और बिजली मुहैया करने में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) (क) और (ख). हां, श्रीमान् ।

(ग) वर्तमान योजना अवधि के दौरान इम्फाल में बिजली मुहैया करने की पद्धति को बहाल करने के लिये ६·४७ लाख रुपया स्वीकृत किया गया है । इसमें तीन १०० किलोवाट वाले डीज़ल सेटों का प्रतिष्ठापन भी सम्मिलित है, जिन्हें खरीदने के लिये सम्भरण और उत्सर्जन महानिदेशालय के पास व्यादेश प्रेषित कर दिये गये हैं ।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग विद्युत की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से अतिरिक्त सब-स्टेशनों की व्यवस्था की योजना तैयार करने और तेज करेण्ट और धीमे करेण्ट की लाइनों को विस्तृत करने के लिये एक पदाधिकारी नियुक्त कर रहा है । जल संचालन प्रणाली की क्षमता में वृद्धि कर इम्फाल के जल-केन्द्र की क्षमता में वृद्धि करने के लिये जांच कार्यवाही करने का भी प्रस्ताव है ।

हाथकरघा वस्त्र उद्योग

५८५. **श्री एस० वी० रामस्वामी**. क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री प्रथम पंचवर्षीय योजना (पृष्ठ ४५१) के परिशिष्ट ३ की मद (३) के सम्बन्ध में यह बतानें की कृपा करेंगे :

(क) क्या हाथकरघा वस्त्र के सम्बन्ध में अब सम्पूर्ण सांख्यकी संग्रहीत कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन आंकड़ों को बताने वाला विवरण पटल पर रखा जायेगा?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) राज्य

सरकारों से हाथकरघा वस्त्र उत्पादन सम्बन्धी आवश्यक सांख्यकी संग्रह करने के लिये किसी व्यवस्था को अपनाने के बाबत कहा गया है ; इस बीच उत्पादन का प्राक्कलन राज्यों को प्राप्त होने वाले सूत के आधार पर किया गया है । इस तरह प्राक्कलित उत्पादन नीचे दिया गया है :—

१९५१	८४ करोड़ ३० लाख गज	केवल स्वदेशी सूत से ही ।
१९५२	१ अरब १० करोड़ ८० लाख गज	
१९५३	१ अरब २० करोड़ गज़	
१९५४ (जनवरी—जून)	६३ करोड़ ७५ लाख गज़	

अखिल भारतीय हाथकरघा बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश को अनुदान

५८६. **श्री आर० एस० लाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अखिल भारतीय हाथकरघा बोर्ड द्वारा १९५३-५४ में उत्तर प्रदेश को कुल कितना अनुदान उपलब्ध कराया गया है ;

(ख) उसे किस प्रकार खर्च करने का विचार है ;

(ग) क्या बुनकरों को सस्ता सूत दिलाने के लिये कोई योजना है; और

(घ) क्या मन्दी के दिनों में बुनकरों को ऋण दे कर अथवा उन के वस्त्र पर अग्रिम रकम दे कर उन की सहायता करने की कोई योजना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) २०,२९,७८३ रुपये ।

(ख) जिन योजनाओं पर अनुदान खर्च करना है उन की सूची संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २७]**.

(ग) और (घ). नहीं, श्रीमान् ।

त्रिपूरा (पंचवर्षीय योजना)

५८७. **श्री दशरथ देव** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधीन त्रिपुरा के लिये स्वीकृत कुल अनुदान में कितनी रकम खर्च की जा चुकी है ; और

(ख) वे मुख्य कार्य जिन पर रुपया खर्च किया जा रहा है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) और (ख) पटल पर विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २८]**.

वर्दियों का सम्भरण

५८८. **श्री संगण्णा** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री सरकारी छात्रावास के कर्मचारियों को वर्दियों के सम्भरण के सम्बन्ध में १२ अप्रैल, १९५४ को पूछे गये तारांकित श्न संख्या १७५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उस के पश्चात् निर्णय कार्यान्वित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) व्यय के प्राक्कलन की जांच की जा रही है और निर्णय शीघ्र ही कार्यान्वित कर दिया जायेगा ।

माइकेनाइट उत्पाद का आयात

५८९. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ में भारत में कितने मूल्य का माइकेनाइट उत्पाद आयात आ है ;

(ख) भारत में इस का उपयोग करने के कितने केन्द्र हैं ; और

(ग) सरकारी फैक्टरियों द्वारा उपभोग की गई मात्रा कितनी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) माइकेनाइट उत्पाद का प्रयोग करने वाले मुख्य केन्द्र कलकत्ता, बम्बई, बंगलौर, मद्रास और दिल्ली हैं ।

(ग) लगभग १०४ पौंड ।

सीमा सम्बन्धी झगड़ा

५९०. **श्री एस० सी० देव** : क्या **प्रधान** मंत्री २३ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४६० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि (१) आसाम पूर्वी बंगाल सीमा पर कुशियारा और सोनई नदियों के बीच की सीमा, (२) भोलागंज थाना डाकघर और (३) आसाम-स्थित काटागांवमुख और नातनपुर के बीच सूरमा नदी के पाट से संबंधित झगड़े का स्व प क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : पटल पर विवर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनूबन्ध संख्या २९]**.

लेखन सामग्री कार्यालय कर्मचारी सन्था कलकत्ता

५९१. **श्रीमती रेणू चक्रवर्ती** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को लेखनसामग्री कार्यालय कर्मचारी सन्था, कलकत्ता की ओर से उन की मांगों के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्त हुआ ;

(ख) यदि हां, तो यह ज्ञापन कब प्राप्त हुआ था ;

(ग) क्या सरकार ने इन मांगों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध म क्या निर्णय किये गये हैं ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) यह ज्ञापन अक्टूबर १९५३ में प्राप्त आ था ।

(ग) और (घ) । मांगों पर विचार किया जा रहा ह लेकिन अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं किया गया है ।

औद्योगिक समवाय

५९२. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या **पूनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२-५३ और १९५३-५४ में पुनर्वास व्यवस्था की दृष्टि से कार्य-केन्द्रों के रूप में खोले गये औद्योगिक समवायों की सख्या कितनी है ;

(ख) कितने समवाय समाप्त कर दिये गये हैं और कितने किये जाने वाले हैं ; और

(ग) इन समवायों को समाप्त करने के क्या कारण हैं और उन पर कुल कितनी हानि हुई है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) से (ग) तक । जानकारी सग्रहीत की जा रही है और लोकसभा के पटल पर रखी जायेगी ।

पटसन जांच आयोग

५९३. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पटसन जांच आयोग के प्रतिवेदन पर सम्बन्धित राज्य सरकार के साथ चर्चा की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रत्येक ने कौन कौन से भिन्न मत व्यक्त किये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) तक। कुछ राज्य सरकारों के साथ अभी मंत्रणा जारी है और सरकार के मत शीघ्र ही प्रकट कर दिये जायेंगे ।

लोक-सभा

मंगलवार,
२१ सितम्बर, १९५४

वाद विवाद

Chamber Lib. 18/X/23

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

खंड ७, १९५४

(१३ सितम्बर से ३० सितम्बर, १९५४)

सप्तम सत्र
१९५४

विषय-सूची

खंड ७—१३ सितम्बर से ३० सितम्बर, १९५४

सोमवार १३ सितम्बर, १९५४

	स्तम्भ
सभा का कार्य	१२९३—१२९५, १३००—१३०७
स्थगन प्रस्ताव—	
कलकत्ते में गोवध-विरोधी प्रदर्शनकारियों पर लाठी व अश्रु गैस का प्रयोग	१२९५–१२९६
पटल पर रखे गये पत्र—	
बिजली के पीतल के लैम्प होल्डर उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प	१२९६
परिरक्षित फल उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना आदि.	१२९६–१२९७
शीशे की चादरें बनाने के उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना आदि	१२९७
साइकिल उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना आदि	१२९७–१२९८
सुरमा उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना .	१२९८
रूई तथा बालों के पट्टे के उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना	१२९८–१२९९
कोको पाउडर और चाकलेट उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५४ और सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना	१२९९–१३००
विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण . . .	१२९९–१३००
१९५४–५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—प्रस्तुत की गई .	१२९९
भारत में बाढ़ की स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव—संशोधित रूप में पारित	१३०८–१३०९
संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपा गया	१३०९–१३११
विशेष विवाह विधेयक—खण्डवार विचार—असमाप्त . . .	१३१२–१३७६

मंगलवार, १४ सितम्बर १९५४

विशेष विवाह विधेयक—खंडवार विचार—असमाप्त . .	१३७७–१४६६

बुधवार, १५ सितम्बर १९५४

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर रायें .	१४६७
भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९५४ . .	१४६८
भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ . .	१४६८
अखिल भारतीय सेवायें (यात्रा भत्ता) नियम, १९५४ . .	१४६८
अखिल भारतीय सेवायें (चिकित्सा सुविधा) नियम, १९५४ .	१४६८
अखिल भारतीय सेवायें (प्रतिकर भत्ता) नियम, १९५४. .	१४६८
भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) नियम, १९५४. . .	१४६८
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के चौथे प्रतिवेदन का उपस्थापन	१४६८–१४६९
समिति के लिये निर्वाचन—नारियल जटा बोर्ड . . .	१४६९
चन्द्रनगर (विलय) विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित . .	१४६९
विशेष विवाह विधेयक—खण्डवार विचार—असमाप्त . .	१४६९–१५५३
रेलवे प्लेटफार्मों पर रूसी प्रकाशनों की बिक्री . . .	१५५३–१५६४

बृहस्पतिवार, १६ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—	
भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन तथा भारतीय पुलिस सेवा) वेतन नियम १९५४ का परिशिष्ट	१५६५
राज्य-सभा से सन्देश	१५६५–१५६६
तारांकित प्रश्न संख्या २३२३—क के उत्तर की शुद्धि . .	१५६६
संयुक्त समिति के लिये सदस्यों का नामनिर्देशन संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५४ के अन्तर्गत नियम बनाने के लिये संयुक्त समिति	१५६७
सदस्य की दोष-सिद्धि	१५६७
औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) विधेयक—पुरःस्थापित	१५६८
विशेष विवाह विधेयक—संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१५६८–१६५८

शुक्रवार, १७ सितम्बर, १९५४

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५४—याचिका की सूचना दी गई	१६५९
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक, १९५४—सम्मतियां प्राप्त हुई . . .	१६६०

दहेज निषेध विधेयक तथा दहेज का निषेध विधेयक—याचिका उपस्थापित की गई . . . . . स्तम्भ १६६०

बैंकों की अपीलों पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने के आदेश के सम्बन्ध में वक्तव्य . . १६६१

विशेष विवाह विधेयक—संशोधित रूप में पारित . . १६६१–१७०८, १७१८-१७२०

भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक —विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त १७०९–१७१८

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के साठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत . . १७२०–१७२६

भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित . १७२६

काजी विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित . . . १७२७

अत्यावश्यक वस्तु (अस्थायी शक्तियां) संशोधन विधेयक, १९५४—वाद-विवाद स्थगित हुआ १७२८–१७४०

बनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक, १९५४—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त . . . १७४१–१७७२

शनिवार, १८ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

समुद्र–सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . १७७३

भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक—पारित . . १७७३–१८५३

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक, १९५४—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त १८५३–१८६०

सोमवार, २० सितम्बर १९५४

राज्य-सभा से सन्देश १८६१–१८६२

पटल पर रखे गये पत्र—

परिसीमन आयोग, भारत, अंतिम आदेश संख्या १६, दिनांक ३० अगस्त, १९५४ . . . . . १८६२–१८६३

संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित १८६३

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के चौथे प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव—स्वीकृत १८६३

स्थगन प्रस्ताव—

लाजपत नगर में विस्थापित व्यक्तियों पर लाठी चार्ज . . १८६४–१८६५

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण (संशोधन) विधेयक–पारित . १८६५–१९११

चन्द्रनगर (विलय) विधेयक—संशोधित रूप में पारित . . १९११–१९३९

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त १९३९–१९५४

मंगलवार, २१ सितम्बर १९५४

स्थगन प्रस्ताव— स्तम्भ

लाजपत नगर में नीलाम के अवसर पर कथित लाठी चार्ज १९५५–१९५७

पटल पर रखे गये पत्र—

सीमेन्ट सम्बन्धी औद्योगिक समिति के दूसरे सत्र की कार्यवाही का सारांश १९५७

विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण १९५७–१९५८

भारत के औद्योगिक वित्त निगम का छठा वार्षिक प्रतिवेदन . १९५८

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित १९५८–१९७६

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—असमाप्त १९७६–२०५८

बुधवार, २२ सितम्बर १९५४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—बारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन . . . २०५९

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक—पारित . २०५९–२१२४

संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक— विचार करने का प्रस्ताव (चर्चा असमाप्त) २१२४–२१६६

बृहस्पतिवार, २३ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखा गया पत्र—

काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी प्रवरस मिति के सामने दिये गये साक्ष्य २१६७

राज्य-सभा से सन्देश २१६७–२१६८

मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक—राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, पटल पर रखा गया . . २१६८–२१६९

संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक—पारित . . . २१६९–२२३१

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—विचार करने तथा, परिचालित करने के प्रस्तावों पर चर्चा—असमाप्त . . २२३१–२२४४

शुक्रवार, २४ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

भेषजीय जांच समिति का प्रतिवेदन २२४५

	स्तम्भ
उन मामलों के विवरण जिन में भारतीय भंडार विभाग ने न्यूनतम राशि के प्राक्कलन पत्र (टेंडर) स्वीकार नहीं किये थे .	२२४५–२२४६
स्थगन प्रस्ताव——	
बैंक कर्मचारियों की हड़ताल	२२४६–२२४८
लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर ध्यान दिलाना—इस्पात संयंत्र के बारे में रूस का प्रस्ताव	२२४८–२२४९
रेलवे बोर्ड के पुनर्निर्माण और पुनः संगठन के बारे में वक्तव्य .	२२४९–२२५१
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक——विचारार्थ प्रस्ताव—स्वीकृत	२२५१–२३११
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत . .	२३१२
बाढ़ के कारण हुई क्षति को सुधारने के लिये आसाम को वित्तीय सहायता के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . . .	२३१३–२३२१
हिन्दी विधि आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प——अस्वीकृत .	२३२१–२३५२
सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित बनाने के बारे में संकल्प—असमाप्त	२३५२–२३६६

शनिवार, २५ सितम्बर १९५४

पटल पर रखे गये पत्र——	
दामोदर घाटी निगम का वार्षिक प्रतिवेदन (भाग २) . .	२३६७
दामोदर घाटी निगम जांच समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों के सम्बन्ध में निर्णय	२३६७–२३६८
राज्य सभा से सन्देश	२३६८
समिति के लिये निर्वाचन—लोक-लेखा समिति . . .	२३६९–२३७०
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—पारित . .	२३७०–२४०५
निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित	२४०५–२५०४

सोमवार, २७ सितम्बर, १९५४

राज्य सभा से सन्देश	२५०५
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—पांचवां प्रतिवेदन उपस्थापित	२५०५
लोक-लेखा समिति—नवां प्रतिवेदन उपस्थापित. . . .	२५०६
जेल से संसद् सदस्य की रिहाई . . .	२५०६
समिति के लिये निर्वाचन——	
कर्मचारी राज्य बीमा निगम	२५०६–२५०७
सभा का कार्य	२५०७

	स्तम्भ
कराधान विधियां (जम्मू तथा काश्मीर में विस्तार) विधेयक—पारित	२५०७–२५२७
मध्यभारत आय पर कर (मान्यीकरण) विधेयक—पारित .	२५२८–२५३८
१९५४–५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—असमाप्त .	२५२८–२६२६

मंगलवार, २८ सितम्बर, १९५४

राज्य सभा से सन्देश—	
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक, १९५४ के सम्बन्ध में	२६२७
पटल पर रखे गये पत्र—	
मसाला जांच समिति का प्रतिवेदन . . .	२६२७
तारांकित प्रश्न संख्या २१३० के उत्तर की शुद्धि के सम्बन्ध में वक्तव्य	२६२८
पुनर्वास वित्त प्रशासन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन तथा वक्तव्य .	२६२८–२६२९
केन्द्रीय उत्पादन तथा लवण अधिनियम, १९४४ के अधीन अधिसूचनायें	२६२९
लोक-लेखा समिति—प्रतिवेदनों का उपस्थापन . . .	२६२९
स्थगन प्रस्ताव—	
बीमा कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल—अस्वीकृत .	२६२९–२६३१
१९५४–५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—स्वीकृत .	२६३२–२६६९
विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित तथा पारित .	२६६९–२६७०
खाद्य तथा कृषि पदार्थों के मूल्यों में गिरावट पर चर्चा . .	२६७०–२६८८
सेवाओं के नियमों के सम्बन्ध में प्रस्ताव . . .	२६८८-२७५२
कलकत्ता पत्तन के उप-नौवहन अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कथित आरोपों के सम्बन्ध में चर्चा . . .	२७५२–२७६०

बुधवार, २९ सितम्बर, १९५४

हैदराबाद राज्य में यशवन्तपुर के निकट रेलवे दुर्घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य	२७६१–२७६८
पटल पर रखे गये पत्र—	
पंचवर्षीय योजना की १९५३-५४ की प्रगति का प्रतिवेदन .	२७६८–२७६९
विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण . . .	२७६९
महानदी पुल समिति का प्रतिवेदन	२७६९
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	२७६९–२७७१
वस्त्र जांच समिति का प्रतिवेदन	२७७१
राज्य सभा से सन्देश	२७७१

	स्तम्भ
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) बिधेयक पर रायें .	२७७१
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—दूसरा प्रतिवेदन—उपस्थापित .	२७७१
प्राक्कलन समिति—दसवां तथा ग्यारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२७७२
समितियों के लिये निर्वाचन—	
लोक-लेखा समिति	२७७२
कर्मचारी राज्य बीमा निगम . . .	२७७२
अनुपस्थिति की अनुमति	२७७२–२७७३
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव—चर्चा—असमाप्त . .	२७७३–२८७८

बृहस्पतिवार, ३० सितम्बर, १९५४

रांज्य सभा से सन्देश	२८७९
पटल पर रखे गये पत्र—	
प्राक्कलन समिति द्वारा अपने नवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों का सारांश और उन पर सरकार के विचार या की गई या की जाने वाली कार्यवाही	२८८०
इस्पात परियोजना सम्बन्धी प्रगति का अग्रेतर ब्यौरा देने वाला विवरण	२८८०–२८८३
कुछ राज्य उद्यमों के वार्षिक प्रतिवेदन, अन्तिम लेखे तथा सन्तुलन पत्र	२८८३–२८८४
पुनर्वास वित्त प्रशासन का लेखा-परीक्षित सन्तुलन पत्र तथा हानि-लाभ लेखा	२८८४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—तेरहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२८८४
लोक-लेखा समिति—दसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित .	२८८५
याचिका समिति—चौथा प्रतिवेदन—उपस्थापित .	२८८५
जेल से सदस्य की रिहाई	२८८५
हैदराबाद राज्य में यशवन्तपुर के समीप रेल दुर्घटना के बारे में अनुपूरक विवरण	२८८५–२८८६
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—पुरःस्थापित . .	२८८६–२८८७
समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५४—पुरःस्थापित .	२८८७
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत .	२८८७–२९५०
मोटरगाड़ी उद्योग	२९५०–२९७५
राज्य सभा से सन्देश	२९७५–२९७६

लोक सभा

मंगलवार, २१ सितम्बर १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२-७ म० प०

स्थगन प्रस्ताव

लाजपत नगर में नीलाम के अवसर पर कथित लाठी चार्ज

अध्यक्ष महोदय: अब हम सभा की कार्यवाही आरम्भ करेंगे । एक स्थगन प्रस्ताव है परन्तु श्रीमती रेणु चक्रवर्ती यहां नहीं हैं ।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर): श्री विट्ठल राव तो यहां हैं ।

अध्यक्ष महोदय: हां, माननीय मंत्री । महोदय ।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): इस वर्ष के प्रारम्भ में यह निर्णय किया गया था कि दिल्ली की विभिन्न बस्तियों में कुछ खाली पड़े हुए मकानों को नीलाम कर दिया जाय और विस्थापित दावेदारों को यह आज्ञा दे दी जाय कि वह उनकी क़ीमत उनको दिये जाने वाले प्रतिकर में से कटवा दें । नीलाम तिलक नगर में २२ अगस्त, १९५४ को आरम्भ किया गया और मोती नगर तथा मालवीय नगर में भी नीलाम किये गये । इन नीलामियों में विस्थापितों के अतिरिक्त किसी अन्य को बोली देने की आज्ञा नहीं थी ।

१९ तारीख़ को लाजपत नगर के १६ खाली घरों का नीलाम होना था । जब दो मकानों का नीलाम हो चुका तब वहां एक प्रदर्शन हुआ जिसके कारण कुछ समय के लिये कार्यवाही को स्थगित कर देना पड़ा । पत्थर फैंके गये और एक पत्थर इस मंत्रालय के उस अधिकारी को लगा जो कि नीलाम करा रहा था । इसके पश्चात् पुलिस की सहायता ली गई और आठ या नौ प्रदर्शनकारी पकड़े गये । कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ । इसके बाद नीलाम शान्ति से होता रहा और विक्रय किये जाने वाले सारे मकान नीलाम कर दिये गये । मकानों के लिये मांग बहुत ज्यादा थी और जो लोग बोली देने आये थे उस समय तक शान्ति से प्रतीक्षा करते रहे जब तक प्रदर्शन समाप्त नहीं हो गया । हालांकि प्रदर्शनकारियों ने उन्हें धमकियां भी दीं ।

यह सत्य नहीं है कि इस मंत्रालय के एक अधिकारी ने जो कि नीलाम का प्रभारी था, एक विस्थापित नेता को पीटा । परन्तु उस अधिकारी को तो स्वयं एक पत्थर लगा था ।

[श्री ए० पी० जैन]

मकानों तथा कमरों की कुल संख्या, जो कि दिल्ली की बस्तियों में खाली पड़े हैं और जिन्हें इस योजना के अन्तर्गत नीलाम किया जाना है, २५० है। इसमें से १११ अब तक बेचे जा चुके हैं। इनके अतिरिक्त कुछ खाली भूमि खंड भी विक्रय के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे। इससे पिछली किसी भी वचन बद्धता का उल्लंघन नहीं किया गया है। यह मकान विस्थापित व्यक्तियों को बेचे जाने के लिये ही बनाये गये थे और छोटे मकान वह थे जो कि विक्रय के लिये रखी गई संख्या से बच रहे थे।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में, मैं इस स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दे सकता हूं।

श्री टी० बी० विट्ठल राव (खम्मम): श्रीमान्, क्या मैं कुछ कह सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय: नहीं, कुछ नहीं। यह स्पष्ट हो चुका है कि लाठी चार्ज ही नहीं हुआ अतः इसकी स्वीकृति नहीं दी जाती है।

पटल पर रखे गये पत्र

सीमेंट सम्बन्धी औद्योगिक समिति के दूसरे सत्र की कार्यवाही का सारांश

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई): मैं सीमेंट सम्बन्धी औद्योगिक समिति के हैदराबाद में मार्च, १९५४ में हुए दूसरे सत्र की कार्यवाही के अन्तिम सारांश की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस-३४८/५४]**

विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): मैं सभा पटल पर यह विवरण रखता हूं जिनमें विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं तथा सदस्यों के सुझावों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का उल्लेख है:

(१) अनुपूरक विवरण संख्या ५। — लोकसभा का छठा सत्र, १९५४। **(देखिये परिशिष्ट ९, अनुबंध संख्या १५)**

(२) अनुपूरक विवरण संख्या १०। — लोकसभा का पांचवां सत्र, १९५३। **(देखिये परिशिष्ट ९, अनुबंध संख्या १६)**

(३) अनुपूरक विवरण संख्या १५। — लोकसभा का चतुर्थ सत्र, १९५३। **(देखिये परिशिष्ट ९, अनुबंध संख्या १७)**

(४) अनुपूरक विवरण संख्या २०। — लोकसभा का तीसरा सत्र, १९५३। **(देखिये परिशिष्ट ९, अनुबंध संख्या १८)**

(५) प्रथम विवरण (सुझाव)। — लोकसभा का पांचवां सत्र, १९५३। **[देखिय परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १९]**

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का छठा वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्री (श्री ए० सी० गुहा): मैं औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ३५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत ३० जून, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के संचालक बोर्ड के छठे वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, निगम की और आस्तियों दायित्वों के विवरण तथा निगम के इस वर्ष के लाभ और हानि के लेखे सहित एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस-३४७/५४]**

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—जारी

अध्यक्ष महोदय: श्री करमरकर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव विचाराधीन था। यह तो

सभा को पता है कि इस विधेयक के लिये दो घंटे का समय रखा गया है। कल ४५ मिनट लिये जा चुके हैं और इसका अर्थ यह है कि आज वाद-विवाद १-१५ म० प० समाप्त हो जायगा। मतदान २-३० म० प० पर होगा। श्री थामस।

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम्): कल मैं प्रशुल्क आयोग द्वारा १९५० में की गई सिफारिशों का निर्देश कर रहा था और कह रहा था कि सरकार उनकी अभिपूर्ति करने में असफल रही है। हमें रक्षण देने के साथ ही यह सिद्धान्त अपना लेना चाहिये कि हम उस उद्योग को जिसे रक्षण दिया गया है इतना दृढ़ बनायें कि वह विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने योग्य हो जाय। हम सदा के लिये तो इस प्रकार राष्ट्र की क़ीमत पर ऐसी अकुशलता को सहन नहीं कर सकते हैं और इसी दृष्टिकोण को लेकर प्रशुल्क आयोग सहायक सिफारिशें करता है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रशुल्क आयोग ने अपने प्रतिवेदन में टेपिओका ग्लोब्यूल के बनाये जाने के तरीक़े तथा टेकनीक में कई कमियां बताई हैं। इसी प्रकार वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के विकास सैक्शन ने भी कई ऐसी बातें बताई हैं जिनमें सुधार किया जा सकता है। प्रशुल्क आयोग की १९५० की सिफारिश की मद ८ की भी अभिपूर्ति नहीं की गई है, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि इस उद्योग में या तो कोई विदेशी विशेषज्ञ रखा जाना चाहिये अथवा हमें अपने शिल्पिकों को बाहर भेज कर प्रशिक्षण दिलवाना चाहिये जिससे कि उत्पादन में विशिष्टता आये और मूल्य भी कम हो सकें। प्रशुल्क आयोग ने भी स्पष्ट किया है कि यद्यपि इसमें बड़े पैमाने पर सुधार किये जाने कठिन हैं, परन्तु फिर भी टेपिओका की जड़ों की खेती के तरीक़े में सुधार किया जा सकता है। केन्द्रीय खाद्य औद्योगिक संस्था, मैसूर के निदेशक ने भी बताया है कि टेपिओका की जड़ों को टुकड़ों में काटकर और सुखाकर निर्माण के तरीके में पर्याप्त परिवर्तन तथा सुधार किया जा सकता है।

यह बताया गया है कि १९५३ में त्रावनकोर-कोचीन में ५,२५,२८७ एकड़ भूमि में टेपिओका की खेती की गई थी; अतः इस राज्य में कच्चा माल मिलने के कारण मांडी निर्माण कारखाने तथा टेपिओका ग्लोब्यूल बनाने के कारखाने खोले जाने की अधिक सम्भावनायें हैं। आज प्रातः ही माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने बताया था कि हमें ५५,००० टन मांडी की आवश्यकता है और हमारे देश में इसका उत्पादन कुछ विशेष नहीं है। उन्होंने यह भी बताया था कि इस समय मांडी का आयात बन्द कर दिया गया है, परन्तु आयात सम्बन्धी आंकड़े देखने पर मुझे यह मालूम हुआ कि ५,९०,८७१ रुपये की मांडी का आयात किया जा चुका है। मैं यह कहना चाहता हूं कि टेपिओका से बहुत उत्तम प्रकार की मांडी बनाई जा सकती है साथ ही इस कार्य में सुधार भी किये जा सकते हैं।

मैं यह प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि कच्चे माल के प्रश्न पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। त्रावनकोर-कोचीन राज्य ने भी अदूरदर्शिता की नीति से काम लिया, उसने टेपिओका का राज्य से निर्यात बन्द कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके मूल्य गिर गये और खेती करने वाले निरुत्साहित हो गये। राज्य ने ऐसी नीति अपनाने का कारण यह बताया कि उस राज्य में खाद्यान्नों की कमी थी।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सैलम): ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मित्र यह

[श्री एस० वी० रामस्वामी]

सख्या ११(४) पर चर्चा कर रहे हैं ११(६) पर नहीं। हम इस समय मांडी पर विचार नहीं कर रहे हैं केवल ग्लोब्यूलों पर ही विचार किया जा रहा है।

श्री ए० एम० थामस : मैं यह बात समझता हूं। मैं केवल यह कह रहा था कि इस कच्चे माल से मांडी तथा ग्लोब्यूल उद्योगों के विकसित किये जाने की सम्भावनायें हैं। मैं माननीय मित्र के साथ इस बारे में वाद-विवाद नहीं करना चाहता हूं और न ही मैं त्रावनकोर-कोचीन राज्य की नीति की आलोचना करना चाहता हूं। मैं इस समय यह कहना चाहता हूं कि आजकल चावल ठीक मूल्य पर प्राप्त होता है अतः अब टेपिओका को औद्योगिक प्रयोगों के लिये उपयोग में लाया जाय।

मेरा विचार है कि प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों को इस कारण पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि उनका सम्बन्ध खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से भी था। मैं यह समझता हूं कि दोनों मंत्रालयों में इस कार्य के निष्पादन के लिये एकीकरण होना चाहिये था।

प्रशुल्क आयोग ने अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ २२ पर लिखा है कि मद्रास राज्य को सैलम के निकट टैपिओका की खेती में सुधार करने के प्रयोजन से तथा सागूदाना बनाने के लिये एक फार्म खोलना चाहिये। मद्रास सरकार को चाहिये कि वह अपने कृषि विभाग के एक अधिकारी को मलाया भेजे, ताकि वह वहां सागूदाना तथा टैपिओका की खेती और ग्लोब्यूल बनाने के तरीक़ों का अध्ययन करें। उस अधिकारी के साथ उत्पादकों में से एक या दो व्यक्ति भी जा सकते हैं।

मुझे खेद है कि इस का मुख्य उत्पादक प्रशुल्क आयोग द्वारा छोड़ ही दिया गया है। दूर दक्षिण का भी पहले की तरह ध्यान नहीं रखा गया है। प्रशुल्क आयोग के बारे में मुझे केवल यही कहना था। मुझे यह दुख नहीं कि मद्रास राज्य अपने प्रतिनिधि भेजेगा अथवा मद्रास के कृषकों को क्यों प्रोत्साहन दिया जा रहा है, परन्तु मैं तो यह कहूंगा कि मेरे राज्य का भी, जो कि टेपिओका का एक मुख्य उत्पादक है, ध्यान रखा जाना चाहिये था। फोर्ड फाउण्डेशन से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय योजना आयोग ने भारत का दौरा किया था, परन्तु वह त्रावनकोर-कोचीन नहीं जा सका जहां पर बेरोज़गारी की समस्या भीषणतम हो गई है। इन कुछ उद्योगों की ओर उस आयोग का ध्यान दिलाया जा सकता था जिससे कि वह उपयुक्त सिफारिशें कर सकता।

प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि टेपिओका के दानों के उद्योग के विकास की पूर्ण सम्भावना है यदि त्रावणकोर-कोचीन में इस के लिये एक प्रादेशिक संस्था खोली जाय।

हमारे देश में रेशम के कीड़े पालने का उद्योग भी उन्नति कर रहा है क्योंकि इसके लिये एक रेशम बोर्ड बना हुआ है। रेशम बोर्ड के साथ केन्द्रीय सरकार को पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिये ताकि हमारे देश में कच्चे रेशम और इस से तैयार माल की किस्म में सुधार हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सी० आर० नरसिंहन् (कृष्णगिरि) : मैं माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कुटीर-उद्योग का संरक्षण बढ़ाने के हेतु, यह विधेयक प्रस्तुत किया है। प्रशुल्क आयोग ने निर्यात बढ़ाने की ओर भी संकेत किया था जिससे मैं पूर्णतया सहमत हूं।

कुटीर-उद्योग के प्रति भारत सरकार की प्रोत्साहन की नीति होते हुए भी पश्चिमी बंगाल में स्थिति शोचनीय है । कलकत्ता-निगम ने साबूदाने का स्टाक ज़ब्त कर लिया है जिस से कलकत्ते में इसकी बिक्री बंद हो गयी है। क्या भारत सरकार किसी विशेषाधिकारी को कलकत्ते भेजकर इस की जांच करवायेगी ? इतना होने पर भी यदि वे न मानें तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उद्योग-रक्षा के निमित्त वहां प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करे। सरकार को वहां की दशा से पूर्णरूपेण परिचित होना चाहिये और उसे सुधारना चाहिये। इस से अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : इस वादविवाद में मेरे अन्तर्बाधा डालने का एक अल्प सा कारण है । साबूदाने के सम्बन्ध में श्री रामस्वामी तथा श्री बर्मन के संशोधन हैं। प्रथम के लिये मुझे यह कहना है कि प्रशुल्क विधेयक में केवल आयात शुल्क के लिये ही वस्तुविशेष की परिभाषा दी जा सकती है । अतः उनका संशोधन ठीक नहीं प्रतीत होता । दूसरा संशोधन भी विचित्र है । प्रशुल्क अनुसूची ११(६) में 'साबूदाने तथा टेपिओका के मोतियों' का उल्लेख है । श्री बर्मन 'टेपिओका के मोतियों' के स्थान पर 'टेपियोका के दाने' शब्द रखना चाहते हैं। किन्तु उन का तो आयात नहीं होता है, अतः ऐसी वस्तु को विधेयक में रखने से क्या लाभ ?

दूसरी बात मेरे पूर्ववक्ता ने पश्चिमी बंगाल के विषय में कही है । कलकत्ता निगम ने साबूदाने का स्टाक ज़ब्त कर लिया है । इस की कथा भी विचित्र है । एक पुलिस उपायुक्त के पेट में गड़बड़ के कारण वह साबूदाना खरीदने गया । किन्तु उसे लाभ नहीं हुआ । उसने उस साबूदाने की क़िस्म का पता लगाया और उसे मालूम हुआ कि वह टेपियोका द्वारा बनाया गया था ।

अतः उस का सारा स्टाक ज़ब्त कर लिया गया । इस विषय में मैं ने बंगाल के मुख्य मंत्री से बातचीत की और कहा कि आजकल टपियोका का साबूदाना ही मिलता है। अन्य आयात बन्द है। उन्होंने इसकी जांच करने के लिये कहा किन्तु बाद में कलकत्ता निगम के मतानुसार जो कार्य किया गया था उस की पुष्टि करते हुए १३ सितम्बर, १९५४ को उन्होंने एक अधिसूचना निकाल दी कि साबूदाने के वृक्ष के तने के गूदे से बना हुआ साबूदाना ही बंगाल में साबूदाने के नाम से बेचा जा सकता है। यह उनकी इच्छा है। मैं इस में क्या करूं ?

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या इस का कोई इलाज नहीं है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कुछ नहीं कहा जा सकता । संविधान के अनुच्छेद ३०१ और ३०२ के अनुसार आप कह सकते हैं कि व्यापारिक स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है । यदि कलकत्ता निगम यही चाहता है कि पेट की गड़बड़ चलती रहे तो हम कैसे इलाज करें ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक खाद्य पदार्थ होने के कारण क्या संविधान (संशोधन) विधेयक के अन्तर्गत नहीं आता और इसलिये क्या केन्द्र इसे समवर्ती सूची में नहीं ले सकता ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हां, यह एक विचारणीय प्रश्न है। किन्तु कोई भी काम सहसा नहीं किया जा सकता । मंत्रियों के पास कोई जादू की छड़ी नहीं जिस से वे तुरन्त सब काम ठीक कर दें ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : क्या आप खाद्य त था औषध (मिलावट) अधिनियम को उपयोग में नहीं ला सकते ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं तो चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल सरकार इस पर पुनः विचार करे और स्थिति को सुधार ले । इसीलिये मैं ने अपने सचिव को वह भेजा है ।

श्री अच्युतन (क्रेंगनूर) : किसी विश्लेषण-कर्ता द्वारा उस वस्तु की जांच करवा कर यह देखने में क्या आपत्ति थी कि वह हानिकारक है या नहीं ?

श्री टी० टी० कृष्णमारी : कई इलाज बताये जा सकते हैं । किन्तु हमें यह स्मरण रखना है कि इलाज करने वाली तो वहां की सरकार स्वयं ही है । हमें समझा-बुझा कर यह काम उन्हीं से कराना है । हमें इस बात के लिये प्रशुल्क अधिनियम में संशोधन करना शोभा नहीं देता ।

एक अन्य सुझाव श्री वी० पी० नायर का है जो कहते हैं कि हमें उत्पादन बढ़ाना चाहिये । किन्तु जब तक खपत न बढ़े तब तक उत्पादन बढ़ाने से क्या लाभ ? हम ने प्रशुल्क अधिनियम में उपबन्ध किया है कि साबूदाने के आयात की आवश्यकता नहीं है अतः कलकत्ते वाले कितना ही चिल्लायें उन्हें असली साबूदाना नहीं मिल सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या असली साबूदाना दुनिया में कहीं मिलता भी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हां श्रीमान् । मलाया से प्राप्त हो सकता है,, किन्तु हमने उसका आयात बन्द कर दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह साबूदाना किस चीज़ से बनता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह साबूदाने के वृक्ष से बनाया जाता है । किन्तु हमारे यहां यह अप्राप्य है और इस के आयात को हमने बन्द कर दिया है । अतः मैं फिर यही निवेदन करता कि ये संशोधन निरर्थक है अतः मैं आशा करता हूं कि मेरे माननीय मित्र इन्हें वापस ले लेंगे ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : श्रीमान्, यहां पेट की गड़बड़ का प्रश्न नहीं है । प्रश्न तो यह है कि सारा उद्योग नष्ट हो जायगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सेलम के निवासी हैं जहां यह उद्योग है । वे चाहें तो मैं उन्हें बोलने का अवसर दे दूंगा ।

एक माननीय सदस्य : वे पहले ही बोल चुके हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : तब तो मैं श्री मात्तन से बोलने को कहता हूं ।

श्री मात्तन (तिरुवल्ला) : छोटे उद्योगों के बारे में संरक्षण बनाये रखने के लिये यह एक सादा विधेयक है ।

टेपीओका का पौदा स्वदेशी नहीं है अपितु सौ वर्ष हुए तब यह पौदा शांतमहा-सागर के टापुओं से हमारे राज्य में लाया गया था । इसके तैयार होने में केवल छः महीने लगते हैं । युद्धकाल के दिनों में जब हमारे राज्य में खाद्यान्न की कमी थी उस समय निर्धन और मध्यम श्रेणी के परिवारों ने इसी टेपीओका पर अपना जीवन बिताया था और आज भी श्रमिकों तथा निम्न मध्यम श्रेणी के वर्गों का यह मुख्य भोजन है ।

आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को यदि आप पढ़ें तो आपको पता चल जायगा कि आयोग को त्रावणकोर-कोचीन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, त्रावणकोर-कोचीन में सब से अधिक टेपीओका पैदा होता है, इसकी अर्थ व्यवस्था टेपीओका पर ही आधारित है, यह वहां के निर्धन व्यक्तियों का खाना है ?

आज टेपीओका का मूल्य काफी नीचे गिर गया है । टेपीओका के बारे में कठिनाई यह है कि यदि इसका मूल्य नीचे गिरता है

तो आगामी फसल में इसके बोने के लिये लोग कोई उत्साह नहीं दिखायेंगे ।

इस उद्योग के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में हमारे राज्य की बड़ी मूर्खतापूर्ण नीति थी । खाद्य स्थिति में सुधार होने पर वे मांड तथा अन्य टेपीओका उत्पादनों का निर्यात करने लगे हैं ।

आयोग के प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी पारित आदेशों को पढ़ने के बाद अपने राज्य के साथ किये गये इस विभेदात्मक बर्ताव के बारे में मैं ने वाणिज्य तथा उद्योग, और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के मंत्री को लिखा । खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने उत्तर में लिखा है कि उन्होंने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से यह सिफारिश की है कि मलाया जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में मेरे राज्य के प्रतिनिधि भी सम्मिलित कर लें।

बिहार, पश्चिमी बंगाल, आसाम आदि का दौरा करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इन राज्यों में टेपीओका का उत्पादन बहुत अधिक हो सकता है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि तीन-चौथाई भारतवर्ष में इसकी अच्छी खेती हो सकती है । यदि इसके उत्पादन में उचित सुधार हो जाय तो यह एक बहुत अच्छा खाद्य बन सकता है । इसकी दो विशेषतायें हैं । एक तो यह है कि यह अच्छा खाद्य है दूसरे इससे मांड तथा अन्य वस्तुयें तैयार हो सकती हैं । हमें ५५,००० टन मांड की आवश्यकता होती है जब कि हमारा उत्पादन १७,००० टन हो सका है । कपड़ा उद्योग को जितने मांड की आवश्यकता होगी उतना मांड हम दे सकते हैं और इसके अतिरिक्त यदि माननीय उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री इस उद्योग में सुधार करें और प्रोत्साहन दें तो निर्यात करने के लिये भी हमारे पास काफी मांड हो सकता है । टेपीओका का अधिकतर निर्धन तथा कम आय वाले वर्गों द्वारा उत्पादन किया जाता है । आयोग ने अपनी जांच बम्बई में की थी और सब के लिये बम्बई जाकर अभ्यावेदन करना आसान बात नहीं है । वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को मैं उतना दोषी नहीं ठहराता जितना कि आयोग को ।

मुझे बताया गया है कि चारे के रूप में यह खाद्य बहुत महत्वपूर्ण है किन्तु किसी ने भी इसमें सुधार नहीं किया है : यहां तक कि डाक्टरों ने भी अस्पतालों में अपाहिजों के लिये इस खाद्य को उपयुक्त ठहराया है । यदि हम इस उद्योग का विकास करें तो शायद ही कोई ऐसी वस्तु होगी जो गेहूं और चावल से तो बनाई जा सके और टेपीओका से न बन सके किन्तु इस सम्बन्ध में किसी ने प्रयत्न कुछ नहीं किया है । केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक गवेषणाशाला, मैसूर इस सम्बन्ध में बड़ी आसानी से गवेषणा कर सकती है । मेरा विश्वास है कि जो नकली चावल बनाया गया है उसमें ७० प्रतिशत टेपीओका है ।

इस उद्योग के विकास की सभी सम्भावनाओं तथा असीमित संभाव्यों और इस उद्योग के महत्व के सम्बन्ध में मैं बता चुका हूं । अंत में मैं यही निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार काफी उद्योग तथा जटा उद्योग की उन्नति और विकास के लिये एक एक बोर्ड बनाया गया था उसी प्रकार इस उद्योग की उन्नति के लिये भी एक बोर्ड बनाया जाय । यह एक ऐसा उद्योग है जिसका विस्तार सम्पूर्ण भारत में हो सकता है । अंत में म इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : भाषण देने के लिये अन्य सदस्य को बलाने से पूर्व इस पर विचार करने के प्रस्ताव को निपटा दिया जाय ।

प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन

[उपाध्यक्ष महोदय]

करने के विधेयक पर विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २--(प्रथम अनुसूची का संशोधन)

(श्री बर्मन, तथा श्री एस० वी० रामस्वामी ने क्रमशः संशोधन संख्या ६ तथा ५ प्रस्तुत किये ।)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या साबूदाने सरीखा कोई प्राकृतिक उत्पादन है ? क्या पृथ्वी से कोई साबूदाना नाम का खाद्यान्न उगता है ?

श्री बर्मन: पहले यह सागो पाम से बनाया जाता है । और उसके बाद ग्लोब्यूल्स बनाया जाता है । कुछ कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से ही मैं ने यह संशोधन प्रस्तुत किया है । मेरा कहने का तात्पर्य तो केवल यही है कि साबूदाना ग्लोब्यूल्स पर प्रतिबन्ध लगाने के कारण ही कलकत्ता में यह कठिनाई उत्पन्न हुई है । कलकत्ता निगम तथा पश्चिमी बंगाल सरकार ने यह कठिनाई खड़ी की है ।

यह एक प्रमाणित तथ्य है कि हमारे देश में ही यह नहीं अपितु मलाया में भी सागो-पाम के रस से साबूदाना तैयार किया जाता है । यदि हम इसे टेपीओका करके बेचें तो कोई कठिनाई नहीं होगी और न किसी को इसके ज़ब्त करने का साहस ही होगा । और इससे सारी कठिनाई भी दूर हो जायगी । इस कठिनाई के दो कारण और भी हैं । बहुत तेज़ बुखार और रोग से धीरे धीरे छुटकारा पाने की स्थिति में साबूदाने का प्रयोग डाक्टरों ने बताया है और दूसरी ओर बराबर कई दिनों तक व्रत रखने में और विधवाओं द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है । हो सकता है कि कलकत्ता वालों ने कहा हो कि साबूदाना तो एक पवित्र वस्तु है और टेपीओका ग्लोब्यूल्स दूसरी चीज़ है अतः इसको इसके असली नाम से पुकारना चाहिये । मैं तो यह चाहता हूं कि प्रत्येक भारतीय उद्योग भली भांति फले फूले । और भारत सरकार द्वारा उसे वे सभी सुविधायें प्राप्त हों जो कि भारत सरकार उसे दे सकती है । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि वाणिज्य मंत्रालय मलाया से आयात करने की चाहे स्वीकृति न भी दे किन्तु इसे इसके असली नाम अर्थात् टेपीओका ग्लोब्यूल्स से पुकारना अधिक उचित एवं ठीक होगा ।

जब हमारे देश में साबूदाने का उत्पादन होता ही नहीं है तो भला प्रशुल्क लगाकर इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है ? मेरा निवेदन है कि सरकार इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार करेगी और अनावश्यक कठिनाई को दूर करने का प्रयत्न करेगी ।

श्री वी० पी० नायर: यदि आप शब्द-कोष देखें तो आपको ज्ञात होगा कि साबूदाने का अभिप्राय उस उत्पादन से है जो सागो पाम से तैयार किया जाता है । जनता इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि सन् १९४० से जो साबूदाना वह खा रही है वह असली साबूदाना है और सरकार ने कभी भी यह बताने का प्रयत्न नहीं किया जिस साबूदाने का आयात किया जाता था वह असली साबूदाना नहीं है अपितु असली साबूदाना तो हमारा अपने देश का है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी: श्री बर्मन का संशोधन स्वयं अधिनियम का विरोध करता है अतः यह उचित नहीं है । यदि आप प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन के पृष्ठ ६ को देखें तो आपको ज्ञात होगा कि पैराग्राफ ५(क) में सागो ग्लोब्यूल्स तथा टेपीओका पर्ल्स का उल्लेख है । इसके अनुसार सागो ग्लोब्यूल्स या तो टेपीओका की जड़ों से या सागो पाम से तैयार होता है और ये दोनों

उत्तर भारत में साबूदाने के और दक्षिण भारत में जवारासी के नाम से विख्यात हैं। इस विधेयक का उद्देश्य टेपीओका की जड़ों से बने सागो ग्लोब्यूल्स के आयात पर प्रतिबन्ध लगाना है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके कहने का तात्पर्य यह है कि सागो पाम से ब्राजील में सागो ग्लोब्यूल्स तैयार नहीं होते। और उसके आयात करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है ?

श्री एस० वी० रामस्वामी : साबूदाना तो एक व्यापक नाम है। विदेशी साबूदाने की कई किस्में होती हैं। मांड से जो कुछ भी बनता है और यदि वह गोलियों की शक्ल में हो तो वह साबूदाना कहलाता है।

इम्पीरियल इन्स्टीट्यूट लन्दन के बुलेटिन और गवर्नमेंट एनएलिस्ट किंग इन्स्टीट्यूट के विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन को देखने से पता चलता है कि भारतीय साबूदाने का पोषाहारी महत्व विदेशी साबूदाने की अपेक्षा बहुत अच्छा है।

माननीय मंत्री के इस आश्वासन के प्रति कि वह इन उद्योगों के संरक्षण में बहुत रुचि रखते हैं, सभा बहुत ही कृतज्ञ है। इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का भी उन्होंने आश्वासन दिया है।

यह जुलाई में हुआ था। परन्तु अब तक कोई अधिसूचना नहीं निकाली गई है कि साबूदाना भी धारा ४६२ (१) के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं में से है। जुलाई में १०,००० बोरे पकड़े गये थे जिनका मूल्य लगभग ४० लाख रुपये होगा। यह मामले अब विचार-धीन हैं। अब उपखण्ड (१४) के अन्तर्गत १३ सितम्बर, १९५४ की अधिसूचना द्वारा साबूदाना भी सम्मिलित कर लिया गया। इस अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि साबूदाना वही समझा जायगा जो सैगो पाम के तने से प्राप्त किये गये स्टार्च से तैयार किया गया हो। यह तब किया गया है जब कि जुलाई में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा खाद्य मानक समिति की परिभाषा पश्चिम बंगाल सरकार के पास भेजी जा चुकी थी। मुझे सन्देह है कि इस प्रकार काम नहीं चलेगा इस लिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इसकी परिभाषा तटकर आयोग के प्रतिवेदन के शब्दों में कर दें और इस उद्योग को संरक्षण प्रदान करें जिसके लिये यह विधेयक बनाया जा रहा है जिस से कि इसके सम्बन्ध में कोई सन्देह न रहे कि हम किस को संरक्षण देना चाहते हैं।

श्री अच्युतन : दो संशोधन रखे गये हैं उन में से केवल एक श्री रामस्वामी का संशोधन विचारणीय है। तटकर आयोग ने भी विस्तृत जांच की है और बताया है कि तथा-कथित साबूदाना वही है जो टेपीओका पर्ल्स से तैयार किया जाता है। पहले यही पदार्थ मलाया से भी मंगाया जाता था। वहां भी यह टेपीओका पर्ल्स से ही तय्यार किया जाता था। इस प्रकार यदि "सैगो" शब्द को इतना अधिक महत्व न दिया जाये तो इस बात के कहने का कोई विशेष कारण नहीं रह जाता है कि सैगो (साबूदाना) सैगो पाम वृक्ष से ही तैयार किया हुआ होना चाहिये।

कलकत्ता निगम चाहता है कि साबूदाना मान के अनुसार हो। इस के लिये चाहिये कि वह इसे विश्लेषण के लिये प्रयोगशाला में भेजे और पता लगवावे कि इसमें कोई ऐसा दोष तो नहीं है जिसके कारण इसे सार्वजनिक रूप से बेचे जाने की अनुमति देना सम्भव नहीं है। इसके बजाय साबूदाने की ऐसी परिभाषा करना उचित नहीं है जिस से सलेम के साबूदाना बनाने वालों के सामने कठिनाइयां उत्पन्न हों। सलेम की जनता टेपिओका पर ही निर्वाह करती है। सारा टेपिओका त्रावणकोर-कोचीन से ही आता

[श्री अच्युतन]

है । खाद्य नियंत्रण के ज़माने में चावल का अभाव था तब टेपिओका से ही काम चलाया जाता था । अब इसका प्रयोग साबूदाना तैयार करने के लिये तथा वस्त्र उद्योग के लिये मांड तैयार करने के लिये किया जा सकता है । मैं माननीय वाणिज्य मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे इस बात का प्रयत्न करें कि वस्त्र उद्योग के लिये टेपिओका से मांड तैयार करने के सम्बन्ध में कोयम्बटूर तथा अहमदाबाद वस्त्र गवेषणा प्रयोगशालाओं में किसी प्रकार की गवेषणा की जाये । टेपिओका की खेती को प्रोत्साहन देने से त्रावणकोर कोचीन की जनता के एक बहुत बड़े भाग को जीवन निर्वाह का एक साधन दिया जा सकता है । नकली चावल के तैयार करने में भी टेपिओका का बहुत कुछ प्रयोग किया जाता है । मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री करमरकर: मुझे विश्वास है कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय, जिसका टेपिओका की खेती को प्रोत्साहन देने से विशेष सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में सभा में कही गई बातों पर विशेष रूप से ध्यान देगा । इस जड़ की खेती के विस्तार करने के सम्बन्ध में, जो एक पौष्टिक पदार्थ है, किसी प्रकार का मतभेद नहीं हो सकता है ।

दूसरा प्रश्न कलकत्ते की घटना के कारण उत्पन्न हो गया है । पश्चिमी बंगाल सरकार को हमने इस सम्बन्ध में लिखा है और अभी हमें ठीक से नहीं पता कि यह कार्यवाही किस धारा के अन्तर्गत की गई है । मालूम यही देता है कि सारी कठिनाई का कारण यह है कि तटकर आयोग ने "सैगो" शब्द को एक वर्गीय शब्द के रूप में समझा है और उन्होंने टेपिओका के दानों को भी साबूदाना कहा है ।

पश्चिमी बंगाल विधान सभा को संविधान के द्वारा कुछ शक्तियां दी गई हैं और उस विधान सभा ने कुछ शक्तियां कलकत्ता निगम को दी हैं । कलकत्ता निगम ने तय किया है कि कोई पदार्थ साबूदाने के नाम से उस समय तक नहीं बेचा जा सकेगा जब तक कि वह ऐसे सैगो पाम के तनों से तैयार किये हुये मांड से तैयार न किया गया हो जैसे सैगस रम्फिआई, सैगस फैरिनीफैरा, माइक्स रेवोल्यूटा, माइक्स सिर्सीनालिस । यदि कलकत्ते के व्यापारी कल से इस पदार्थ को टेपिओका के दानों का नाम देकर बेचने लगें तो प्रत्येक मामला विधि की पकड़ से बाहर हो जायगा । कुछ भी हो इसका उस संरक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो विचाराधीन विधेयक के अन्तर्गत दिया जा रहा है । फिर भी यह विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं किया जाना चाहियेजिससे इस उद्योग को धक्का पहुंचे । इस विषय पर हम पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ लिखा पढ़ी कर रहे हैं और आशा करते हैं कि शीघ्र ही इस कठिनाई से बाहर निकलने का कोई न कोई उचित मार्ग निकल आयेगा । तब तक अच्छा होगा कि कठिनाई से बचने के लिये व्यापारी इसे टेपिओका के दानों की संज्ञा देकर बेचें ।

१९४० के पहले हम जो साबूदाना प्रयोग में लाते थे वह मलाया से आता था । तटकर आयोग ने इस विषय पर विचार किया है और टेपिओका के दानों में सुधार करने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये हैं । मुझे इस में कोई सन्देह नहीं कि साबूदाना बनाने वाले इन सुझावों से पूरा पूरा लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे । इस विधेयक का सभी ओर से समर्थन किया गया है । मैं दोनों संशोधनों का विरोध करता हूं ।

(श्री एस० वी० रामस्वामी ने सभा की अनुमति से अपना संशोधन वापस ले लिया ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री बर्मन का संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया

पृष्ठ १ में, पंक्ति १ तथा २ के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जायें:

"Be it enacted by Parliament in the fifth year of the Republic of India as follows:–"

"भारत के गणराज्य के पंचम वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित प्रकार से अधिनियमित किया जाता है :––"

––[श्री करमरकर]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री करमरकर: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

श्री वी० पी० नायर: एक बात कही गई थी कि इस अवस्था में भी १९५४ में सरकार एक प्रकार का अधिमान कर आरोपित करती है । क्या इसके सम्बन्ध में कुछ कहा जायेगा ?

श्री करमरकर: इस का अवसर मैं फिर कभी दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): मैं प्रस्ताव करता हूं .....

उपाध्यक्ष महोदय: श्री ए० पी० जैन की ओर से ।

श्री जे० के० भोंसले: श्री ए० पी० जैन की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर तथा पुनर्वास अनुदान देने के लिये तथा उससे सम्बन्धित विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाय ।"

सभा को स्मरण होगा कि गत मई में संसद् के आयव्ययक सत्र में पुनर्वास मंत्री ने एक विधेयक पुरःस्थापित किया था जिससे सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह भारत में निष्क्राम्य सम्पत्ति के स्वामियों के अधिकार अर्जन कर सके और विस्थापित व्यक्तियों को अंशतः प्रतिकर देने में इस सम्पत्ति का उपयोग किया जा सके ।

इस विनिश्चय के पूर्व दीर्घकाल तक चली हुई जटिल वार्ता को, जिसके असफल होने के कारण ही विनिश्चय अनिवार्य हो गया, पुनः दोहराना मेरे लिये आवश्यक नहीं है ।

[श्री जे० के० भोंसले]

विस्थापित व्यक्तियों से यह बराबर मांग थी कि पाकिस्तान के साथ करार की प्रतीक्षा किये बिना उन्हें स्थायी रूप से निष्क्राम्य सम्पत्ति बांट दी जाय । आगे यह मांग इस तथ्य से और दृढ़ हो गयी कि पाकिस्तान दोनों सरकारों के बीच उचित निबटारे के आधार पर निष्क्राम्य सम्पत्ति के जटिल प्रश्न को सुलझाने की स्थिति में नहीं है । इस निष्फल वार्ता की पार्श्वभूमि में यह स्पष्टत: अनुचित होगा कि सभी विस्थापित व्यक्तियों का स्थायी पुनर्वास पाकिस्तान के साथ समस्या-युक्त निबटारे पर आधारित हो । घटनाओं को अब अधिक प्रतीक्षा न कर, १९४७ में प्रारम्भ किये पुनर्वास कार्य को समाप्त करने का, जिसमें प्रतिकर का भुगतान एक पूर्ण कार्यवाही कही जा सकती है, सरकारी विनिश्चय प्रतिकर तथा पुनर्वास विधेयक द्वारा व्यक्त किया जाता है ।

सभा को अवगत होगा कि इस विधेयक में प्रतिकर समूह के लिये उपबन्ध है जिसमें निष्क्राम्य सम्पत्ति, गत सात वर्षों में इन सम्पत्तियों पर इकट्ठा हुआ किराया तथा सरकार का अंशदान सम्मिलित होगा । इस विधेयक में प्रतिकर के लिये समूह की जमा को उपयोग में लाने के लिये भी उपबन्ध है । जिस गति से यह सम्पत्ति बेची जायगी अथवा विस्थापित व्यक्तियों को हस्तान्तरित की जायगी उसका प्रभाव इस पर बहुत अधिक पड़ेगा कि योजना किस गति से कार्यान्वित की जाती है ।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

संसद् की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष यह विधेयक रहा और कुछ ही दिनों पूर्व समिति ने अपना प्रतिवेदन उपस्थापित किया है । समिति ने विस्थापित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत ज्ञापनों पर विचार किया और तत्पश्चात् उसने विधेयक की पूर्णरूप से परीक्षा की और अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किये । उनमें से उल्लेखनीय तीन चार परिवर्तनों के विषय में मैं बताऊंगा ।

पहला इस सम्बन्ध में है कि विस्थापित व्यक्तियों से आवेदन पत्र कब और किस प्रकार मंगाये जाने चाहिये । सभा को अवगत होगा कि अब तक श्रेणी के अनुसार क्रमश: विस्थापित व्यक्तियों से, जिन्हें प्रतिकर के लिये सब से अधिक उपयुक्त समझा जाता था, आवेदन पत्र मांगे जाते थे । इन श्रेणियों में शिविरों में रहने वाले और अपंग व्यक्ति तथा विधवायें थीं । इस प्रकार पूर्ववर्तिता श्रेणियों की पहली सूची में लगभग ५५,००० मामले थे और उसमें समय समय पर और जोड़ दिये गये जिससे अक्तूबर, १९५४ तक मोटे तौर पर २½ लाख दावेदार प्रतिकर के लिये आवेदन कर चुके होंगे । संयुक्त समिति ने यह सिफारिश की है कि श्रेणियों के आधार पर चुनने की प्रक्रिया बन्द कर दी जाय और अब आवेदन पत्र किसी विशेष राज्य से अथवा राज्यों के समुदाय से मंगाये जायें । आगे उन्होंने यह भी सिफारिश की है कि आवेदनपत्र मंगाने का कार्य ३० जून, १९५५ तक समाप्त हो जाय । यह एक महत्वपूर्ण उपबन्ध है जिससे आवेदन पत्र मंगाये जाने के समय पर एक सीमा कायम कर दी गयी है ।

दूसरी सिफारिश बैंकिंग कम्पनियों को सहायता देने के सम्बन्ध में है । सभा को अवगत होगा कि बैंकिंग कम्पनियां ऋण समायोजन अधिनियम, १९५१ के क्षेत्र से बाहर कर दी गयी थीं और इसलिये उस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त न्यायालयों से वे निवारण की मांग न कर सकीं । संयुक्त प्रवर समिति ने इस आशय की सिफारिश

की है कि ऐसे बैंक जिन्होंने किसी ऐसी सम्पत्ति पर जिसके विषय में दावे की जांच कर ली गयी हो, बन्धक या पूर्वाधिकार के आधार पर ऋण दिया हो, प्रतिकर के एक भाग के लिये हक़दार होने चाहियें । मुझे विश्वास है कि सभा इस विधेयक पर अपना अनुमोदन देगी क्योंकि इससे विस्थापित बैंकों को अपने जमा करने वालों की आवश्यकतायें पूरी करने में सहायता मिलेगी ।

संयुक्त प्रवर समिति ने सिफारिश की है कि सभी प्रकार के प्रन्यासों को इस विधेयक की सीमा से अपवर्जित कर दिया जाय तथा इस निष्क्रमणार्थी पुंज का उपयोग प्रन्यास सम्पत्ति की क्षतिपूर्ति देने के लिये न किया जाय । संयुक्त प्रवर समिति ने सिफारिश की है कि उन विस्थापित व्यक्तियों को विशेष संरक्षण दिया जाय जो उस सम्पत्ति के किरायेदार हैं जो कि निष्क्रांत स्वामियों को हस्तान्तरित होने वाली है क्योंकि उन्हें बेदखली का भय है । किसी विशेष प्रकार का संरक्षण बहुत आवश्यक है क्योंकि सैंकड़ों हज़ारों ऐसी सम्पत्तियां जिन में विस्थापित किरायेदार रहते हैं नये मालिकों के पास चली जायेंगी, तथा यदि सम्पत्तियों के नये स्वामियों द्वारा की जाने वाली सम्पूर्ण अव्यवस्था को न रोका गया तो बहुत कठिनाइयां तथा दिक्क़तें पैदा होंगी । यह स्वाभाविक है कि इन शर्तों के आधीन ऐसा संरक्षण प्राप्त होगा जिससे कि सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के प्रति न्याय होगी ।

विधेयक का दूसरा खंड, जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा, खंड ९ है जिसमें क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी व्यक्तियों के विवादों का निर्णय करने का उल्लेख है । ऐसे विवादों का समझौता करने का अधिकार इस अधिनियम द्वारा नियुक्त अधिकारियों को दिया गया है, क्योंकि समिति ने यह अनुभव किया कि उभय पक्षों के लिये अपने विवादों का न्यायालय में निपटारा कराना कठिन होगा । मृतक दावेदार के उत्तराधिकार का प्रश्न भी यही अधिकारी निपटायेंगे, यदि सम्बन्धित अधिकारी की दृष्टि से कोई मामल उलझन पूर्ण हो तो उलझे हुए प्रश्नों को ज़िला न्यायाधीश को निर्देश किये जाने का भी उपबन्ध है ।

कई करोड़ रुपये तथा सैंकड़ों हज़ारों मकानों का हस्तान्तरण एक ऐसा कार्य है जिसके लिये महान् शब्द ही उपयुक्त है । यह प्रक्रिया कठिनाइयों से पूर्ण है क्योंकि पुंज का अधिकांश भाग सम्पत्ति के रूप में है, जिसका वितरण सरलता से नहीं हो सकता है । इन मकानों में कई वर्षों से विस्थापित व्यक्ति किराये पर रहते थे तथा बहुतों के दावे हैं, तथा बहुतों के नहीं हैं । इन सम्पत्तियों का हस्तान्तरण न्यूनतम अव्यवस्था के साथ होना चाहिये । हमने ऐसे शासन यंत्र का उपबन्ध किया है जो विधेयक की समस्त सीमा को आवेष्ठित कर लेगा तथा उसे ही यह कार्य सौंपा जायेगा ।

यह विश्वास दिलाने के लिये कि यह व्यवस्था केवल कार्य नहीं कर रही है किन्तु वह अपने कार्य की महत्ता तथा पवित्रता से परिचित एवं चैतन्य है, हमने पथ प्रदर्शन के लिये एक सलाहकार समिति का उपबन्ध किया है, जो कि इस योजना के विस्थापित व्यक्तियों पर तथा जनमत पर हुए प्रभावों एवं प्रतिक्रियाओं के प्रति जागृत रहेगी । यह सलाहकार समिति इस योजना के संचालकों को सलाह देती रहेगी ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक पर विचार किया जाय तथा उसे पारित किया जाय ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर तथा पुनर्वास अनुदानों के

[सभापति महोदय]

भुगतान तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप म, विचार किया जाय ।"

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : वास्तव में मैं नहीं जानता कि मुझे पुनर्वास मंत्री तथा प्रवर समिति के सदस्यों को बधाई देनी चाहिये अथवा उनसे विस्थापितों के लिये अधिक सुविधाओं तथा सहायता के लिये प्रार्थना करनी चाहिये ।

पुनर्वास कार्य का प्रारम्भ सन् १९४७ से हुआ । सरकार ने पश्चिमी पंजाब के विस्थापितों के पुनर्वास के लिये प्रशंसनीय प्रयत्न किया किन्तु उन सभी प्रयत्नों में एक कमी रही, वह यह थी कि 'देर' होने के कारण वे तरक़ीबें प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुईं । जो कुछ भी किया गया वह उचित समय पर नहीं किया गया ।

जहां तक प्रतिकर स्वीकार करने का सम्बन्ध है हम बहुत शिथिल रहे हैं । मैं इसके लिये सरकार को अपराधी नहीं ठहराता हूं क्योंकि इसके लिये पाकिस्तान सरकार भी उत्तरदायी है । पाकिस्तान के एक प्राध्यापक ने मुझे बतलाया कि उसे उसके द्वारा भारत में छोड़ी गई सम्पत्ति से कहीं अधिक मिला है । मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने एक साहसिक निर्णय किया है तथा हमने एकपक्षीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है । विस्थापितों के पुनर्वास को केवल धन तथा सम्पत्ति के ही अर्थों में नहीं लेना है, प्रत्युत उसे मनोविज्ञान के अर्थों में भी लेना है । हमें उन व्यक्तियों के हृदय पर लगे घावों का उपचार करना है । तथा देर होने से घावों का सही उपचार नहीं हो सका ।

सभापति महोदय: श्री डी० सी० शर्मा ने १५ मिनट ले लिये हैं अब केवल १४ मिनट और बाकी हैं । इस महत्वपूर्ण विधेयक पर खंड वार चर्चा के समय बहुत से सदस्य बोलना चाहेंगे, इसलिये हमें समय की मितव्ययता करनी चाहिये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : संशोधन बहुत साधारण है तथा आशा है कि माननीय मंत्री के आश्वासन के पश्चात उनमें से अधिकतर वापस ले लिये जायें । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि विधेयक पर सामान्य चर्चा के लिये अधिक समय दिया जाय ।

श्री डी० सी० शर्मा: संयुक्त प्रवर समिति को दिये गये ज्ञापन में कहा गया है कि निष्क्रांत सम्पत्ति की अस्पष्ट परिभाषा के परिणामस्वरूप निष्क्रांत सम्पत्ति संचयन में पर्याप्त कमी हुई है । पाकिस्तान में समस्त ग़ैर मुस्लिम सम्पत्ति को निष्क्रान्त माना गया है । वहां पर केवल दावेदारों के वक्तव्य को मानकर ही निष्क्रांत सम्पत्ति मुसलमानों को दे दी गई है । वहां बहुत सी छिपी हुई सम्पत्ति भी है जिसे विधि लागू करने में नरमी से काम लेने अथवा अभिरक्षक द्वारा सम्पत्ति के स्वामी का पता लगान में ढिलाई किये जाने के कारण निष्क्रांत सम्पत्ति घोषित नहीं किया गया है ।

इस कार्य के निबटारे के लिये सरकार के पास १८५ करोड़ रुपये थे । शरणार्थी संस्थाओं के ज्ञापन के अनुसार सरकार को इस रक़म के प्रति वचनबद्ध रहना चाहिये ।

शरणार्थी दो प्रकार के हैं—ग्रामीण शरणार्थी और शहरी शरणार्थी । ग्रामीण शरणार्थी को छोड़ी गई सम्पत्ति का ५० प्रतिशत भाग दिया गया है । हमें समान सिद्धान्त से काम लेना चाहिये । माननीय मंत्री से प्रार्थना है कि वह इस बात का ध्यान रखें कि ग्रामीण शरणार्थियों के सम्बन्ध में

प्रयुक्त विधि ही शहरी शरणार्थियों पर भी लागू की जाये । शहरी शरणार्थियों को भी कम से कम ५० प्रतिशत भाग मिलना चाहिये । इस सम्बन्ध में मैं अखिल भारत शरणार्थी संघ द्वारा प्रस्तुत योजना की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा । मेरे विचार में यह योजना केवल यूटोपिया की भांति न होकर व्यवहार्य भी है । इस योजना के निर्माता वे व्यक्ति हैं जिन्होंने शरणार्थी समस्या पर निस्पृह रूप से विचार किया है । इसके अनुसार १८५ करोड़ रुपया लोगों में वितरित कर दिया जाये । सरकार को इस क्षतिपूर्ति के स्तर को कृष्यभूमि के लिये दी गई क्षतिपूर्ति के समान स्तर पर लाया जाना चाहिये । कुछ मित्रों का विचार है कि पाकिस्तान से कुछ भी प्राप्त करना कोरी कल्पना है । परन्तु मेरा विश्वास है कि हम पाकिस्तान से अवश्य कुछ रक़म प्राप्त कर सकेंगे ।

इस विधेयक में शरणार्थियों की कठिनाइयां कम करने के और भी प्रयत्न किये गये हैं । ५०० रुपयों तक के ऋण की छूट वस्तुतः अभिनन्दनीय है । देयराशि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा दी गई परिभाषा से मुझे वस्तुतः प्रसन्नता हुई है । यह सब बातें तो उसमें हैं किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि माननीय मंत्री शरणार्थियों को निष्कासन के सम्बन्ध में आश्वासन दें । उन्होंने कहा है कि जिन दुकानों में वे आजकल व्यापार करते हैं, नीलामी के पश्चात् वे उनकी नहीं रहेंगी । उन दुकानों से निकल जाने के बाद उनकी क्या अवस्था होगी ? यह सम्पत्ति केवल शरणार्थियों को ही दी जानी चाहिये । यदि आप उन्हें दुकानों से बाहर कर देंगे तो वे फिर दुकानों की तलाश करेंगे और कोई अन्य व्यापार-धन्धा ढूंढेंगे । वह दुबारा शरणार्थी बन जायेंगे । मुझे विश्वास है पुनर्वास मंत्री इस समस्या का हल ढूंढेंगे ।

बहुत से व्यक्तियों ने मुझे एक ज्ञापन दिया है कि सरकार ने शरणार्थियों के लिये जो मकान, बस्तियां और दुकानें बनाई हैं उनकी क़ीमत उचित रूप से निर्धारित नहीं की गई है । माननीय मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि शरणार्थियों को नियत की गई दूकानें 'न लाभ, न हानि' के आधार पर दी जायें ।

इस दिशा में बहुत कुछ किया गया है किन्तु क्षतिपूर्ति की समस्या इस का मूल है । यह कार्य धीमी गति से न किया जा कर तेजी से सम्पन्न किया जाना चाहिये । मैं किसी सीमा अवधि का सुझाव नहीं रखना चाहता हूं, मेरी केवल यही इच्छा है कि यह कार्य कुशलता एवं शीघ्रता के साथ किया जाये । एक साधारण शिकायत यह भी है कि वर्तमान व्यवस्था मानवीयता से रहित है ।

आरम्भ में मैं ने कहा था कि विधेयक के प्रति मेरी मिश्रित भावनायें हैं । मुख्य प्रश्न क्षतिपूर्ति का है । माननीय मंत्री को इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि क्षतिपूर्ति की रक़म अधिक से अधिक हो तथा जल्दी दी जाये । इस सम्बन्ध में जो नियम बनाये जायें उन्हें सदन पटल पर रखा जाये जिस से कि हम जान सकें कि कार्य की अभिपूर्ति किस प्रकार हो रही है । मुझे उम्मीद है कि वह मेरी अपील पर ध्यान देंगे ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (नई दिल्ली): मुझे प्रसन्नता है कि सात वर्षों के बाद अन्ततोगत्वा यह क्षतिपूर्ति विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । शरणार्थी अत्यधिक धैर्य के साथ इस की प्रतीक्षा कर रहे थे । इसमें कोई सन्देह नहीं कि सरकार ने शरणार्थियों के लिये बहुत कुछ किया है । किन्तु अभी भी सहस्रों शरणार्थी ऐसे हैं जो समुचित रूप से पुनर्वासित नहीं हैं और उनकी

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

आशा है कि क्षतिपूर्ति के पश्चात् वे पुनर्वास क स्थिति में हो सकेंगे ।

क्षतिपूर्ति की समग्र योजना से सम्बन्धित कुछ मूलभूत विषयों की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा । शरणार्थियों को देने के लिये सरकार के पास १८५ करोड़ रुपया है जब कि शरणार्थियों द्वारा पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति ५५० करोड़ रुपये है । ५५० करोड़ रुपया केवल अचल सम्पत्ति का ही मूल्यांकन है और करोड़ों रुपये की चल सम्पत्ति की गणना नहीं की गई है ।

सन् १९४७ में बहुत अधिक संख्या में मसलमान यहां से पाकिस्तान जा रहे थे और भारी संख्या में हिन्दू और सिख पाकिस्तान छोड़ कर यहां आ रहे थे । यह लोग अपने पीछे अतुल सम्पत्ति छोड़ कर आ रहे थे । लियाकत अली और हमारे प्रधान मंत्री ने परस्पर एक समझौता किया जिसके परिणामस्वरूप हमारे देश में और पाकिस्तान में अभिरक्षण संगठन की स्थापना की गई । इस संगठन पर अभी तक लाखों रुपया खर्च किया जा चुका है । भारत में चार-पांच करोड़ मुसलमान अभी शेष हैं और सरकार के नियंत्रणाधीन सम्पत्ति का मूल्य १०० करोड़ रुपया है । पाकिस्तान से,——उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रदेश और बलूचिस्तान व बहावलपुर से समस्त हिन्दू और सिक्ख यहां आ गये हैं । केवल सिंध में थोड़े से हरिजन हैं जिनके पास अपनी सम्पत्ति नहीं है । अतः पाकिस्तान लाभप्रद स्थिति में है और सदैव उसकी मंशा समझौता न करने की रही है । कदाचित यह एक स्पष्ट रहस्य है कि १९५० में जब पंडित नेहरू और लियाकत अली मिले थे तो लियाकत अली की सबसे पहली मांग यह थी कि निष्क्रांत सम्पत्ति विधि का निरसन कर दिया जाये । श्री मोहम्मद अली की भी यही मांग थी किन्तु हमारी सरकार ने भिन्न दृष्टिकोण अपनाया । उसका मत था कि समझौते के बाद ही उक्त विधि रद्द की जा सकती है, पहले नहीं । पिछले सात वर्षों में ऐसी कार्यवाहियां की गई हैं जिनके कारण निष्क्रांत सम्पत्ति विधि अप्रयुक्त सी रही है । मैं पूरे ब्यौरे में नहीं जाना चाहती हूं लेकिन उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं——छन्नीवाला का मामला और श्री अछरूराम जैसे विख्यात न्यायाधीश का त्यागपत्र । उसके बाद सरकार की नीति शनैः शनैः विधि की कठोरता को कम करने की ही रही है । इस नीति की अन्तिम अभिव्यक्ति उस दिन देखी गई जब ७ मई, १९५४ को निष्क्रांत सम्पत्ति विधि का संचालन स्थगित कर दिया गया था । संसद् को इसका ज्ञान नहीं था प्रत्युत यह केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था थी ।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): मैंने संसद् में इस आशय का वक्तव्य दिया था कि कार्यपालिका आदेशों द्वारा निष्क्रांत सम्पत्ति विधि रद्द की जाने वाली है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी: मुझे खेद है कि मैं उस समय उपस्थित नहीं थी । ७ मई के पश्चात् मुसलमानों द्वारा ८,००० और १०,००० प्रार्थनापत्र दिये गये हैं कि उन्हें सम्पत्ति लौटा दी जाये । यदि प्रतिकर संचयन निष्क्रांत संचयन से पृथक् होता तो यह कठिनाई कभी पैदा नहीं होती । मैं पूछना चाहती हूं कि क्या निष्क्रांत मुसलमानों के प्रति न्याय करने के लिये शरणार्थियों के हितों की कुर्बानी दी जाती रहेगी ?

श्री गोपालस्वामी आयंगर के मंत्रीकाल में मंत्रालय ने एक क्षतिपूर्ति संचयन बनाने का निर्माण किया था । इसे 'क्ष त्र ज्ञ' सूत्र कहते हैं । इसमें सम्पत्ति के तीन स्रोत

थे। क्ष--पाकिस्तान से प्राप्त होने वाली सम्पत्ति, त्र--सरकारी अनुदान और ज्ञ--यहां का निष्क्रांत सम्पत्ति संचयन। जहां तक क्ष का सम्बन्ध है पाकिस्तान ने सम्पत्ति के किसी भी अंश को देने से इन्कार कर दिया है। त्र के सम्बन्ध में हम प्रधान मंत्री पर बार बार जोर दे रहे हैं कि वह कुछ रुपया दें। ज्ञ सम्पत्ति हमारे पास है। आज शरणार्थी अत्यधिक चिन्तित हैं। १८५ करोड़ रुपये की सम्पत्ति भी कम होती जा रही है। दुर्भाग्य से हमारे पुनर्वास मंत्री के पास ईसा मसीह के समान कोई दैवी शक्ति नहीं है कि वह पांच रोटियों से ५,००० व्यक्तियों की भूख शान्त कर दें। यदि क्षतिपूर्ति की योजना के पीछे कोई वास्तविकता है तो सरकार को इस संचयन में कुछ सारभूत राशि मिलानी चाहिये। प्रवर समिति के सभी सदस्यों ने यह सम्मति प्रकट की थी कि इसमें सरकारी अनुदाय बढ़ाया जाये। सरकार को कम से कम पचास प्रतिशत क्षतिपूर्ति देनी ही चाहिये। ग्रामीण दावेदारों को ६६-७० प्रतिशत दिया गया है, अतः नगरीय दावेदारों को कम से कम २०-२५ प्रतिशत तो मिलना ही चाहिये।

इस विधेयक से इस का कोई उल्लेख नहीं है, अतः यह विधेयक निराशाजनक है। परन्तु प्रश्न यही है कि धन कहां से लायें। थोड़े बहुत धन से काम चल नहीं सकता है। इसके लिये हमें पर्याप्त धन राशि चाहिये। प्रवर समिति ने २५० करोड़ रुपयों के दिये जाने की सिफारिश की है।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : श्रीमान्, हम इस विधेयक को महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय समझते हैं क्योंकि इसका सम्बन्ध लाखों त्रस्त मानवों से सम्बन्धित है। में शरणार्थियों की कठिनाइयों और वेदनाओं का चित्रण नहीं करना चाहता हूं। वे सर्वविदित हैं। सरकार ने जिस संचयन की रचना की ह वह क्षतिपूर्ति के प्रयोजन से सर्वथा अनुपयुक्त है। लाखों शरणार्थी आज दुःखी अवस्था में हैं। अभी भी ऐसे शरणार्थी हैं जिनकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय है और उनमें से अधिकांश के पास रहने का स्थान भी नहीं है और वे असहाय अवस्था में हैं। वे यह नहीं जानते हैं कि नीलामी के बाद उनकी क्या गति होगी।

यदि आप इन व्यक्तियों के प्रति वास्तव में अपना दायित्व निबाहना चाहते हैं तो हमें इन व्यक्तियों के पुनर्वास की ओर समुचित ध्यान देना चाहिये, किन्तु जब हम इस पुंज की राशि पर विचार करते हैं तो देखते हैं कि यह राशि अपर्याप्त है।

विधेयक को देखने से पता चलता है कि यह विधान केवल एक समर्थ बनाने वाला विधान है। इस विधेयक में वस्तुतः कोई योजना नहीं दी गई है।

इस विधेयक के सम्बन्ध में एक बड़ी कठिनाई यह है कि बहुत सी चीजों के सम्बन्ध में, चाहे वे व्यवस्थापन निगम हों अथवा विवादों को सुलझाने का प्रश्न हो, अथवा मकानों को आवंटित करने या नीलाम करने का प्रश्न हो, यह सब चीजें सरकारी नियमों के अनुसार तथा कुछ अधिकारियों के निदेशों के अनुसार सुलझाई जायेंगी। हमारा अनुभव यह बताता है कि इस से अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं।

इस पुंज के सम्बन्ध में, ६६ प्रतिशत का दावा किया गया है तथा सभी प्रतिनिधियों ने, जिन्हों ने प्रवर समिति के सामने साक्ष्य दिया है, यही मांग की है, तथा प्रवर समिति के सदस्यों ने भी यह अनुभव किया है कि इस पुंज को बढ़ाया जाय तथा सरकार अधिक धन प्रदान करे। इसलिये इस विधेयक

[श्री एन० बी० खरे]

को पारित करते समय सरकार यह आश्वासन दे कि सरकार पुनर्वास के लिये अपेक्षित अतिरिक्त धनराशि देगी चाहे वह पुनर्वास सम्बन्धी किसी भी कार्य के लिये अपेक्षित हो । सरकार ही इस मामले की देखरेख करे । इस के लिये कोई अवधि निश्चित नहीं होनी चाहिये तथा मंत्रालय को तब तक काम करना चाहिये जब तक कि उस के अस्तित्व की इन व्यक्तियों का उचित रीति से पुनर्वास करने के लिये आवश्यकता हो ।

अब मकानों के वितरण इत्यादि के सम्बन्ध में प्रत्येक व्यक्ति ने यह सिफारिश की है कि यह लागत मूल्य पर दिये जाने चाहियें, किन्तु हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार द्वारा निर्मित प्रत्येक मकान तथा प्रस्तावित विधेयक को क्रियान्वित करने के सिलसिले में बेचे जाने वाला प्रत्येक मकान इसी आधार पर रखे जाने चाहियें या नहीं ।

अब उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जो ऐसे मकानों पर, जिन्हें निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित कर दिया गया है, अधिकारकिये हुए ह हम अनुभव करते हैं कि विस्थापितों को प्राथमिकता दी जाय ; किन्तु यदि लो ऐसे मकानों म कई वर्षों से रह रहे हैं तो ऐसे मामलों में यह प्रत्याभूति दी जाय कि इन को बदखल नहीं किया जायेगा । तथा किराया नियंत्रण आदेशों के रहते हुए भी इन्हें कम से कम पांच वर्ष तक रहने की आज्ञा दी जायेगी ।

तत्पश्चात् निर्धन वर्ग के विस्थापितों के सम्बन्ध म अन्तरिम क्षतिपूर्ति योजना में कहा गया है कि पंजाब के लगभग ५,७५,००० खेतिहरों म से ४,७५,००० को भूमि दे दी गई है किन्तु शेष व्यक्तियों का क्या हुआ है ? अब उन की अवस्था क्या है ? यह हम जानना चाहते हैं ।

मध्यम वर्ग के तथा उन से भी गरीब वर्ग के सम्बन्ध में, ऐसे परिवारों के विद्यार्थियों को कुछ वृत्तियां मिलती हैं । सरकार यह घोषणा क्यों नहीं करती है कि ये वृत्तियां उन के अभिभावकों को दिये जाने वाले दावों से नहीं काटी जायेंगी । सरकार ने यह सुविधायें अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को भी दी हैं तब यही सुविधायें विस्थापित व्यक्तियों को क्यों नहीं दी जा सकती हैं । मेरा निवेदन है कि दावों का निपटारा करते समय इन रक़मों को काटा न जाये ।

अब मैं भारतीय नागरिकों के प्रश्न पर आप का ध्यान आकर्षित करूंगा । विभिन्न निष्क्रान्त विधियों के कारण, जो यहां अधिनियमित हुई हैं, कुछ भारतीय मुसलमानों को, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गये थे, कुछ कठिनाइयां उठानी पड़ी हैं ; इसलिये यदि कोई सम्पत्ति गलती से निष्क्रान्त पुंज में आ गई हो उस की समुचित रीति से परीक्षा की जानी चाहिये तथा ऐसे लोगों को अपनी सम्पत्ति वापस प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिये ।

अब मैं दावेदारों तथा गैरदावेदारों के प्रश्न पर आता हूं । कुछ व्यक्तियों ने दावे नहीं किये हैं अथवा उन के बहुत छोटे छोटे दावे हैं, किन्तु उन्हें ऋण तथा दूसरे भत्ते दिये गये हैं । ऐसे मामलों पर हमें अधिक ध्यान देना चाहिये तथा उन्हें उपयुक्त रीति से पुनर्वासित करना चाहिये ।

मैं दूसरे महत्वपूर्ण विषयों की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । पहला विषय प्रबन्धक निगमों, कल्याण निगमों आदि का है । इन के लिये किसी प्रशासनिक संघटन की आवश्यकता नहीं है और ग़ैर-सरकारी व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को स्वीकार कर के सरकार ने अच्छा काम

किया है । हम शरणार्थियों को अधिक प्रतिनिधित्व देना चाहते थे, ताकि वे इन सम्पत्तियों की उत्तम देख भाल कर सकें । हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि वास्तव में शरणार्थियों के पर्याप्त प्रतिनिधियों को स्थान मिले । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस प्रतिकर कोष को कम से कम प्रमाणित दावों के समूल मूल्य के ५० प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाना चाहिये । सरकार को पुनर्वास कार्य का उत्तरदायित्व अपने ऊपर रखना होगा और नीलामी, तथा मकानों के आवंटन आदि के कामों में इस बात का ध्यान रखना होगा कि भ्रष्टाचार तथा अन्य बुरी बातों के कारण शरणार्थियों को हानि न उठानी पड़े ।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : सभापति जी, यह जो डिस्प्लेस्ड परसन्स कम्पेन्सेशन एंड रिहैबिलिटेशन बिल लाया गया है और जिस सूरत में यह सिलेक्ट कमेटी के पास से आया है, उस पर जो मेरी राय है उस को मैं आप के सामने रखना चाहता हूं । सिलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पृष्ठ ४ पर क्लाज़ ११ के बारे में यह सिफारिश की है :

> "जांच किये हुए दावों की तुलना में कम्पेन्सेशन पूल की राशि बहुत ही थोड़ी है । सार्वजनिक संस्थाओं को पुनर्वास के लिये अनुदान देश के सामान्य राजस्व में से दिये जाने चाहियें, कम्पेन्सेशन पूल में से नहीं ।"

यह सब से बड़ा सुझाव सिलेक्ट कमेटी ने आप के सामने रखा है । मैं यह कह सकता हूं कि जब तक कम्पेन्सेशन पूल के लिये सरकार या यह सदन और ज्यादा रुपया नहीं देता तब तक इस से कोई फायदा नहीं हो सकता और जिन रिफ्यूजीज़ को हम कम्पेन्सेशन देना चाहते हैं उन को इस से कोई फायदा नहीं मिल सकता । आखिर यह रुपया आवेगा कहां से ? यह कम्पेन्सेशन पूल तो ठीक है, लेकिन आप को यह भी देखना होगा कि आज से पांच सात साल पहले जो जायदाद की कीमत थी वह आज नहीं रह गई है । इस के अलावा पहले जो बाजार में जायदाद की कीमत थी वह आज नहीं है । इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरा ऐसा ख्याल है कि इस कमी को हम कहां से पूरा कर सकेंगे ।

सभापति जी, दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने अपनी दरखास्तें नहीं दी हैं उन की दरखास्तों का क्या होगा । उन की दरखास्तों पर आप गौर करेंगे या नहीं ? आप के क्लाज़ ५ में है कि :

> "जिन्हों ने अपने दावे समय पर दर्ज नहीं करवाये या जो अन्तिम तिथि के बाद भारत आये हैं उन का निबटारा इस खण्ड के अधीन किया जा सकता है ।"

इस के मुताबिक आप उन लोगों को अधिकार देते हैं और वे दरखास्त दे सकेंगे । लेकिन मैं आप से कहूं कि मुझे इस में शक है कि यह जो आप रुपया कम्पेन्सेशन पूल से देना चाहते हैं इस को आप दे सकेंगे या नहीं । जहां तक मैं समझ पाया हूं और जहां तक मेरी बुद्धि दौड़ती है वह यह है कि सरकार किसी किस्म से इस से ज्यादा रुपया देने के लिये तैयार नहीं है । यह मेरी राय है, हो सकता है कि यह गलत हो । अगर मेरी यह राय गलत होगी तो माननीय मंत्री महोदय इस को ठीक कर देंगे । मेरी ऐसी धारणा है कि अगर सरकार लांग टर्म बांड्स जारी करती तो उस से काफी रुपया आ जाता और वह रुपया दिया जा सकता था । हो सकता है कि मेरी इस धारणा पर मेरी और मंत्री महोदय की राय न मिले । लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर हम ने ऐसा किया होता

[सरदार ए० एस० सहगल]

तो इस म हम को बहुत कुछ सहायता मिल सकती थी। लेकिन हम ने ऐसा नहीं किया। इसलिये हमारे लोगों को जितनी मदद मिलनी चाहिये वह नहीं मिल सकेगी। आप ने १८५ करोड़ रुपया रखा है। मगर मेरा ऐसा ख्याल है कि यह रकम काफी नहीं है। क्योंकि जो दूसरे और लोग हैं उन को आप कहां से रुपया ला कर देंगे? जिन लोगों ने अभी अपनी मांगें नहीं दी हैं उन को आप रुपया कहां से देंगे? जो मुस्लिम भाई हैं उन्हों ने हजारों की तादाद में अपने क्लेम्स दे रखे हैं। आप उन को भी उन की चीजों के लिये रुपया देना चाहते हैं। वे यहां से चले गये थे। लेकिन हम उन के लिये सब कुछ करने के लिये तैयार हैं। हमारा पहला एग्रीमेंट १९४९ में हुआ था। हमारे यहां जो जायदाद थी उस की उस वक्त से कीमत बहुत कम हो गई है। उस के बाद दूसरी कान्फरेंस २६ जुलाई १९४९ को हुई पर उस में भी हमारा उन का कोई तस्फिया नहीं हुआ। और उस के बाद पाकिस्तान ने एक आर्डिनेंस जारी कर दिया और उन के यहां जो जायदाद छोड़ आये थे उसे वहां के लोगों को दे दिया। इस के बाद ५ मार्च सन् १९५२ को हमारे यहां यह हुआ कि हम सैटलमट करें। अगर आप सैटलमेंट करेंगे तो उनकी जो यहां दरखास्तें हैं उन पर गौर किया जायगा मगर जो हमारे भाइयों की वहां जायदादें हैं उन पर नहीं किया जायेगा। आखिर रुपया तो हम को उन्हें भी देना होगा। यह रुपया आवेगा कहां से। मेरी गरज यह है कि किसी न किसी तरह से आप को रुपया देना चाहिये और देने के लिये जो उन की चीजें हैं उन को पूरा करना चाहिये। इसलिये मेरी अर्ज यह है कि इन बातों पर आप विचार करें। जो यह विधेयक रखा गया है इस से हमें कुछ ज्यादा मिलने की आशा नहीं है। पाकिस्तान से हमें कुछ मिलने की आशा नहीं। अगर वहां कोई ईमानदार सरकार होती तो वह कहती कि जो तुम्हारा हमारे यहां है वह हम देने के लिये तैयार हैं और जो हमारा तुम्हारे यहां है वह तुम दे दो। लेकिन वह सरकार ईमानदारी से नहीं बरत रही है मैं नहीं समझता, सभापति महोदय, कि मैं ऐसी सरकार के लिये क्या शब्द इस्तैमाल करूं।

आप की सिलेक्ट कमेटी ने जिन चीजों पर गौर किया है उन में बहुत से धर्मार्थ ट्रस्ट हैं: "विस्थापित ट्रस्टों को कम्पेन्सेशन पूल में से कम्पेन्सेशन देना ठीक नहीं होगा।" उन को आप कुछ देंगे या नहीं देंगे? उन को आप के पूल में से कुछ मिल सकेगा? इस में मझे शक ह। मेरा तो यह कहना ह कि जो हमारे भाई वहां से यहां आये ह उन के लिये तो यह १८५ करोड़ रुपया ऐसे है जैसे कि 'ऊंट के मुंह में जीरा'। इस रुपया से हमारा कोई कार्य होने वाला नहीं ह। सभापति जी, किसी कवि ने कहा है कि "जिस तन लागे सोई जाने और को जाने पीर पराई", जिस के हृदय में लगती ह वही जानता ह। हम और आप उस को नहीं जान सकते हैं। इसलिये मेरी माननीय मंत्री से अर्ज है कि वह और भी कोई कार्रवाई करें। वह कबिनेट से कह कर और सरकार से कह कर और मदद करें।

सभापति जी, जहां पर हमारे रिफ्यूजी भाई रहते हैं उन को निकाला जा रहा है। मान लीजिये कि उन के मकान की किसी ने ऊंची बोली लगा दी, तो वह मकान उस को दे दिया जायगा। फिर जो वहां रह रहे हैं उन की क्या हालत होगी?

जब एक गैर शख्स उस मकान या जगह को ले लेता ह तो उस बेचारे रेफ्यूजी को निकालता है और तब वहां पर झगड़ा और दूसरी बातें खड़ी होती ह । इसलिये मेरी अर्ज़ ह कि जो जहां पर रह रहे हों वह अगर उन जायदादों को लेना चाहते हों तो उन को दे देनी चाहियें, दूसरे लोग जोकि आ कर वहां पर जायदाद खरीदना चाहते हैं उन्हें नहीं देना चाहिये । इन शब्दों के साथ सिलेक्ट कमेटी ने जो इतनी मेहनत के साथ इस चीज़ को बनाया ह, मैं उस का स्वागत करता हूं लेकिन मेरी प्रार्थना है कि मैं ने जो सुझाव दिये हैं और इस सदन के दूसरे माननीय सदस्यों ने भी जो सुझाव सरकार के सामने पेश किये ह, उन पर मंत्री महोदय को गौर करना चाहिये ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

सभापति महोदय : पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (जिला प्रतापगढ़—पूर्व): सभापति जी, इस विधेयक का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस के सम्बन्ध में कोई दूसरी राय नहीं हो सकती । जितने अब तक इस सदन के सदस्य बोले हैं या कोई बाहर इस में दिलचस्पी रखते हैं वह सब इस विधेयक को जो इस वक्त मंत्री जी लाये हैं उस का स्वागत करते हैं । और बहुत लोग तो यह कहते हैं कि हम बहुत दिनों से इस विधेयक की प्रतीक्षा कर रहे थे कि इस प्रकार का कोई विधेयक आता, क्योंकि उद्देश्य जिस से यह विभाग स्थापित किया गया था, यह मिनिस्ट्री बनी थी वह उद्देश्य दरअस्ल अब पूरा होने जा रहा है, अगर वह पूरा होता है तो, नहीं तो अभी तक यद्यपि हमारे मंत्री महोदय का कार्य बड़ा प्रशंसनीय रहा है तथापि इन लोगों के जीवनयापन का कुछ प्रबन्ध करना था, कुछ इन को सहारा देना था, जीवन में परेशान लोग जो इतनी बड़ी तादाद में बाहर से आये हैं उन को कुछ सहायता दे कर उन के खाने पीने व हरने का इंतज़ाम करना था, केवल इंतज़ाम था जो अब तक यह विभाग करता आया और जिस को बड़ी सहानुभूति के साथ बड़ी कामयाबी के साथ और बड़ी खूबी के साथ हमारे मंत्री जी ने निभाया और जिस की तारीफ़ सभी लोग करते हैं लेकिन दरअस्ल उन्हों ने जो काम अभी उठाया है, यह वही काम है जिस के लिये यह विभाग स्थापित हुआ था । वह भी बहुत दिनों से चिन्तित थे कि जल्दी से जल्दी इस काम को उठायें लेकिन इस काम के उठाने में जैसी अड़चनें हुआ करती हैं और उन को व्यवहार में लाना था जब इस विषय का सम्बन्ध एक ऐसे देश से था जिस देश के हालात को जिस के व्यवहार को हम अच्छी तरह से जानते हैं और जिस से हम परिचित हैं, ऐसी दशा में यह संभव नहीं था कि इस के पहले आ सकता । अलावा उस उद्देश्य के व्यवहार में और भी बहुत सी अड़चनें और दिक्कतें इस में हो सकती थीं । मेरी समझ में बहुत सी ऐसी दिक्कतें भी हैं जिन से हम सब लोग परिचित नहीं होते ।

अभी हमारे श्री डी० सी० शर्मा ने फ़रमाया कि इस में बड़ी देर की गई, यह तो बहुत पहले हो जाना चाहिये था । इस में कोई सन्देह नहीं है कि उन की भावना बड़ी ही सुन्दर भावना है और सही है । सब की भावना ऐसी ही है परन्तु वे लोग जो इस को बरत रहे हैं वही समझते हैं कि उन को क्या क्या दिक्कतें पड़ती हैं । शिकायत हमारी जो है सब से बड़ी शिकायत यह है कि हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है, पर्याप्त जायदाद नहीं है जिस जायदाद के ज़रिये से हम अपने यहां के शरणार्थियों को काफ़ी मआवज़ा दे कर के उन को जीवन में स्थापित

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

करें और उन का जीवन सुखमय बना सकें। सब से बड़ी शिकायत हमारी यह है और मेरा यह अनुमान है कि इसी शिकायत को दूर करने में इसी शिकायत को मिटाने की चिन्ता में इतने दिन बीत गये और मंत्री महोदय यह विधेयक आप के सामने नहीं ला सके। आखिरी तौर पर हमारे यहां के शरणार्थियों को जितना आप दे सकते हैं जो आप की शक्ति में है वह दे कर के इस काम को पूरा करें। मैं मिसाल के लिये एक बात आप को बतलाता हूं जिस से आप को पता चल सकता है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन से हम परिचित नहीं हैं। हमारे उत्तरप्रदेश में जो लोग वहां लैंडेड इवैक्वी प्रापर्टी छोड़ कर गये हैं और उन छोड़ी हुई जायदादों पर बहुत से दूसरे लोग काबिज़ हो गये हैं, कब्ज़ा दूसरों का हो गया है। कानून वहां तरह तरह के बने, लैंड रिफ़ार्म्स एक्ट जो बना उस में बड़े बड़े परिवर्तन हुए और ऐसा भी परिवर्तन हुआ कि जो इतने दिन क़ब्ज़ा उठ जाने की वजह से एक दूसरे शख्स के काबिज़ होने की वजह से उसी को सारे के सारे हक़ प्राप्त हो गये। उसी की वह जायदाद हो गई। यह इवैक्वी प्रापर्टी का जो कम्पेन्सेशन पूल आप बनाने चले हैं इस में वह जायदाद कभी भी शामिल नहीं हो सकती थी उन क़ानूनों के मुताबिक़ जो क़ानून हमारे उत्तरप्रदेश में बने और कोई इस उद्देश्य से नहीं कि हमारी इवैक्वी प्रापर्टी को हानि हो बल्कि एक आम क़ानून जोकि बन रहा था उसके मातहत यह जायदाद जो है यह किसी तरह से उस कम्पेन्सेशन पूल में शामिल नहीं हो सकती। मुझे मालूम है कि जितने प्रयास मंत्री महोदय ने किये और वहां की यू० पी० सरकार से मिल कर उन्हों ने यह निश्चय किया कि जितनी वहां पर इवैक्वी प्रापर्टी है वह उन क़ाननों मे और उन पाबन्दियों से बरी कर दी जाय, जिन पाबन्दियों के कारण वह हमारे कम्पेन्सेशन पूल में आ ही नहीं सकती है और यह हमारी यू० पी० सरकार की उदारता है कि उन्हों ने भी इस को मान कर के एक आर्डिनेंस जारी करना चाहा था अब से पहले जब असेम्बली नहीं बैठ रही थी। लेकिन असेम्बली चंकि बैठने को थी लिहाज़ा कोई आर्डिनेंस न जारी कर के उन्होंने लैंड रिफ़ार्म्स बिल पेश किया है। उस में उन्हों ने यह क़ानून भी पास किया है जिस के लिये एक रोज़ आधी रात तक असेम्बली बैठी और फिर शनिवार को भी बैठी और मेरी समझ में कल भी बैठी और तब जा कर कल रात को उन्हों नें यह क़ानून पास किया है। इस तरह की दिक्क़तें होती हैं। बिहार की बात अगर आप को थोड़ी मालूम हो तो वहां भी ऐसी जायदादें हैं जिन पर बड़े बड़े लोगों ने क़ब्ज़ा कर लिया है, कोई ऐसी सूरत हम निकालें जिस से वे हमारे कम्पेन्सेशन पूल में आ सकें। तो सब से बड़ी शिकायत हमारी यह है कि कम्पेन-सेशन पूल में काफ़ी जायदाद नहीं है और कोई ऐसी सूरत निकाली जाय जिस से वे जायदादें उस के अन्दर आ सकें। जल्दी जल्दी में कर के बांट देने से, ऐसी बातें कर गुज़रने से तो हमारा काम चलता नहीं है। दरअसल हमको उस जायदाद को जो जायदाद बांटना है उस को बढ़ाना है। बहुत सी ऐसी दिक्क़तें मालूम हो रही हैं जिस से संभव है कि जितना हमारा कम्पेन्सेशन पूल है उस से कुछ भी सहारा हम शरणार्थियों को दे सकें या उन की जो मांगें हैं उन मांगों की तीन चौथाई मांगों को भी पूरा कर सकें, यह बड़ा कठिन मालूम हो रहा है। हमारी स्थिति शुरू से ही जैसा हमारे माननीय सदस्यों ने अभी आप के सामने बताया कि यह तो हमारी शुरू ही से हालत रही है। जायदाद जो यहां लोग छोड़ कर गये वह उस के मुक़ाबले में जो हमारे

शरणार्थी लोग वहां पर छोड़ कर आये पाकिस्तान में, वह बहुत कम है। जब यह हालत हमारी है तो दरअस्ल हम उन को पूरे तौर पर मुआवजा दे सकें, पूरे तौर पर उन को वैसे ही स्थापित कर सकें जैसे वहां वह रहते थे, यह तो दरअस्ल कठिन है, लेकिन प्रयास इस बात का किया जा रहा है कि हम जितना उन को सुखी बना सकते हैं उतना सुखी बनाने का प्रयास करें। किसी इन्सान को सुखी बनाने में सब से बड़ी बात होती है ह्यूमन ऐस्पेक्ट की और मेरी समझ में इस बारे में कोई सन्देह नहीं हो सकता है कि हमारे मंत्री महोदय ने जिस सहानुभूति के साथ उन के साथ व्यवहार किया है और जिस तरह उन के साथ घुल मिल कर उन की तक़लीफ़ों और दुखों को जान कर उन के लिये दवा करने की कोशिश की है, वह किसी से छिपा नहीं है और किसी को उस बारे में बताने की जरूरत नहीं है, मेरी समझ में इस विषय में कोई और दूसरी राय न होगी और अगर होगी तो पता नहीं किसी कारणवश ही होगी।

तो ऐसी स्थिति में जबकि हम देख रहे हैं कि हम उस उद्देश्य को पूरा करने के लिये चले हैं जिस उद्देश्य से कि यह विभाग स्थापित हुआ था तो स्पष्ट है कि चारों तरफ एक बड़ी दिलचस्पी है। हमारे शरणार्थियों में, शरणार्थियों की जो बड़ी बड़ी संस्थायें हैं, उन में, या जो बाहर के लोग इस प्रश्न में जरा भी दिलचस्पी रखते हैं, उन सभी में इस के लिये बड़ी दिलचस्पी है। लेकिन अगर कोई सहारा और कोई मदद जो हमें पाकिस्तान से मिल सकती थी, हम उस की उम्मीद रखते हैं, तो जैसा मेरे और साथियों ने कहा, मेरा भी ख्याल है कि वह बहुत कठिन है। यही सब सोच कर एक दम उतारू हो कर हमारे मंत्री महोदय ने यह विधेयक आप के सामने पेश किया है कि जो कुछ हमारे पास है, जो हम दे सकते हैं, जिस तरह से हम आप के जीवन को स्थापित कर सकते हैं, वह हम आप को देंगे। जिस उद्देश्य से कि यह विभाग स्थापित हुआ था अर्थात उन लोगों की सहायता करने के लिये, जो बहुत गरीब हैं, जो बेबस हैं, जो लाचार हैं। उन के सामने जो लोग ऐसे हैं जिन के लिये थोड़ा बहुत सहारा है, उन को प्रपोर्शनेटली कंम देने की स्कीम आप के सामने पेश की गई है। इस योजना में, इस में सन्देह नहीं कि जो शंका हमारी है, जो हम सोच रहे हैं कि हम कुछ अधिक दे नहीं पावेंगे, वह बहुत हद तक सही है, जब तक कि हमारी सरकार काफी सहायता न करे। मैं नहीं जानता कि हमारी सरकार भी अधिक सहायता करने की स्थिति में होगी या नहीं क्योंकि काफी रुपया हो जाता है जिस को उसे रैवेन्यू से ले कर देना है। हो सकता है कि वह ज्यादा सहायता कर सके, मैं जानता नहीं हूं, यदि हमारे मंत्री महोदय सरकार से लेने में कामयाब हों तो जितना ही ज्यादा रुपया वह दे सकेंगे, वह उन बेबस लोगों के सहारे की चीज होगी। यदि जो उन के जरिये हैं उन जरियों से वह नहीं ले सकते हैं तो कोई वृद्धि इस धन राशि में हो सकेगी, जिस के सहारे पर वह इन शरणार्थियों की जिन्दगी को बेहतर बनाने की योजना बनाये हुए हैं, इस की आशा नहीं है।

मैं आप से एक बात और निवेदन करूंगा। पहले तो पाकिस्तान का भरोसा था कि उस से कोई समझौता हो जायेगा ; कोई बात तय हो जायगी, लेकिन उस समझौते के होने की नौबत न होने की वजह से एक इंटेरिम कम्पेन्सेशन योजना लानी पड़ी लेकिन जो इंटेरिम कम्पेन्सेशन की योजना लाई गई उस पर पाकिस्तान की तरफ से एतराज हुआ कि अगर हम उस को कर देते

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

हैं तो उन की और हमारी मुआवजा देने की जो आखिरी योजना बनेगी उस में बड़ी अड़चनें पड़ेंगी । इस तरह के एतराजात किये गये । बावजूद इस के कि, अगर आप ने देखा होगा तो यह बात अखबारों में छपी है, और तो किसी जरिये से इस की पुष्टि नहीं हो सकी है, वह अपने यहां खुद इसी तरह की योजना जैसी कि क्वासी पर्मनेंट एलाटमेंट की योजना हमारे है अपने यहां चला रहे हैं । लेकिन यहां के लिये उन को एतराज हो रहा है कि क्यों चलाते हो । यह भी कहते हैं कि मुस्तकिल योजना तो हम को और आप को बनानी है । मैं जानता नहीं हूं इस में कहां तक सत्य है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में यह सब बातें सोचना, बहस करना, इस पर विचार करना और इस की शिकायत करना, एक बेकार सी बात मालूम होती है । जिस देश ने कि अपने और हमारे दर्म्यान समझौता होने के बाद भी समझौते को तोड़ कर एक आर्डिनेन्स जारी किया जिस आर्डिनेन्स से जितनी जायदाद की मिलकियत वहां पर थी उस मिलकियत को हटाने की कोशिश की, और साथ ही ऐसी स्थिति वहां पैदा कर दी कि वहां पर जो लोग रह रहे थे वे रह न सकें और यहां से जा कर अपनी जायदाद का इन्तजाम भी न कर सकें । वहां पर इस प्रकार की स्थिति पदा कर दी जिस से सारे के सारे लोगों को हिन्दुस्तान चले आना पड़ा, वह उस जायदाद के नजदीक जाने के भी काबिल नहीं रह सके । जो देश ऐसी तरकीबें कर सकता है, उस के बारे में कोई शिकायत की बात करना एक बेकार सी बात है । मेरी समझ में इस समय जो मंत्री महोदय ने सोचा है कि उन का भरोसा करना बेकार है, उन का जिक्र करना बेकार है, उन की शिकायत की तरफ निगाह डालना बेकार है, हमारे देश में जो कुछ है उस को ले कर शरणार्थियों को सुखी बनाना चाहिये, इस योजना का सभी स्वागत करेंगे ।

अभी हमारे श्री डी० सी० शर्मा ने, जो सब से पहले बोले थे, बतलाया कि यह एक ड्रामा है । इस में कोई सन्देह नहीं है कि इस में ऐसी ऐसी घटनायें भी होती रही हैं जिस से कि सम्भव है कि एक ड्रामा सा लगा हो, लेकिन जो कुछ उन्होंने इस संबंध में कहा वह यह था कि अब यह समझा जाय कि हम ने रिहैबिलिटेशन का काम प्रारम्भ किया है । मुझे इस पर आपत्ति है । हमारी सरकार इस का प्रयास करती रही है और उस का यह उद्देश्य है कि जितनी जल्दी हो सके, हम इस स्थिति को मिटा दें जिस में कि वह शरणार्थी कहलाते हैं और दूसरे जो लोग हैं वह गैर शरणार्थी कहलाते रहें और इन दोनों में भिन्नता पाई जाय । उद्देश्य यह है हमारी इन शरणार्थियों की संज्ञा न रह जाये, हम में और उन में अब कोई फर्क की बात न रह जाय, बल्कि स्थिति यह हो जाय कि सारे के सारे जो हमारे देश में रहने वाले हैं उन की भी स्थिति वही हो और दूसरे लोग भी उसी प्रकार सुखी हो सकें जैसे कि हम हैं । जहां पर हम ऐसा कर सकते हैं, वहां पर जल्दी से जल्दी कर देना चाहिये । यह कहना कि अब हम इस काय को प्रारम्भ कर रहे हैं और फिर इस की जरूरत पड़े कि हम शरणार्थियों को सहायता दें, मुझ को इस बात पर आपत्ति है, और जहां तक मैं ने मंत्री महोदय के उद्देश्य को समझा है, उन के सभी कागजात को देखा है, मैं समझता हूं कि उन का भी यही उद्देश्य है और यह सही उद्देश्य है कि इस कार की भिन्नता को कि वह शरणार्थी और हम इस देश के रहने वाले हैं, मिटाया

जाना चाहिये । हम सब बराबर हैं, हम इस देश के रहने वाले हैं और साथ रह कर हम को इस देश के विकास में हिस्सा लेना है । इस तरह की भावना उन में आनी चाहिये । उस के आने के लिये उन्होंने यह समझा है कि जब तक वह किसी जायदाद के मालिक न हो जायें, जब तक उन में कोई मिल्कियत नहीं आती है, तब तक ऐसी भावना उन में नहीं आवेगी । उन्होंने क्वासी पर्मानेन्ट एलाटमेंट की स्कीम भी इसी लिये बनाई थी जिस में थोड़ी बहुत जायदाद उन को दे दी जाय । मालूम नहीं कब से वह निर्णय होगा । लेकिन यह स्वाभाविक बात है कि कुदरती बात है । इस को समझते हुए कि वे लोग उन जायदादों के मालिक नहीं हैं उन को ठीक कराने में या मरम्मत कराने में अभी मन नहीं लगा सकते हैं, यह निर्णय किया गया है । बावजूद इस के कि हमारे पास काफी पर्याप्त धन राशि नहीं है, लेकिन जो कुछ है उस को ले कर हमें दे देना है, तभी जो जायदाद बिगड़ती जा रही है वह इस्तेमाल हो सकेगी, नहीं तो दिन ब दिन उस की कीमत गिरती जायेगी और वह जायदाद खराब हो जायेगी और कोई उन के रिपेअर्स और मरम्मत का जिम्मेदार भी नहीं रह जायेगा ।

जैसा मैं ने कहा कि अगर हम इन सब दिक्कतों को समझते चलें तो कोई नहीं कहेगा कि देर हो गई । आप समझ सकते हैं कि सात वर्ष पहले का जमाना नहीं है । इस सात वर्ष में कोई ६० लाख लोग पश्चिमी पाकिस्तान से यहां आये, हम ने उन का प्रबन्ध किया और इस खूबी से किया कि कोई खास शिकायत की बात कोई नहीं कर सकता है । वैसे तो कहने वाले लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना वजह के भी शिकायत किया करते हैं ।

तना सब होने के बाद जो विधेयक हमारे सामने आया है, अगर वह ऐसा है कि कुछ और धन ले कर, लोगों की और सरकार की मदद ले कर, हम कुछ सहायता कर सकें, तो यह काम हमें जरूर करना चाहिये । जहां पर हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं वहां पर हमारी बेबसी है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री मूलचन्द दुबे (जिला फर्रुखाबाद—उत्तर) : श्रीमान् सभापति जी, अभी हमारे मित्र पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय ने जो कुछ कहा है उस से मैं सहमत हूं । शरणार्थियों के रिहैबिलिटेशन का कार्य अगर हो सकता था तो इसी तरह से हो सकता था कि जो उन लोगों की जायदाद पाकिस्तान में रह गई थी वह उन को मिल जाती और इस के लिये सरकार ने बहुत कोशिश की । जो देर लगी वह इस बात में लगी कि जो जायदाद उन लोगों की पाकिस्तान में रह गई थी वह उन को नहीं मिल सकी । यहां हिन्दुस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैक्वी प्रापर्टी का कानून बनाया गया । उसी प्रकार का कानून पाकिस्तान में भी बनाया गया । यानी दोनों गवर्नमेंटों की यह मंशा मालूम होती थी कि जो लोग उन के यहां से चले गये हैं, भाग गये हैं उन लोगों की जायदादों का इन्तजाम दोनों गवर्नमेंटें करें । ऐसी सूरत में हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट को, यहां की गवर्नमेंट को कोई शक करने की वजह नहीं थी कि जो जायदाद पाकिस्तान में रह गई है वह वहां से आये हुए शरणार्थी लोगों को नहीं मिलेगी या किसी तरह की कोई दिक्कत आयेगी ।

और अब भी नहीं कहा जा सकता कि वह बातचीत खत्म हो गई है । लिहाजा यह कहना कि इस गवर्नमेंट ने कोई इस मामले को तै करने में देरी की या यह जो सात बरस गुजर गये यह गवर्नमेंट की किसी गलती की वजह से गुजर गये, यह एक

[श्री मूलचन्द दुबे]

नामुनासिब इल्जाम है। गवर्नमेंट ने जो रिफ्यूजीज़ को मदद देने का या उन को रिहैबिलिटेट करने का प्रयत्न किया है वह प्रशंसनीय है। उन के लिये अरबों रुपया खर्च किया गया और आखिर में यह कहना कि नहीं साहब कुछ नहीं हुआ यह बात सही नहीं है। यह बात सही है कि जितना होना चाहिये था वह नहीं हो सका। सवाल यह है कि इस न हो सकने में गलती किस की है। आया इस में गवर्नमेंट की गलती थी कि उस ने देरी की या यह कोई दूसरी वजह थी जिस से कि वह उन को इस तरह रिहैबिलिटेट नहीं कर सकी जैसा कि करना चाहती थी। जैसा मेरे एक दोस्त ने कहा कि ऐसा करना पाकिस्तान की कार्रवाईयों की वजह से नामुमकिन हो गया।

मैं इस बिल का स्वागत करता हूं लेकिन मुझे ज़रा सी एक आपत्ति मालूम होती है जिस की वजह से यह मालूम होता है कि शायद अब जो कार्रवाई इस में होगी उस में भी बहुत देर लगेगी। कम्पेन्सेशन पूल जो बनाया गया है वह उस जायदाद से बनाया गया है कि जो यहां पर इवैक्वी प्रापर्टी या तो करार दे दी गई है या करार दी जाने वाली है। उस प्रापर्टी को सरकार हासिल करेगी और उस को हासिल कर के शायद और कुछ चीज़ें हैं उन को शामिल कर के यह कम्पेन्सेशन पूल बनाया जाएगा। लेकिन उस में भी एक मुआवज़े की शर्त रखी गई है और उस मुआवज़े की शर्त के लिये यह लिखा गया है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की राय से वह मसला तै किया जायगा। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की राय के ऊपर यह मामला रखा गया तो मुमकिन है कि वह सात बरस में भी तै न होने पावे। इसलिये ज़रूरत इस बात की मालूम होती है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को लिखा ज़रूर जाय क्योंकि अभी भी बातचीत जारी है और बिल्कुल मामला आखिरी तौर पर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं कि उस में एक शर्त इस किस्म की लगा देनी चाहिये कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट उस को जो लिखा जाय उस का जवाब दो या तीन महीने के अन्दर न दे तो यह समझ लिया जाय कि उन्हों ने मंजूर कर लिया है। क्योंकि अगर उन की मंजूरी तक इन्तजार किया जायगा तो शायद वह मंजूरी किसी वक्त न आवेगी और न वह मामला तै हो सकेगा। इस में सात बरस तो गुजर गये और मुमकिन है कि और दो चार बरस गुजर जायें। इसलिये जैसा मैं ने अर्ज़ किया ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को लिखने के बाद महीने, दो महीने या तीन महीने की मियाद मुकर्रर कर दी जाय और अगर उस ज़माने में उन की मंजूरी नहीं आती है तो यह समझ लिया जाय कि जो शर्तें उन के पास भेजी गई हैं या जो मुआवज़ा हम ने तजवीज़ किया है वह उस को मंजूर करते हैं।

इस के अलावा मुझ को इस में दो तीन बातें और नजर आती हैं। एक तो यह चीज़ नजर आती है कि जो प्रापर्टी कम्पेन्सेशन पूल के लिये एक्वायर की जायगी उस के ऊपर जो एनकम्बरेंसेज़ वगैरह हैं वह नहीं माने जायेंगे। इस के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि उन जायदादों में बहुत सी ऐसी हों जिन के ऊपर हिन्दुस्तान में रहने वालों का बार हो या चार्ज हो या उन के पास वे रहन हों। चूंकि सन १९४७ से १९५४ तक ६ बरस हुए हैं इसलिये मार्टगेज एन्फोर्स हो सकता है। अगर गवर्नमेंट इस कम्पेन्सेशन पूल में कोई ऐसी ज़ायदाद रखे जिस पर कि किसी हिन्दुस्तान के रहने वालों का चार्ज हो तो उस के लिये ऐसा न कर दे कि वह

फ्री फ्राम एनकम्बरेंसेज़ या चार्ज समझी जायगी । हो सकता है कि वह चार्ज इस किस्म का हो कि .जो हमारे शुल्क का हो और इसलिये कोई वजह नहीं है कि उन को फ्री फ्राम एनकम्बरेंसेज़ समझा जाय ।

इस के अलावा एक आध बातें और नजर आती हैं । मालूम होता है कि सिलेक्ट कमेटी ने इस बारे में काफी गौर किया है और गौर करने के बाद बहुत सी बातें सही कर दी हैं । पहले इस में क्लेम्स के क्लासिफिकेशन करने का ज़िक्र था कि कौन पहले लिया जायगा और कौन बाद को लिया जायगा । लेकिन सिलेक्ट कमेटी ने इस नुक्स को तो रफा कर दिया है ।

यही दो चार बातें मैं कहना चाहता था ।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : धर्मेण शासिते राष्ट्रे न च बाधा प्रवर्तते । ना ऽधयो व्याधयश्चैव रामे राज्य प्रशासति ।। माननीय सभापति महोदय, आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शरणार्थियों के भाग्य का निबटारा होने वाला है । मैं समझता हूं कि अगर सचमुच आज भी निबटारा हो जाता. तो कुछ तो शरणार्थियों के मन में शान्ति होती कि हमारे भाग्य में कुछ होने वाला है । किन्तु पहली बात यह देखिये । अभी इवैक्वी प्रापर्टी के सम्बन्ध में एक बिल और आने वाला है जिस का आज पता नहीं है कि कल आवेगा, परसों आवेगा या कुछ दिन बाद लाया जायगा । मेरे विश्वास से मंत्री महोदय ने गाड़ी को घोड़े के आगे रखने वाली बात की है । जब तक इवैक्वी प्रापर्टी का निश्चय नहीं हो जाता, जब तक कम्पेन्सेशन पूल का निश्चय नहीं हो जाता, तब तक क्या मिलने वाला है उत्पीड़ित को इस का निश्चय पता नहीं चल सकता है ।

विधेयक

माननीय सभापति महोदय, उत्पीड़ित व्यक्तियों को जो कुछ हम देना चाहते हैं उस सम्बन्ध में जो यह विधेयक उपस्थित हुआ है उस के लिये पहले तो मैं संयुक्त समिति के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं । इस के साथ साथ मैं मंत्री महोदय को भी धन्यवाद दूंगा जिन्हों ने संयुक्त समिति में सहयोग दे कर इस विधेयक को आगे से बहुत अच्छा बना दिया है । मैं विशेष कर धन्यवाद लोक सभा के सदस्यों को दूंगा, विशेषकर श्री भार्गव जी को जिन्होंने इस में बहुत सहानुभूति रख कर काम किया है ।

जो प्रारम्भिक विवरण दिया गया है उस में १३ क्लाज़ के बारे में लिखा है :

> "सब की यह मांग थी कि कम्पेन्सेशन पूल खूब बढ़ाना चाहिये और शत प्रतिशत प्रतिकर देना चाहिये ।"

पाकिस्तान सरकार से हम को क्या मिलने वाला है इस विषय में हमारे मंत्री महोदय कई बार प्रश्न के उत्तर में अपने भाषण में पहले बतला चुके हैं ।

उत्पद्यन्ते विलीयन्ते दरिद्राणां मनोरथाः । बालवैधव्यदग्धानां कुलस्त्रीणां कुचा इव ।। दरिद्र का मनोरथ बहुत कुछ उठता है लेकिन वह वहीं का वहीं ठंडा हो कर रह जाता है । उस को कहीं सफलता होने वाली नहीं है । अगर हमारा किसी और गवर्नमेंट से सम्बन्ध होता तो हमारी समझ में आ सकता था लेकिन *इस गवर्नमेंट से अगर आप गवर्नमेंट लेवल पर बात करें और यह चाहें कि कुछ मिल जाय तो मैं समझता हूं कि कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है ।

इवैक्वी प्रापर्टी पर आप की कृपादृष्टि पहले से ही है । जो इवैक्वी प्रापर्टी ३००

*सभापति की आज्ञानुसार निकाल दिया गया ।

[श्री नंदलाल शर्मा]

करोड़ के लगभग आंकी जाती थी वह आज ८० या ८५ करोड़ की रह गई है । आज तक उस की इतनी कीमत गिर गई है और जब आप कृपा कर के उस प्रापर्टी को एब्रोगेट करने का कानून बना देंगे तो आगे के लिये भी आशा पर ताला लग जायगा ।

भविष्य में यह आशा कभी नहीं कर सकते कि अब भारतवर्ष में कोई इवक्वी प्रापर्टी होने वाली है । मेरा यह अर्थ नहीं है कि आप भारत के नागरिकों को धोखा दे कर उन की प्रापर्टी को ज़बर्दस्ती छीन लें लेकिन यह भी हम जानते हैं और आप को भी अच्छी तरह से पता है कि एक व्यक्ति घर का यहां पर बैठा हुआ है, सब संबंधियों को को उस ने पाकिस्तान में भेज दिया है, पाकिस्तान के सभी राइट्स को वह इंजौय करता है और यहां से अपने घर वालों के पास मुनासिब खर्चा भेजने का सब प्रकार से इंतज़ाम है, जबकि मैं उन व्यक्तियों को जानता हूं जो अभी दो, तीन महीने के अन्दर पाकिस्तान से आये, या उधर पठानिस्तान से अभी आये हैं । उन की स्त्रियों के शरीर में आभूषण नहीं रहे, केवल उन के पास ५० पाकिस्तानी रुपयों के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ा, बाक़ी सब प्रापर्टी और चीज़ें उन के पास से छीन ली गईं लेकिन आप के यहां हालत यह है कि एक मुसलमान अपना आखिरी टीन का डिब्बा भी बेच कर पाकिस्तान को जा सकता है । यह आप की दशा है और यह उन की दशा है ।

व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं,

भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः ।

जो ठग के साथ ठग बनना नहीं जानता और जो डंडा मारने वाले के सामने केवल हाथ ही जोड़ना जानता है वह मूर्ख हमेशा मार ही खाता चला जाता है ।

सभापति महोदय, मैं यह अनभव करता हूं कि संयुक्त प्रवर समिति ने जहां बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं वहां यह भी कहा कि विधवाओं को जो कुछ भी भत्ता मिलने वाला है वह उस कम्पेन्सेशन पूल में से न लिया जाय । सार्वजनिक संस्थाओं को भी जो पाकिस्तान में थीं और अब वहां सब कुछ छोड़ कर यहां आ गई हैं उन को सहायता कम्पेन्सेशन पूल में से न दी जाय । उन्होंने यह भी कहा है कि गवर्नमेंट इस विषय में कंट्रीब्यूशन करे । यह सारी की सारी सिफ़ारिशें मात्र रक्खी गई हैं उन का इस बिल के अन्दर कहीं स्थान नहीं है । अर्थात् यदि यह बिल स्वीकार हो कर ऐक्ट बन जाता ह तो उस ऐक्ट में शरणार्थियों को कहीं भी यह आश्वासन नहीं है कि तुम्हारी ४५० करोड़ अथवा ५५० करोड़ के आंकी जाने वाली सम्पत्ति में से तुम को सिवाय १८५ करोड़ की सम्पत्ति के और कुछ मिल सकेगा । ऐसी परिस्थिति में क्षमा करेंगे संयुक्त प्रवर समिति के सदस्यगण अगर मैं कहूं कि उन की सिफ़ारिशें केवल सिफ़ारिशें मात्र ही बन कर रह जायेंगी, उन का बनने वाला कुछ नहीं है । जब तक हमारे मंत्री महोदय उस सिफ़ारिश को स्वीकार करने का उद्घोष न करें, मैं जानता हूं उन का हृदय कोमल है, मैं किसी प्रकार से उन के प्रति निर्दयता का आरोप लगाने को तैयार नहीं हूं, मैं यह भी जानता हूं कि जिस ढंग से उन्हों ने काम किया है, अगर वह न होते, उन के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति होता, तो वह इतना अच्छा काम नहीं कर सकता था । लेकिन यह भी मैं जानता हूं कि उन के डिपार्टमेंट में प्रपंच भी कितने हो रहे हैं, स्वयं उन्हों ने इस को स्वीकार किया है । करप्शन आज भी इतना भयंकर है कि जो भी चाहे वहां जा कर आप के रिहैबिलिटेशन विभाग के देवताओं का पूजन कर सकता

है और उस के फलस्वरूप उस को सब प्रकार की सुविधा आज भी मिल सकती है लेकिन जो कोई उन लोगों का पूजन नहीं कर सकता, उधर कोई आंख उठा कर भी नहीं देखता। मैं इस सम्बन्ध में पहले भी प्रश्न कर चुका हूं और मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिला चुका हूं और उन के दर्शन भी इस विषय में किये हैं। उन्होंने कहा कि वह इस सम्बन्ध में जानकारी रखते हैं .....

श्री ए० पी० जैन : लेकिन आप ने नाम नहीं बताया कि किस ने किस को दिया, आप डर गये।

श्री नंद लाल शर्मा : मैं ने मन्त्री महोदय को बतलाया कि नाम तो जितने कहें मैं बता सकता हूं लेकिन उस से क्या बनेगा। आप एक कमेटी इन्वैस्टिगेशन के वास्ते मुक़र्र करें, और उस कमेटी के सामने मैं उन व्यक्तियों को आप के सामने लाऊंगा, यह भी मैं ने उन से कहा था लेकिन यह कि मैं आज आप को नाम बता दूं और वह किसी अफ़सर की फ़ाइल में चला जाय, यह भी हो सकता है कि वह व्यक्ति आप की नाक के नीचे बठा हो और जिस ने दस-दस या पांच-पांच मकान ले रक्खे हों और उन को अपने संबंधियों में प्रसाद की भांति बांट रक्खा हो, आप जान कर भी कुछ नहीं कर सकते।

मैं इन को बता कर किसी को मरवाने का प्रयत्न करूं .....

सरदार ए० एस० सहगल : लेकिन कोई तो ज़रूर मरेगा।

श्री नंद लाल शर्मा : मैं आज भी ऐसे लोगों को बताने को तैयार हूं लेकिन आप उस के लिये पहले जैसे मैं ने सुझाव दिया एक इंडिपेंडेंट कमेटी इंस्टीट्यूट करें, उन सब को दंड देने की तैयारी करें। यही बात मैं ने तब भी कही थी और आज भी कहता हूं।

इस के अलावा क्लेम्स के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है और जैसा कि मैं ने प्रश्नों के द्वारा पहले भी निवेदन किया कि कितने ही व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने क्लेम्स दाखिल नहीं किये हैं। आप की रूरल प्रापर्टी के सम्बन्ध में भी धांधली मची थी। जिन लोगों ने अपने क्लेम्स आरम्भ में दिये वह तीन तीन और चार चार मर्तबा क्लेम दे कर थक गये, क्योंकि छै महीने के बाद एक फ़ार्म फिर उन के पास आ जाता है और उन से कहा जाता है कि पहला भरा हुआ फ़ार्म बेकार हो गया, इसे भर कर भेजो और उन बेचारे अनपढ़ लोगों के लिये तो मौत पड़ जाती है, ओथ कमिश्नर और पिटीशन राइटर से बेचारे फिर भरवाते हैं और उस के लिये जो कुछ चाहते हैं वह बतौर फ़ीस के उन से चार्ज करते हैं। इस सम्बन्ध में जो आप ने कहा कि दस हज़ार के नीचे रूरल रेज़ीडेंशल प्रापर्टी का क्लेम न चलाया जाय, तो बहुतों ने अपने क्लेम नहीं दिये। नतीजा यह हुआ कि कुछ लोगों ने रूरल प्रापर्टी और भूमि के सम्बन्ध में जो उन के क्लेम थे वह भी नहीं दिये। इस के अलावा ऐसे लोग जो आप के समय की उस तिथि के निकल जाने के बाद पाकिस्तान से आये हैं उन लोगों के क्लेम भी नहीं आ सके हैं। आप ने उन लोगों के सम्बन्ध में जिन के क्लेम वेरिफ़ाई हो चुके हैं वह १९५५ तक अपने क्लेमों के सम्बन्ध में कम्पेन्सेशन लेने के लिये तो दरख्वास्त कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था तो आप ने इस क़ानून में कर दी है लेकिन नये क्लेमों के सम्बन्ध में आप ने अभी तक कुछ नहीं कहा। मैं इसलिये निवेदन करता हूं कि इस बारे में भी आप को पुनः सोचना होगा। नार्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के रूरल एरियाज़ में आप ने कुछ स्थानों को रूरल एरिया उद्घोषित कर दिया है, जैसे कोहाट ज़िले में हंगू और टेरी आदि स्थान, जबकि थल आदि उन से छोटी छोटी जगहों

[श्री नन्दलाल शर्मा]

को आप ने अरबन एरिया उद्घोषित किया और जहां फ्रंटियर कांस्टेबुलरी का केन्द्र है, जहां पर पुलिस के ट्रेनिंग स्कूल्स हैं और जो वहां का सब डिविज़न है उस को आप ने रूरल एरिया उद्घोषित कर के वहां के लोगों को इस प्रकार हानि में रख दिया। उन के मन में इस कारण अशान्ति है और उन का निवेदन है कि आप उन का ध्यान रक्खें। इस के साथ साथ आप को यह भी स्मरण रखना चाहिये कि आप का यह जो ४५० करोड़ का क्लेम बन रहा है, वह किस ढंग से आप लोगों ने असेसमेंट करने का प्रयत्न किया। सब प्रकार से उन की इस प्रापर्टी को कम बतलाने की चेष्टा की गई जिस से कि अधिक प्रापर्टी न बने लेकिन उस के मुकाबले में जब आप मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति अथवा सरकार द्वारा निर्माण की गई सम्पत्ति को नीलाम करने जाते हैं तो अधिक से अधिक क़ीमत पर उस को चढ़ाने की आप की इच्छा रहती है। अभी परसों या नरसों का ज़िक्र है सरकार की तरफ से ऐसी सम्पत्ति की नीलामी का आयोजन लाजपतनगर में किया गया था और वहां हम ने देखा कि पांच पांच हज़ार की लागत के टैनामेंट्स चौदह चौदह हज़ार में सरकार ने लोगों में नीलाम किये, इस पर जब वहां के शरणार्थी भाइयों ने प्रोटेस्ट किया तो तीन तीन बार उन पर लाठी चार्ज किया और मैं बतला दूं कि शरणार्थियों के मामले में राजनीति या दलबन्दी की कोई बात नहीं है और न मैं पबलिक में लोगों को उकसाने ही जाया करता हूं और हम ने वहां लोगों से कहा भी था कि यदि यह आप का मूवमेंट किसी कम्युनिस्ट के द्वारा प्रेरित हो तो हम इस में किसी भी प्रकार का भाग लेना नहीं चाहते। मैं चाहता हूं कि शरणार्थियों की समस्या किसी पोलिटिकल ग्राउन्ड पर न छेड़ी जाय। शरणार्थी चाहे वे कांग्रेसी हों या किसी और विरोधी पार्टी के हों, वे सब के सब एक समान स्थिति में हैं और उन की समस्या हल करने में किसी प्रकार का भेद पोलिटिकल दृष्टिकोण से खड़ा करना उचित नहीं है। मैं ऐसा इसलिये कहता हूं कि आप उन को प्रलोभन देते हैं, जिस व्यक्ति का दो लाख का क्लेम पड़ा हुआ है आप उस को लालच देते हैं कि अगर तुम इस जायदाद को खरीद लोगे तो तुम को पचास हज़ार रुपये तक मिल सकते हैं, अन्यथा आठ हज़ार रुपया कैश में मिलेगा। उस परिस्थिति में वह पांच हज़ार की जायदाद को चौदह हज़ार की बोली दे कर ख़रीद लेता है यह सोच कर कि चलो इस बहाने सरकार से कुछ मिला तो, भागते भूत की लंगोटी ही सही। और इस का परिणाम यह होता है कि वह उस जायदाद को खरीद कर उन लोगों के अधिकार छीनता है जो उतना पैसा नहीं दे सकते हैं और जिन के पास पैसा नहीं है। मैं इसलिये निवेदन करूंगा कि आप इस बात को भी ध्यान में रक्खेंगे।

"टू मिनट्स मोर प्लीज़"।

मैं कई बार पहले भी निवेदन कर चुका हूं, मैं जानता नहीं हूं कि आप के कान खुले हैं या बन्द हैं। मैं आप के हृदय की भावनाओं पर कोई आक्रमण नहीं करना चाहता, लेकिन डिस्प्लेस्ड गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के बारे में मैं ने पहले भी कहा है कि उन को बहुत हानि पहुंची है। उन की पिछली सर्विस के काउन्ट होने का, उन की सर्विसेज़ के अनुसार स्थान पाने का कोई चान्स उन को नहीं दिया गया। इस के अतिरिक्त आप के पास हाउसिंग मिनिस्ट्री से पत्र आ चुका है कि उन लोगों को गवर्नमेंट ने जो क्वार्टर्स दे रक्खे थे वह केवल तत्काल डिस्प्लेस्ड गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स समझ कर दिये गये थे।

उन को सरकार किसी वक्त उन से खाली करवा सकती है, जिस दिन उन की नौकरी खत्म हो जाय उस दिन उन के पास से वह मकान हटाये जा सकते हैं। उन लोगों को आप ने रिहैबिलिटेट करने का कोई प्रयत्न नहीं किया, आप लोग केवल यह भावना मात्र रखते हैं कि वह रिहैबिलिटेट हो गये, लेकिन उन की दशा यह होगी कि जिस दिन गवर्नमेंट उन से क्वार्टर ले लेगी, वह वैसे के वैसे शरणार्थी हो जायेंगे। इसलिये आप इस सम्बन्ध में भी ध्यान रक्खें।

साथ में जब तक आप इस कम्पेन्सेशन पूल को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करते और आज आप यह समझ लें कि आप की स्वतंत्रता प्राप्ति और इन कुर्सियों पर बैठने और सरकार सम्भालने में जो ईंटें नींव में भरी गई हैं वह शरणार्थी हैं। उन का बलिदान न होता तो आप को यह स्वतंत्रता न मिलती और आप को यह सौभाग्य न मिलता। आप को यह स्वतंत्रता मिली, चाहे वह मद्रास हो, चाहे वह बंगाल हो, चाहे यू० पी० हो या सी० पी० हो, उन की सारी की सारी नींवं इन शरणार्थियों के सिरों पर और उन के मरे हुए सम्बन्धियों के शरीरों पर खड़ी हुई है। इसलिये आप इस ओर से आंखें न बन्द करें और उन की अधिक से अधिक सहायता करने का प्रयत्न करें। ऐसा न हो कि जो मुसीबत उन के ऊपर आई वह आप के ऊपर भी आवे और उस का फल आप को भी भुगतना पड़े।

मैं जानता नहीं हूं कि जब तक यह सम्पूर्ण प्रयत्न न हो, जब तक कम्पेन्सेशन का पूल बढ़ता नहीं है, तब तक किन शब्दों में इस विधेयक का स्वागत करूं या विरोध करूं।

यह शब्द कह कर मैं समाप्त करता हूं।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। उन लोगों ने जो घर लिये थे मिनिस्ट्री से, उन में वह स्वयं रहते हैं या और किन्हीं लोगों को दे दिये हैं ?

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा) : यह मिनिस्टर साहब बतलायेंगे।

श्री नंद लाल शर्मा : कई रिश्तेदार भी रहते थे संयुक्त परिवार की तरह पर।

सरदार हुक्म सिंह : आप तो डिप्टी मिनिस्टर साहब का काम करने लगे।

सरदार ए० एस० सहगल : यह जानना मेरा फर्ज़ है।

सरदार हुक्म सिंह : आप तो अभी से डिप्टी मिनिस्टर बनने लगे।

श्री टंडन (जिला इलाहाबाद–पश्चिम): सभापति जी, पश्चिमी पाकिस्तान या पूर्वी बंगाल से जो लोग आये हैं, जो लोग वहां से भाग आये हैं, उन के बारे में जब भी किसी विचारवान पुरुष के हृदय में ध्यान आता है तो उस का हृदय भर आता है। उन की कठिनाइयां, उन की मुसीबतें, उन्हों ने जो कुछ सहा उस को याद कर आज भी दुःख होता है।

पाकिस्तान का जन्म ही घृणा और दूसरों को दुःख पहुंचाने की इच्छा के बीच हुआ था। वहां से किस प्रकार से लोग भगाये गये, यह अब इतिहास का विषय है। मैं जानता हूं कि हमारे देश से जो लोग भाग गये उन को भी बहुत कष्ट दिया गया। सच बात तो यह है कि यह पाकिस्तान की पैदाइश ही मुसीबत देने वाली हुई। मैं तो आरम्भ से ही इस प्रकार देश के विभाजन के विरुद्ध था, परन्तु यह विभाजन हुआ। मैं तो आज भी समझता हूं, और जो समझता हूं

[श्री टंडन]

उस को छिपाता भी नहीं हूं, कि यह कुछ बद्धिमानी की बात नहीं हुई थी । परन्तु जो कुछ भी हमारे नेताओं ने किया, उस का कुल खमियाज़ा क्या केवल शरणार्थी लोगों को ही बर्दाश्त करना है ? जो कुछ हुआ, जो भूल हुई, या ईश्वर की लीला में ठीक हुआ जो कुछ भी हुआ वह इसलिये हुआ कि राजनीति कारणों से प्रेरित हो कर हम लोगों ने यह उचित समझा कि देश का विभाजन मान लें । यह भी उचित समझा गया कि फौजों का भी विभाजन हो जाय । मुसलमान फौज वहां पहुंच जाय और हिन्दू फौज यहां चली आवे, यह भी हम ने बुद्धिमानी बरती, जिस का परिणाम यह हुआ कि दोनों तरफ मारकाट हुई । करोड़ों, अरबों की सम्पत्ति हमारे भाई वहां छोड़ आये । मेरा निवेदन है कि इन सब बातों को भला देना उचित नहीं है । आज जो बात हमारे सामने है वह रुपये पैसे की है । जो कष्ट उन लोगों ने सहे हैं उन का मूल्य पैसों में नहीं दिया जा सकता है । हमारा कृतज्ञ देश जो भाई चले आये हैं, विस्थापित हुए हैं उन को और उन की मसीबतों को याद रक्खेगा । परन्तु यह जो छोटी सी कथा आने, पाई की, रुपये पैसे की छिड़ी है उस में सरकार की ओर से इतना छोटा और ओछा बनियापन मुझे अच्छा नहीं लगता । हमारे मंत्री जी हैं तो बनियां, हिसाब किताब में चतुर हैं, परन्तु हिसाब किताब की चतुराई सदा इसी में नहीं होती कि रुपये देने में काट-कपट की जाय । हिसाब कम बनाना ही हिसाब किताब की चतुराई नहीं है । उदारता के साथ हिसाब निबाहना ऊंची बनियाई है । आज कुछ उदारता की आवश्यकता है । गवर्नमेंट के पास शक्ति भी है । अरबों रुपया वह देश के कामों पर खर्च कर रही है । यह भी तो गहरा देश का काम है । जो लोग आये हुए हैं वे आज मुसीबतों से छूट गये हैं, यह बात तो नहीं है, उन की बुरी दशा आज, इस समय, भी है । अपनी आंखों से मैं ने उन भाइयों की दशा को देखा है । देखा है कि ५०, ६० फीट लम्बे और लगभग ३५ फीट चौड़े कमरे के भीतर ८०, ९० प्राणी रोज़ रह रहे हैं ।

यह दशा इन की है । किसी तरह से इन्हों ने गुज़ारा किया । अब उन को जब मुआवज़ा देने का प्रश्न सामने है तो हम यह कहें कि बस जो यहां से भाग गये हैं उन की जितनी सम्पत्ति है, और उस का अन्दाजा लगाया गया है कि वह एक सौ करोड़ के लगभग है, वह तुम्हें मिलेगी और गवर्नमेंट ने जो कुछ रुपया, ८० करोड़ के लगभग, लगाया है वह मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा यह मुझ को उचित नहीं लगता ।

पाकिस्तान की चर्चा करना ही व्यर्थ है । वहां से कुछ आने का नहीं है । वह तो तभी हो सकता है जब उन की नाक दबा कर आप निकालें । नाक दबा कर तो निकाला जा सकता है किन्तु आप नाक दबाने वाले नहीं हैं । यह आप की प्रवृत्ति है ।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : ताकत नहीं है ।

श्री टंडन : ताकत की बात नहीं है । वह आप की कोमलता है । आप पाकिस्तान की ओर बरताव करने में कोमल रहे हैं । कोमलता बहुत जगहों पर ठीक होती है, परन्तु बहुत जगहों पर दुर्बलता का चिह्न होती है । भीष्म पितामह का एक वाक्य राजनीतिज्ञों को याद रखना चाहिये । जब वह शरशय्या पर पड़े थे और राजा लोग भीड़ लगा कर उन के चारों ओर बैठे थे तब उन्हों ने बहुत से उपदेश दिये जो महाभारत के शान्ति पर्व में वर्णित हैं । उन का एक

वाक्य था कि जो शासन कर्ता अच्छे लोगों की रक्षा नहीं कर सकता और जो दुष्टों के साथ कठोर बरताव नहीं कर सकता वे दोनों नर्कगामी होते हैं। यह जिस प्रकार से पाकिस्तान बना और जो काम उन्होंने किया उस को देखते हुए उन के प्रति इतनी कोमलता उचित नहीं है। इस कथन में मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि उन के साथ लड़ाई करो।

हमारे यहां से जो मुसलमान गये उन्होंने भी बड़ा कष्ट उठाया। इस में सन्देह नहीं। मेरा हृदय व्यथा से भर जाता है जब मैं उन कष्टों को सोचता हूं जोकि उन को पंजाब में उठाने पड़े। परन्तु जो पाकिस्तान से भाग भाग कर आज हमारे यहां आये हैं उन के लिये हम को कुछ करना चाहिये। हमको उनके साथ दया का बर्ताव करना चाहिए। जो यहां से चले गये हैं उनके प्रति पाकिस्तान का कर्तव्य है कि वह उनके साथ दया का बरताव करे। परन्तु इस समय तो हमारे सामने यह प्रश्न है कि जो भाग भाग कर यहां आये हैं उन की हम रक्षा करें। आप कहते हैं कि हम ने उन के लिये ८० करोड़ रुपया लगा दिया और अब आप कहते हैं कि बस अधिक नहीं। मैं पूछता हूं कि क्या यह ८० करोड़ उन की मुसीबतों का, उन के कष्टों का मूल्य है। मुझे तो यह देख कर लज्जा होती है।

बरसों हुए आरम्भ में जब यह सवाल उठा था तब मैं ने नम्रतापूर्वक एक सुझाव दिया था और मुझे आशा थी कि शायद वह सुझाव विचार के बाद मंजूर कर लिया जायेगा। मैं ने निवेदन किया था कि हमारे देश में जो भी सम्पत्ति है उस का एक छोटा सा अंश ले लिया जाय। बहुत छोटों को हम छोड़ सकते थे लेकिन अधिकांश सम्पत्ति का एक अंश ले लिया जाय यह मेरा सुझाव था। मैं चाहता था कि वह धन इन विस्थापितों में बांट दिया जाय। अगर ऐसा किया जाता तो अच्छी सूरत दिखाई पड़ती परन्तु गवर्नमेंट ने वह नहीं किया। अब वह ८० करोड़ के ऊपर सौदा करना चाहती है। अस्सी या ८५ करोड़ क्या चीज़ है? अन्दाजा लगाया गया है कि ये विस्थापित वहां नगरों में पांच अरब ५० करोड़ की सम्पत्ति छोड़ कर आये हैं। मैं ने उस समय कुछ अन्दाजा किया था।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह अन्दाज़ा सिर्फ शहरी जायदाद का है।

श्री टंडन : आप ने कहा कि यह सिर्फ शहरी जायदाद का अन्दाजा है। मैं ने उस समय कुछ अनमान कुल जायदाद का किया था। मेरा अनुमान था कि ये लोग जो जायदाद छोड़ कर आये हैं वह २० अरब की है। आज अचल सम्पत्ति की बात है। जो चल सम्पत्ति थी, जो मनकूला जायदाद थी, वह भी सैंकड़ों करोड़ों रुपये की थी। प्रवर समिति ने उन का मूल्य अचल सम्पत्ति से भी अधिक बताया है।

सरदार हुक्म सिंह : बीस अरब गवर्नमेंट का अपना अन्दाज़ा था।

श्री टंडन: उस समय हम लोग विचार के लिये जब बैठे थे तब हम ने अनुमान किया था कि ये लोग करीब बीस अरब की जायदाद छोड़ आये हैं। अब जब आप मुआवज़ा देने बैठे हैं तो क्या आप इस सब को भुला देंगे। मेरा निवेदन है कि जिस कोष में से आप मुआवज़ा देना चाहते हैं, जिस को आप कम्पेन्सेशन पूल कहते हैं, यह बहुत ही कम है। इस में अच्छी मात्रा में बढ़ावा होना चाहिये। कुछ भाइयों ने सुझाव दिया है कि यह ढाई सौ करोड़ कर दिया जाय। इस में क्या धरा हुआ है? मैं तो कहता हूं कि गवर्नमेंट चार सौ या पांच सौ करोड़ रुपया दे।

[श्री टंडन]

मैं यह गम्भीरता से कहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट को गहरी दृष्टि से सोचना चाहिये। आज भी इस के लिये देर नहीं है। इस के लिये वह विशेष टैक्स लगा सकती है। उस टैक्स को वह किसी और काम में न लगावे और कहे कि केवल इसी काम में लगावेगी। मेरा हृदय कहता है कि हमारा देश उदारता के साथ उस टैक्स को दे देगा। इतना कमीनापन हमारा देश नहीं दिखायेगा कि जो पैसा हमारे विस्थापित भाइयों के लिये मांगा जाय उस को वह न दे और उस में कमी करे। मेरा तो यह सुझाव है कि आज भी गवर्नमेंट गहरी दृष्टि से सोचे। जल्दबाजी न करे।

इस का यह मतलब नहीं कि उनको प्रतिफल देने में रोक करे। शायद यह कहा गया है कि हम तीन वर्ष में अदा करेंगे। यह बहुत लम्बा समय है। देर हो चुकी है। आप उन को देना शरू करें। इस प्रकार दें कि छोटों को जहां तक जल्दी हो सके दे कर खत्म कर दें। बड़ों को रोकें। परन्तु जो आमदनी का रास्ता है उस को बिल्कुल बन्द न कर दें। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट बहुत बड़ी गलती करेगी अगर वह मई से प्रतिफल कोष म देश से जाने वालों की सम्पत्ति (इवैक्वी प्रापर्टी) का आना बन्द कर दे। मैं समझता हूं कि यह उन लोगों के साथ अन्याय होगा जो पंजाब से भाग कर यहां आये हैं। इस का यह मतलब नहीं है कि जो मुसलमान हमारे देश में रहते हैं उन को पीड़ा पहुंचाई जाय। तनिक भी नहीं। उन को कष्ट हो तो उन को सहायता दी जाय। मैं तो सदा इस बात का पक्षपाती रहा हूं। परन्तु मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार से उन लोगों को सहारा दिया जाय जो इस इरादे में बैठे हैं कि अवसर मिलते ही अपनी जायदाद बेच बेच कर पाकिस्तान भाग जांय। कुछ लोग आज भी वहां रुपये भेजते हैं। उन का कुटुम्ब वहां है और उन्हों ने एक दो आदमी यहां छोड़ रखे हैं कि उन की जायदाद देखते रहें। पाकिस्तान से तो हिन्दू भगाये गये। यहां हम लोगों ने पाकिस्तान का दिखाया रास्ता नहीं पकड़ा। और हम ने ऊंचे स्तर से काम किया और मुसलमानों की रक्षा की। यह सदा हमारे लिये गौरव की बात रहेगी। परन्तु इस का यह अर्थ नहीं कि जो इस इरादे में बैठे हुए हैं कि हम अपनी जायदाद बेच कर पाकिस्तान जायें उन को हम सहारा दें।

श्री पी० एन० राजभोज : जो अछूत लोग वहां से आना चाहते हैं उन को आने नहीं दिया जाता।

श्री टंडन : वह तो दूसरा विषय है।

तो मेरा निवेदन यह है कि आप इस बात पर विचार करें कि जल्दी से जो आप का प्रतिफल कोष है उस को बन्द कर दें यह बुद्धिमानी नहीं है।

एक दूसरी बात जो अभी चली कि जो लोग मकानों में रह रहे हैं उन के मकानों को नीलाम किया जायगा उस पर भी कुछ निवेदन करूंगा। जो मकान किसी शरणार्थी को दिया गया है उस को नीलाम कर के अधिक से अधिक रुपया लेना यह मेरा निवेदन है अनुचित होगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मिनिस्ट्री यह नहीं चाहती कि जिन के मकान पांच या दस हजार के हैं उन को निकाला जाय।

श्री टंडन : मेरा कहना है कि जो लोग बसे हुए हैं, अथवा किन्हीं मकानों और दुकानों में रह रहे हैं उन्हीं रहने वालों को उस जगह का ठीक मूल्य का अन्दाज़ा लगा कर उस मूल्य पर देने का प्रयत्न सरकार की ओर से किया जाना चाहिये। सरकार की ओर से

सौदेबाज़ी और बनियेपन की प्रवृत्ति दिखाना अवांछनीय होगा ।

अभी मेरे एक भाई यह कह रहे थे कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहां से यहां पर आना चाहते हैं लेकिन वह आने नहीं पाते । मैं उन से कहूंगा कि यह आज का विषय नहीं है । लेकिन उन्हों ने पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के मुक़ाबले की कुछ बात कही ; तो क्या जिस प्रकार से यहां पर मुसलमान और दूसरी दूसरी अल्पसंख्यक जातियां रक्खी जा रही हैं, उस की कोई समानता हम पाकिस्तान देखने जायेंगे ? समानता हमें पाकिस्तान से नहीं करनी है । पाकिस्तान तो दूसरे ही ढंग से बना है और दूसरे ही ढंग से सारी बातें सोचता है ....

श्री नंद लाल शर्मा : टंडन जी, मुझे क्षमा करें, उन को प्रतिकर की आवश्यकता होगी । अब जो यहां आये हैं उन को कहां से देंगे, उन को कुछ नहीं मिल रहा है, उन के क्लेम्स ऐंटरटेन नहीं हो रहे हैं ।

श्री टंडन : ठीक है, जो बाद में आये हैं उन को प्रतिकर की आवश्यकता होगी, इसलिये उचित यह होगा कि उन के लिये मार्ग खुला रहे । मैं ने पहले भी निवेदन किया था कि वह खुला रहे और मई से जो नई सम्पत्ति आने की मियाद को समाप्त करने का विचार है उस को समाप्त न किया जाय । यहां से जो लोग भाग भाग कर जाने वाले हैं, उन की सम्पत्ति से ऐसा मालूम होता है प्रतिफल कोष अभी कुछ वृद्धि करेगा । यह मामला ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि एक, दो वर्ष में हम समाप्त कर देंगे । मैं ने तो पहले भी कहा था और आज भी मेरे हृदय में यह बात क़ायम है कि इस के लिये अब भी सरकार कोई विशेष टैक्स लगा सकती है और टैक्स लगा कर हम इस समस्या को सफलतापूर्वक हल कर सकते हैं । गवर्नमेंट विस्थापितों के सहायतार्थ काम तो करती है लेकिन मुझ को ऐसा लगता है कि कुछ जगहों पर सरकार ने अपनी आंखों में पट्टी भी बांध ली कि उन की मुसीबतें दिखाई न पड़ें । हम लोग मुसीबतें देख सकते थे लेकिन सरकारी आदमियों ने मुसीबतें नहीं देखीं । यह नहीं होना चाहिये । हमें घुस घुस कर पता लगाना चाहिये कि इन सब लोगों को ठीक स्थान मिल गया कि नहीं और सब लोग ठीक से अपने कारोबार में लग गये हैं कि नहीं, यह देखना हमारा कर्त्तव्य है ।

एक बात प्रवर समिति की रिपोर्ट में है और इस विधेयक में भी है कि जो बड़े बड़े ट्रस्ट हैं उन को हम इस कम्पेन्सेशन पूल (प्रतिफल कोष) में से कुछ नहीं देंगे । मैं प्रवर समिति से इस में सहमत नहीं हूं । पंजाब में पाकिस्तान बनने से पूर्व बड़ी भारी भारी संस्थायें थीं जो वहां पर काम करती थीं । ऐसी संस्थाओं के करोड़ों रुपये छिन गये और वे संस्थायें यहां चली आईं और अब आप उन के बारे में यह कहते हैं कि हम एक डबल नहीं देंगे ...

सरदार हुक्म सिंह : जनरल रेवन्यूज़ से दिया जायेगा ।

श्री टंडन : जनरल रेवेन्यज़ कहने से क्या होता है ? कहां से दिया जायगा, उस के लिये कोई व्यवस्था भी है ? यह भी एक अजीब बात है कि अगर मेरी कोई व्यक्तिगत जायदाद गई है तो मुझ को तो कम्पेन्सेशन पूल से रुपया मिल सकता है मगर एक संस्था जो करोड़ों रुपया छोड़ आई है उस को इस पूल में से कुछ नहीं मिलेगा, उस के लिये संस्था वाले ख़ुशामद करते फिरें कि उन को भी कुछ दिया जाय, सरकार ने यह जो भेद किया है वह मेरी समझ में नहीं आया, इस में क्या तर्क या लाजिक है । यदि मैं एक

[श्री टंडन]

संस्था ले कर यहां आया और उस संस्था के लाखों रुपये वहां छिन गये, तो उस के लिये मुझे उस कम्पेन्सेशन पूल में से एक डबल नहीं मिलेगा लेकिन जो मेरी निजी जायदाद पीछे छूट गई है उस का पैसा स पूल से मिलेगा। यह तर्क मेरी समझ में नहीं आता। मामूली तौर से होता यह है कि जो सार्वजनिक संस्थायें हैं उन की पहले चिन्ता की जाती है। जो सार्वजनिक संस्थायें छोड़ कर आये हैं, चाहे वे सिक्ख हों, आर्यसमाजी हों या दूसरी संस्थायें हों उन की चिन्ता हम न करें, यह मुझे न्यायोचित नहीं प्रतीत होता। अपनी रिपोर्ट में ऐसी संस्थाओं के लिये प्रवर समिति ने गवर्नमेंट से खाली यह सिफ़ारिश कर दी कि गवर्नमेंट अपने पास से उन को दे। उस के लिये आप ने कोई कोष अथवा जायदाद नहीं बतलाई कि उस में से उन को सहायता दी जाय। आप ने उन को केवल गवर्नमेंट के रहम पर छोड़ दिया कि तुम्हारा जिस को जी चाहे उस को दो। मैं यह मानता हूं कि आप ने तो इस भावना से कहा कि वह जो प्रतिफल कोष है वह न घटने पाये। स्पष्ट है कि वह काफ़ी नहीं है, लेकिन आप को कहना तो यह चाहिये था जैसा मैं कहता हूं कि सरकार को उस कोष को अधिक बढ़ाना चाहिये। मैं कहता हूं कि इस कोष को आप खूब बढ़ाइये, इतना बढ़ाइये कि उन ट्रस्ट्स को भी आप दे सकें। ढूंढ कर उन संस्थाओं का पता लगाइये जिन्हों ने नुक्सान उठाया है और उन की क्षति पूरी कीजिये। मैं सुन यह रहा हूं कि सरकारी आदमियों ने यह तय किया है कि केवल कुछ शिक्षण का काम करने वाली संस्थाओं और सांस्कृतिक काम करने वाली संस्थाओं को मदद देंगे। मैं समझता हूं इस में भेद नीति होगी और यह नहीं किया जाना चाहिये। मेरा स्वयं एक बड़ी संस्था से सम्बन्ध है। मैं जानता हूं कि क्या मुसीबत उस संस्था को हुई है। आज मैं यहां पर इसलिये खड़ा नहीं हुआ हूं कि उस संस्था के लिये सरकार से सहायता की मांग करूं, परन्तु यह मैं जानता हूं कि लाखों रुपया उस संस्था का, मेरा अनुमान है कोई बीस लाख रुपये का उस संस्था का नुक़सान हुआ होगा। अब एक डबल भी उस को इस पूल में से सहायता के रूप में न मिले, यह क्या ठीक है? वह संस्था सार्वजनिक क्षेत्र में काम करती है और वहां पर सार्वजनिक काम करती थी। उस की जो आमदनी थी वह चली गई, हां, उस को थोड़ी भूमि मिली, लेकिन जो शहरी जायदाद थी उस का कुछ नहीं मिला। अब वह संस्था वाले दौड़ें इधर, उधर, ख़ुशामद करें तो शायद कुछ और मिल जाय। ऐसी और संस्थायें होंगी जो इस तरह की कठिन परिस्थिति में रह रही होंगी। अब भला बतलाइये वे संस्थायें कहां और किस के पास दौड़ती फिरें? वर्षों आप उन को लटकाये रहें, यह क्या उचित है? संस्थाओं का भी अधिकार होता है, अगर एक व्यक्ति के अधिकार हो सकते हैं तो संस्थाओं के भी अधिकार हैं और मैं उन के अधिकार मांगता हूं। इस के लिये आवश्यकता यह है कि जैसा मैं ने पहले भी बताया आप इस पूल को अच्छी तरह से बढ़ायें और अगर गवर्नमेंट इस को अपने रुपये से नहीं बढ़ा सकती तो इस के लिये अतिरिक्त टैक्स लगाइये और कोष को बढ़ाइये। मेरा कहना है कि सरकार स कोष को बढ़ाना अपना कर्त्तव्य समझे, जिस प्रकार वह सेना के ऊपरख़र्च करना अपना कर्त्तव्य समझती है, जिस प्रकार उद्योगों को बढ़ावा देना अपना कर्त्तव्य समझती है, जिस प्रकार बेकारी को दूर करना अपना कर्त्तव्य समझती है, उसी प्रकार विस्थापितों को सहारा देना और उन की कठिनाइयों को कम करना उस का कर्त्तव्य है।

श्री एम० एल० अग्रवाल (ज़िला पीलीभीत व ज़िला बरेली—पूर्व) : यह विधेयक सात वर्षों की प्रगति का दिग्दर्शन कराता है और पर्याप्त विकसित है ।

इस में की गई तीन सौ रुपये के स्थान पर पांच सौ रुपये की सिफारिश इस की उन्नत अवस्था की द्योतक है । देर से आने वाले और जो समय पर जो दावे नहीं दे सके हैं, उन व्यक्तियों के लिये भी सुविधायें दी गई हैं । सलाहकार बोर्ड का भी इस में उपबन्ध है ।

प्रवर समिति की सब से महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि क्षतिपूर्ति की राशि को शहरी प्रमाणित दावों के ५० प्रतिशत मूल्य तक बढ़ा दी जानी चाहिये, और अन्य सब संभव उपायों के द्वारा इस धनराशि को बढ़ाया जाना चाहिये । इस सभा के सभी सदस्यों ने एकमत से इस सिफारिश के पक्ष में कहा है और विस्थापित सदस्यों ने इसे ५० प्रतिशत से अधिक बढ़ाये जाने पर ज़ोर दिया है । मैं उन से पूर्णतया सहमत हूं और सरकार को चाहिये कि इस क्षतिपूर्ति पुंज को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयत्न करे, क्योंकि मकानों का मूल्य दिन प्रति दिन गिर रहा है और उन से बहुत अधिक रक़म उन को नहीं मिल सकेगी ।

पाकिस्तान से किसी वस्तु की आशा करना विशुद्ध आशा ही है और हम उस से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं । अतः इस में केवल निष्क्रान्त व्यक्तियों की सम्पत्ति और सरकार की धन राशि ही रह जाती है । सात वर्ष तक प्रयत्न करते रहने पर भी पाकिस्तान के साथ कोई समझौता नहीं हो सका है । किन्तु श्री डी० सी० शर्मा सरकार पर इस का दोष लगाते हैं और अब वह स्वयं किसी समझौते के न होने की आशा करने लगे हैं । यदि हम इस प्रयत्न में सफल रहते, तो हमारा क्षतिपूर्ति पुंज बहुत बढ़ जाता ।

मुझे खण्ड १२ और खण्ड १४ में कुछ दोष दिखाई देते हैं, जिन पर मैं ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं । निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था अधिनियम की धारा १७ में लिखा है कि साधारणतया उस निष्क्रान्त सम्पत्ति के मामले में, जो अधिरक्षक के पास है, कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है । किन्तु इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों में यह उपबन्ध किया गया था कि तीसरे पक्ष के दावे जो अधिरक्षक के पास दर्ज हैं, अधिरक्षक के रजिस्टर में दर्ज किये जायेंगे और उन का भगतान किया जायेगा । यह दावे नियम २८ के अन्तर्गत पंजीबद्ध कराये गये थे ।

जब लोग पाकिस्तान जाने लगे तो उन्हों ने कई सम्पत्तियां और ऋण यहां छोड़े, जिन पर यहां के लोगों ने डिग्रियां प्राप्त कर लीं । इन में कई प्रकार के ऋण थे । इन ऋणों के भुगतान के विषय में कुछ नहीं कहा गया है कि हम इन का भुगतान कैसे कर रहे हैं । अब इस के सम्बन्ध में भी कुछ उपबन्ध अवश्य किया जाना चाहिये । मैं ने यह प्रश्न उठाया था और श्री ए० पी० जैन ने इस का यह उत्तर दिया था :

> "एक सवाल मुकुन्द लाल जी ने उठाया है । और वह सवाल था थर्ड पार्टी क्लेम का । इस वक्त जो मौजूदा मुआवज़े का कानून है उस में उन्हों ने कहा कि जिन का रुपया इवैक्वीज़ के ऊपर चाहिये था, उन को हक़ है कि वह अपना क्लेम रजिस्टर करा सकें । वह रजिस्टर हो गये हैं और उन के क्लेम के अधिकार के लिये हम इस में उचित प्रबन्ध रखेंगे क्योंकि हमारी यह मंशा नहीं है कि हम उस में किसी का पैसा लें । यह दूसरी बात है कि क्या

[श्री एम० एल० अग्रवाल]

शरायत हों, क्या उन की ज़रूरियात हों । इन तमाम बातों पर ग़ौर किया जायेगा लेकिन एसी बात नहीं है कि उन को पैसा देने का कोई इरादा न हो ।"

आप ने कहा था कि हम पैसा देंगे, किन्तु आप ने अदायगी के लिये कोई उपबन्ध नहीं किया है । आप ने क्षतिपूर्ति पुज के परिमाण का अनमान लगा लिया है, फिर यह अदायगी कहां से होगी ? मेरा सुझाव यह है कि इन में से जिन सम्पत्तियों के विरुद्ध ऋण है, उन्हें ऋणों की अदायगी और अन्य दावों के भुगतान के लिये पृथक रखा जाना चाहिये । परन्तु मुझे इस विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध दिखाई नहीं देता है । यदि माननीय मंत्री मुझे आश्वासन दें कि इन ऋणों की अदायगी के लिये आस्तियों की व्यवस्था तथा प्रबन्ध किया जायेगा, और उन से भुगतान किया जायेगा, तो मेरे संशोधन निष्प्रयोजन हो जायेंगे और उन्हें प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

मेरा दूसरा संशोधन यह है कि जिन व्यक्तियों के दावे पंजीबद्ध हो चुके हैं उन्हें विक्रय तथा कुर्की आदि के द्वारा पुनः मुकद्दमा चलाने के लिये न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये । उन का निर्णय इस अधिनियम के नियमों के अनसार अधिरक्षक द्वारा किया जा सकता है ।

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री उत्तर देते समय मेरे इन संशोधनों और सुझावों के वि य में सरकार की नीति का स्पष्टीकरण करें और हमें आश्वासन दें कि इन ऋणों की अदायगी के लिये उपबन्ध किया जायेगा । तब इन संशोधनों को प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक पर विचार करने के लिये पुनर्वास उपमंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री गिडवानी (थाना) : सभापति जी, श्री टंडन के भाषण के बाद मैं इस बात की आवश्यकता नहीं समझता हूं कि आप को बताऊं कि मुआवज़े की रकम को बढ़ाया जाय । लेकिन किस तरह मुआवज़े की रक़म को कम किया गया है, या किस तरह देहाती लोगों के क्लेम्स को रद्द किया जाता है, इस के सम्बन्ध में एक ही जजमेन्ट आप के सामने पढ़ कर सुनाता हूं ताकि हमारे और मेम्बरों को मालूम पड़े कि मुआवज़े में कितनी रक़म होनी चाहिये और किस प्रकार से वह कम कर दी गई है :

"एक दावेदार का ७४,००० रुपये का दावा था, किन्तु दावा अधिकारी ने ४९,८६९ रुपये का दावा प्रमाणित किया । फिर उसे नोटिस दिया गया कि क्योंकि उसे कृषि करने के लिये भूमि आवंटित कर दी गई है, इसलिये उस का दावा क्यों रद्द न कर दिया जाये । अभियाचक के अभिकर्त्ता ने कहा कि उसे केवल नौ बीघे और सात बिस्वे भूमि प ्टे पर दी गई है । उस दावा अधिकारी ने किसी भी देहाती सम्पत्ति का मूल्य १०,००० रुपये से अधिक नहीं बताया था, इसलिये समस्त दावा रद्द किये जाने योग्य है । इसलिये श्री जुगल किशोर खन्ना, सैटिलमैंट कमिश्नर ने समस्त दावे को रद्द कर दिया और भी जबकि यह पट्टा केवल वर्ष भर के लिये होता है और कोई स्थायी या अर्ध-स्थायी पट्टा भी नहीं होता है ।"

इस से आप को अन्दाजा लग जायेगा कि ऐसे हज़ारों केसेज़ हैं जिन को अगर चार एकड़ ज़मीन मिली है और उस के मकान की क़ीमत ९९९९ रुपये है तो उस का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। अगर एक एकड़ भी ज़मीन मिली है और ९९९९ रुपये भी उस के मकान की क़ीमत है, तो भी उस का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर १० एकड़ या उस से ऊपर किसी को ज़मीन अलॉट की गई है और उस के मकानों का क्लेम अगर २०,००० रुपये से कम का है या कहिये १९९९९ रुपया का है तब भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। और जहां कि टैम्परेरी लीज़ पर ज़मीन उन लोगों को दी गई थी जिन को कैम्प्स से उठा कर रिहैबिलिटेट करना था, क्योंकि सरकार उन पर कैम्पों में खर्चा करती थी, उन पुरुषार्थियों के क्लेम भी उस तरह से रद्द किये गये हैं।

एक मामले में ४६,००० रुपये का दावा रद्द कर दिया गया है। इस प्रकार के और भी सैंकड़ों उदाहरण हैं।

इस के बाद दूसरे लोग वह हैं जिन्हों ने क्लेम्स दाखिल किये और जिन को कहा जाता है कि तुम्हारे क्लेम्स हमारे दफ्तर में नहीं पहुंचे। मैं ने इस के बारे में ऐमेंडमेंट दिया है। जिन लोगों ने कैम्पों के अधिकारियों अथवा डिप्टी कमिश्नरों आदि को दावे दे कर उन की रसीद प्राप्त की है किन्तु दावा विभाग से इन्डैक्स नंबर प्राप्त नहीं किया है, और जो शरणार्थी बीमारी आदि के कारण दावे नहीं दे सके हैं उन सब के दावों पर विचार किया जाना चाहिये। उन के क्लेम्स अभी तक वेरिफाई नहीं हुए।

इस के बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो देरी से हिन्दुस्तान में आये। और उस के बारे में हमारी जो सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है उस में रिकमेन्डेशन है। लेकिन क़ानून में अभी तक नहीं है। मुझे आशा है कि इस का ऐश्योरेंस मिल जायेगा। तीसरे उन व्यक्तियों के दावे हैं जिन्हों ने दिसम्बर १९५१ के पश्चात सत्यापन के लिये प्रार्थना की थी किन्तु अवधि बीत जाने के कारण जिन के दावे रद्द कर दिये गये हैं, और जिन्हों-ने बाद को अगस्त १९५२ तक अवधि बढ़ जाने के कारण दावे पेश किये हैं, उन के दावों पर भी विचार किया जाना चाहिये।

विस्थापित व्यक्ति प्रारम्भ से ही मुआवज़े की मांग कर रहे हैं। सन् १९४९ में सम्मेलन हुआ था और हम ने प्रधान मंत्री से मुआवज़े के सम्बन्ध में बातचीत की और बताया कि सरकार हमारी हानियों के लिये विधि तथा नैतिक दृष्टिकोण से उत्तरदायी है। परन्तु हमें उत्तर मिला कि इस की संभाव्यता के अतिरिक्त, इस में सन्देह है कि सरकार विधि तथा नैतिक दृष्टिकोण से इन हानियों के लिये कैसे उत्तरदायी हो सकती है। तब हम ने आन्दोलन किया और दो सम्मेलन समवेत किये। प्रथम अधिसमय के अवसर पर श्री गोपालस्वामी अयंगार ने विश्वास दिलाया कि उसे पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति के बदले में क्षतिपूर्ति पाने के अधिकार में तनिक भी सन्देह नहीं है। यह क्षतिपूर्ति कुछ भूमि के रूप में, कुछ नक़दी के रूप में और कुछ सरकारी बौंडों के रूप में दी जा सकती है। १९५० के सम्मेलन में तीन ग़ैरसरकारी व्यक्ति भी बुलाये गये थे और श्री अयंगार ने आश्वासन दिया था कि हमें क्षतिपूर्ति दी जायगी और कहा कि मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति, तथा दोनों ओर छोड़ी गई सम्पत्ति के अन्तर तथा सरकारी धनराशि इन तीन साधनों से क्षतिपूर्ति दी जायेगी और यह भी विश्वास दिलाया कि इतनी रक़म ी जायेगी जिस से कि विस्थापित व्यक्तियों को असंतुष्ट नहीं रहना पड़ेगा।

[श्री गिडवानी]

प्रवर समिति ने भी इस कोष को अपर्याप्त बताया है और सरकार के लिये यह कहना ग़लत है कि वह इस कोष में अधिक वृद्धि नहीं करेगी । मैं एक सुझाव रखूंगा जिसे सरकार सरलतापूर्वक स्वीकार कर सकती है । पिछले सात वर्षों से सरकार विस्थापित व्यक्तियों की सहायता तथा पुनर्वास के लिये २५ से ३० करोड़ तक रुपया ख़र्च कर रही है । पश्चिमी पाकिस्तान के प्रायः सभी विस्थापित व्यक्ति बसाये जा चुके हैं । अतः सरकार को आगामी पांच वर्षों के लिये प्रति वर्ष ३० से ४० करोड़ रुपये का अनुदान देन चाहिये, जिस में से १५ से २० करोड़ रुपये पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिये रख कर शेष राशि को सरकारी बौंडों के रूप में देना चाहिये । ऐसा करने से हमारी मांग पूरी हो जायेगी । इस समस्या को केवल दृढ़ इच्छा और निश्चय के द्वारा ही हल किया जा सकता है । इस के लिये अतिरिक्त धन-राशि चाहिये और हम सात वर्षों से उस की मांग कर रहे हैं । रेलवे एंजिनों के सम्बन्ध में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए रेलवे मंत्री न कहा था कि अमरीका से हमें २७० लाख डालर मिल रहे हैं । मेरा यहां यह सुझाव है कि जब अमरीका इतना धन दे सकता है तो क्या चार या पांच क़िस्तों में हमारे विस्थापित व्यक्तियों के लिये धन नहीं दिया जा सकता है, जिस से कि सारी समस्या को संतोष पूर्ण रीति से हल किया जा सके ।

अन्तरिम क्षतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत अब विस्थापित व्यक्तियों को कुछ धन दिया जा रहा है, उस की ओर मैं सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हू । परन्तु विस्थापित व्यक्ति यह शिकायत करते रहे हैं कि इस योजना के अन्तर्गत उन्हें दी जाने वाली क्षति-पूर्ति में से सरकार बकाया काट रही है अर्थात यदि एक व्यक्ति का दावा १,००० रुपये का सम्पादित हुआ है तो उसे केवल ६०० रुपया ही मिलेगा । सरकार यह बक़ाया उन्हें आवंटित किये गये मकानों के किराये के रूप में काट रही है, परन्तु विस्थापितों का यह कहना है कि ६/७ वर्ष से उन्हें पाकिस्तान में छोड़े उन के वास्तविक मकानों का किराया ही नहीं मिला है । अतः सरकार को निष्क्रान्त पुंज में और अधिक रक़म रखनी चाहिये ।

दूसरी बात जिस के सम्बन्ध में संयुक्त समिति ने प्रतिवेदन दिया है वह दावे न करने वालों के ज़िम्मे बकाया ऋणों के बारे में है । सरकार ने उन के ऋणों में ३०० रुपये की कमी करनी स्वीकार कर ली है, परन्तु प्रवर समिति ने सिफ़ारिश की है कि सरकार को चाहिये कि वह प्रत्येक ऋणदाता को ५०० रुपये की छूट दे । मुझे आशा है कि सरकार इस सम्बन्ध में आज ही कोई घोषणा करेगी ।

श्रीमती इला पालचौधरी (नवद्वीप) : यद्यपि मेरा पश्चिमी पंजाब के विस्थापितों से सम्बन्ध नहीं रहा है, परन्तु मेरे अपने ज़िले में सात लाख के लगभग विस्थापित व्यक्ति आ चुके हैं और अब भी आते जा रहे हैं । चाहे पंजाब हो, चाहे बंगाल, विस्थापितों की अवस्था हर एक स्थान पर एक जैसी ही है । उन्हों ने दोनों स्थानों पर एक समान कष्ट झेले हैं और बलिदान किये हैं । उन्होंने जान से अधिक प्रिय वस्तु सम्मान तक का भी बलिदान किया है । एक एक वस्तु तक की उन्हों ने आहुति दे दी है । वह अब भारत में आये हैं और हमें चाहिये कि उन्हें आदर सहित हृदय से लगायें ।

मैं इस प्रश्न पर वैधानिक दृष्टि से नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से विचार करती हूं । मेरे विचार में पुंज ३०० करोड़ रुपये तक का होना चाहिये, अन्यथा इस से कोई लाभ नहीं होगा । हमें स्वतंत्रता का

इतना मूल्य तो देना ही चाहिये। हमें चाहिये कि छोटे दावेदार रुपये में से कम से कम बारह आने तो प्राप्त कर ही सकें।

हमें अपने कृषि अथवा औद्योगिक विकास के लिये अमेरिका अथवा रूस से सहायता मिल रही है ; अतः हमें अपना धन इस पुंज में डालना चाहिये ताकि हम विस्थापितों को उपयुक्त मुआवज़ा दे सकें।

एक और बात की ओर भी मैं सभा का ध्यान दिलाना चाहती हूं। विभाजन के समय कोई २०० के लगभग कर्मचारियों ने पाकिस्तान में सेवा करने के विकल्प दिये थे, परन्तु वहां की असह्य परिस्थितियों के कारण वे वहां न रह सके और उन्हें भारत लौटना पड़ा। अब उन के मामले लम्बित पड़े हुए हैं और उन की स्थिति चिन्ताजनक है। मैं सरकार से प्रार्थना करती हूं कि उन के बारे में शीघ्र ही कोई निर्णय किये जायें और उन की निराशा दूर की जाय।

देहाती दावेदारों के बारे में भी मेरी यह प्रार्थना है कि उन के दावों में ५० प्रतिशत की कमी न की जाय। उन्हों ने ऐसी क्या ग़लती की है कि उन के दावों में इतनी अधिक कमी की जा रही है।

विधेयक के खंड (२) के अधीन सभी विस्थापितों के ऋणों में कमी की जानी चाहिये चाहे उन के दावे हों अथवा न हों।

मेरी अन्तिम प्रार्थना यह है कि राज्य सरकारों को कुछ धन मंजूर कर के दिया जाय ताकि वह सीधे ही अपनी योजनाओं में प्रगति करते रहें, अन्यथा केन्द्र की मंजूरी आदि लेने में पर्याप्त समय व्यर्थ चला जाता है। राज्य उस राशि से विस्थापित व्यक्तियों से सम्बन्धित समस्याओं को अपने स्तर पर सुलझा सकते हैं। इस प्रकार पुनर्वास कार्य भी तेज़ी से हो सकता है। ऐसा न होने पर कई बार सहायता कैम्पों अथवा विस्थापित केन्द्रों में लम्बे समय तक काम ठप हो जाता है। अतः वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करके हमें चाहिये कि राज्यों को इस प्रयोजन के लिये धन दें ताकि राज्य इस कार्य को शीघ्रता से कर सकें।

श्री पी० एन० राजभोज : अध्यक्ष महोदय, आज जो बिल आया है उस के बारे में मेरी भी राय है कि जो हमारे शरणार्थी भाई हैं इन के लिये यह बहुत आवश्यक है। इन लोगों ने हमारे देश की आजादी के लिये बहुत कुछ किया है। आज इन का एक बड़ा जलूस निकला था। मैं भी उस में गया था। मैं ने इन की कहानी सुनी है। मैं समझता हूं कि उन के लिये जो पूल बनाया गया है उस में और ज्यादा रुपया होना चाहिये। उन की दुकानों और मकानों के लिये जो कुछ हो रहा है वह ठीक है। हमारी गवर्नमेंट उन के लिये बहुत कुछ कर रही है। उन की समस्या को हल करने के लिये हमारे भाई टंडन जी ने बहुत सी बातें बतलाई हैं। उन के सजेशन्स को अमल में लाने की आवश्यकता है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इन शरणार्थियों में हमारे अछूत भाई भी शामिल हैं जो कि सिन्ध से और पूर्वी बंगाल से आये हैं। उन की हालत मेरे ख्याल से बहुत खराब है।

टंडन जी ने कहा कि हम अछूतों की समस्या इस में नहीं आती, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारी समस्या सब जगहों पर आती है। यहां भी आती है, कारण जैसा मैं ने आप को बतलाया कई लाख हमारे अछूत लोग आज भी वहां पाकिस्तान में पड़े हुए हैं और हांलाकि वहां से वे आना चाहते हैं लेकिन उनको पाकिस्तान की सरकार आने नहीं देती। उन को वहां रोकने के लिये पाकिस्तानी सरकार ने एसंशियल एक्ट बना दिया है। मेरे ख्याल से हमारी गवर्नमेंट की जितनी ब्राड माइंडेड पालिसी

[श्री पी० एन० राजभोज]

है उतनी पाकिस्तान गवर्नमेंट की नहीं है। आप यहां देखते हैं कि हमारे यहां मुसलमान भाई कितने आराम से रहते हैं, दो मिनिस्टर्स हैं और दो तीन पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और डिप्टी मिनिस्टर्स हैं और हम सब जानते हैं कितनी खुशी से वे यहां पर रहते हैं। लेकिन वहां की हालत इस के बिल्कुल खिलाफ़ है और वहां जो हमारे भाई लोग रह रहे हैं उन के कई रिप्रेजेंटेशन्स मिले हैं। वहां हमारे एक मंडल साहब मंत्रिमंडल में थे, उन को भी निकाल डाला, सारे मुसलमान ही मुसलमान ज़िम्मेदारी की जगहों पर रक्खे हुए हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसी उदारता हम दिखाते हैं वैसी उदारता वहां पर नहीं दिखलायी जाती। हमारे जो अछूत भाई आज पाकिस्तान में हैं, वे भारत में आना चाहते हैं, लेकिन उन को आने नहीं दिया जाता क्योंकि वे जो स्वीपर आदि का काम करते हैं उन को अपनी जाति में ऐसा काम करने वाले नहीं मिलते। हमारी गवर्नमेंट को पाकिस्तान गवर्नमेंट पर दबाव डालना चाहिये कि हमारे जो भाई लोग यहां पर आना चाहते हैं उन की सब प्रकार से सहायता करनी चाहिये ताकि वे लोग यहां पर आ सकें। मैं सरकार का ध्यान उन की शोचनीय अवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं और आज हमें यह भी पता लगा है कि हमारे भाइयों को कहीं कहीं पर मुसलमान बनाने की कोशिश हो रही है .....

सभापति महोदय : मैं एक बात कहना चाहता हूं। हम सामान्य विचार की अवस्था में से गुजर चुके हैं। अब हम प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। अतः आप उन सब बातों को क्यों दोहराते हैं ? सरकार को क्या करना चाहिये इस सम्बन्ध में कुछ कहिये।

श्री पी० एन० राजभोज : आप भी शेड्यूल्ड कास्ट के हैं और मैं भी उसी जाति से आता हूं और आप अपनी चेयर की निष्पक्षता सिद्ध करने के लिये मुझे रोकना चाहते हैं कि मैं ने राजभोज को भी बोलने से रोक दिया।

सरदार ए० एस० सहगल : इस का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइये।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं भी उसी प्रकार आप को सब बातें बतला रहा हूं जिस प्रकार टंडन जी ने जनरल बातें बतलायीं ....

सरदार हुक्म सिंह : बात से बात निकलती है।

श्री पी० एन० राजभोज : ठीक है बात से बात निकलती है। तो मैं आप को बतला रहा था कि खाली सरकार की इस ब्रौड माइंडेड पालिसी से हमारे देश का काम नहीं चलेगा। अभी हमारे जो रिफ्यूजीज़ के मामले के मिनिस्टर हैं वह क्या कर सकते हैं, क्योंकि आखिर में पालिसी तो कैबिनेट में ही डिसाइड होती है और वहां जो डिसीज़न कर लिया जाता है उस के मुताबिक़ उन को काम करना पड़ता है। इसलिये कैबिनेट में इस चीज़ को प्रेस करना चाहिये और बतलाना चाहिये कि हाउस की इस समस्या के सम्बन्ध में जनरल ओपीनियन यह है कि इतनी धीमी धीमी गति से यह जो काम चल रहा है उस से इस समस्या का हल नहीं होगा और हमारे देश का फ़ायदा न होगा। हमें इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिये अपने क़दम को और तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है। निर्वासितों की समस्या हल करने के लिये सरकार को और सक्रिय क़दम उठाने होंगे। ईस्ट बंगाल से जो निर्वासित भाई यहां भारत में चले आये हैं उन में अस्पृश्य जाति के बहुत से लोग हैं और अब भी बहुत से हमारे भाई पीछे वहां पर पड़े हुए हैं, उन के बारे में सरकार कुछ

नहीं सोचती और हम लोगों को भी विश्वास में नहीं लेती है ।

यह जो वर्तमान कम्पेन्सेशन का बिल है उस का मैं स्वागत करता हूं और जिन का नुक़सान हुआ है उन को मुआवज़ा ज़रूर मिलना चाहिये । लेकिन इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि कम्पेन्सेशन उन्हीं को मिलना चाहिये जिन को उस की ज़रूरत है । मेरा दिल टूट जाता है जब मैं देखता हूं कि वह ग़रीब लोग जिन्हों ने वहां पीछे अपनी जायदाद छोड़ी है, जायदाद उन की रोज़ी, रोटी और दूसरी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वह वहां छूट गयीं और यहां उन की कोई ख़बर लेने वाला नहीं है । जिन के पास पैसा था वह अच्छी तरह से रह सकते हैं लेकिन जिन के पास छोटा सा खेत था उन को आज रहना भी मुश्किल हो गया है, इसीलिये मैं हाउस के सामने अपील करना चाहता हूं कि ऐसे ग़रीब और मुसीबतज़दा लोगों की हालत सुधारने की गवर्नमेंट को ज़रूर कोशिश करनी चाहिये और इस में देरी नहीं होनी चाहिये । उन ग़रीब शरणार्थियों में चाहे कोई अछूत हो या दूसरी जाति का हो, सब को एक समान सुविधा देनी चाहिये और सरकार को सहायता करनी चाहिये ।

दूसरी बात जिस की ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह सरकार द्वारा सरकारी और इवैक्वी प्रापर्टी की नीलामी है जिस में सरकार द्वारा यह प्रयत्न किया जाता है कि अधिक से अधिक बोली लगाने वाले को वह सम्पत्ति दी जाय और जिस का नतीजा यह होगा कि जिस के पास पैसा होगा वह उस जायदाद को ख़रीद लेगा और ग़रीब लोगों की जायदाद पैसे वाले ले जायेंगे, इसलिये सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये और ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये ताकि ग़रीब लोगों को उन की जगहों से बेदख़ल न किया जा सके और उन्हें ही उस का उचित मूल्य ले कर वह सम्पत्ति उन को दी जा सके । मेरा कहना है कि जो गरीब हैं, निर्वासित हैं, अस्पृश्य हैं उन को घर देना चाहिये, खेत देना चाहिये और कुछ आर्थिक मदद भी सरकार को देनी चाहिये । साथ ही सरकारी अफ़सरों को हिदायत होनी चाहिये कि वे हमारे भाइयों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करें । आज मैं आप को बतलाऊं कि पूना के पास पिम्परी और कल्याण में हमारे भाइयों पर बहुत अन्याय होता है और आज भी पंजाब में और बंगाल में और दूसरी जगहों पर हमारे साथ ठीक से व्यवहार नहीं होता है और छुआछूत की नीति बर्ती जाती है । गवर्नमेंट हमारे भाइयों की दशा सुधारने के हेतु बातें तो बहुत करती है और क़ानून भी बनाती है लेकिन खेद का विषय है कि उन पर ठीक से अमल नहीं होता है । मैं कहना चाहता हूं कि यह समस्या जो है यह ख़ाली सवर्ण हिन्दुओं की नहीं है, हमारे अछूत भाई भी काफ़ी संख्या में पाकिस्तान से आये हैं, उन की भी हालत सुधारने के लिये सरकार को क़दम उठाना चाहिये और देखना चाहिये कि जो ग़रीब लोग हैं उन को मदद मिलती है और इसीलिये मेरा निवेदन है कि यह जायदादों की नीलामी के सम्बन्ध में सरकार को एक व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिये, और यह ध्यान रखना चाहिये कि कहीं हम इस तरह निर्वासितों को दुबारा तो निर्वासित नहीं करने जा रहे हैं । जैसा एक भाई ने सुझाव दिया ग़रीब लड़कों को स्कालरशिप मिलने चाहियें, मैं भी इस मांग का समर्थन करता हूं । लेकिन मैं अपनी सरकार को कहना चाहता हूं कि हम तो एक माने में निर्वासितों से भी गये गुज़रे हैं, हम तो हज़ारों वर्षों से दबे हुए रहते आये हैं और दरिद्रता में हम उन से भी गये बीते हैं और जिस तरह सरकार ने उन के लिये एक अलग कार्यालय स्थापित किया उसी प्रकार हमारे

[श्री पी० एन० राजभोज]

लिये भी एक अलग कार्यालय बनाये और हमारी भी आर्थिक दशा सुधारने के लिये कोशिश करे । हम देखते हैं कि आज यह जो शरणार्थियों का मसला आया है तो गिडवानी साहब, और टंडन साहब सब लोग ख़ब ज़ोर शोर से बोल रहे हैं लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि जब यहां पर कभी अछूतों का मामला आता है तो थोड़ा बताते हैं और इतना ज़ोर नहीं दिखाई देता ....

सरदार हुक्म सिंह : उस वक्त भी सब बोलते हैं ।

श्री पी० एन० राजभोज : ठीक है, बोलते हैं, लेकिन जैसे आज बोल रहे हैं, वैसे नहीं बोलते, यह ज़ोर नहीं दिखाई पड़ता । टंडन जी, और रामराज्य वाले सभी लोग आज बोल रहे हैं और शरणार्थियों पर सरकार द्वारा करोड़ों रुपये ख़र्च होने जा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे ऊपर क्या ख़र्च हुआ ? मैं अपने निर्वासित मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप ने उन अछूत भाइयों के वास्ते क्या किया ...

श्री आर० एस० तिवारी (छतरपुर-दतिया-टीकमगढ़) : वह तो एक देश से निर्वासित हुए आये हैं, आप कोई देश से निर्वासित थोड़े ही हैं ।

श्री पी० एन० राजभोज : आप कहते हैं कि हम निर्वासित नहीं हैं, लेकिन वाक़या यह है कि हमारी हालत निर्वासितों से भी बदतर हो रही है ।

अन्त में मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे सुझावों पर ध्यान दें और दूसरे आप को अपनी पालिसी भी ज़रा कड़ी करनी चाहिये, पाकिस्तान से आप को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, वह तो एक छोटा सा देश है, उस से डरने से हमारा काम नहीं बनेगा । हम एक शक्तिशाली मुल्क हैं और हमारा संगठन काफ़ी मज़बूत है और हमें मज़बूती के साथ एक सही पालिसी पर चलना चाहिये और ऐसा नहीं होना चाहिये कि पाकिस्तान से लड़ाई के वक्त तो राजभोज को आगे कर दो लेकिन लड्डू खाने के वक्त उन की जगह पर मंत्र बोलने वालों को आगे कर दिया जाय । हम लोगों ने जब भी देश पर संकट आया है, अपनी कुर्बानी दी है और आगे भी देंगे लेकिन साथ ही सरकार का भी कर्त्तव्य हो जाता है कि हमारी ओर ध्यान दे और हमारी आर्थिक, सामाजिक और सब प्रकार की उन्नति करे ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (करनाल) : सभापति महोदय, अभी जो बहुत से भाषण...

सरदार हुक्म सिंह : एक औचित्य प्रश्न है । पहले जब इन से बोलने के लिये कहा गया था, तो इन्हों ने इन्कार कर दिया था । क्या किसी माननीय सदस्य को एक बार इन्कार करने पर भी दूसरी बार बोलने का अवसर दिया जा सकता है ?

सभापति महोदय : किन्तु अब तो वह बोल रही हैं । अतः कोई औचित्य प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : सभापति महोदय, आज हम लोग समझते थे कि खुशकिस्मती है हमारी कि आखिर वह दिन देखने को मिला जिस की चर्चा आज सात साल से चल रही थी ।

सभापति महोदय : आशा है माननीया सदस्या १५ मिनट में समाप्त कर लेंगी ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : हम लोगों की खुशकिस्मती है कि आज वह विधान आया जिस का हम लोग सात सालों से इन्तजार कर रहे थे अर्थात् इस का, कि हम शरणार्थी भाइयों को कुछ कम्पेन्सेशन मिले बिल आज

हमारे सामने है। पर जो खशी थी वह जाहिर कम की गई। कुछ सदस्यों की बातों से तो ऐसा मालूम हुआ कि उन को बड़ा अफसोस मालूम हो रहा है कि वह दिन निकले जा रहे हैं, वह चैप्टर क्लोज़ हो रहा है, जिस वक्त कि शरणार्थी भाइयों की लीडरशिप करना बहुत आसान है। कभी कभी पाकिस्तान बनते हैं, सैंकड़ों हजारों वर्षों के बाद ऐसा हुआ कि देश के दो टुकड़े हुए, और कुछ लोगों की खुशकिस्मती समझिये कि लाखों अभागे लोग इधर से उधर हो गये और उन का लीड़रशिप करना बड़ा आसान हो गया। और इस लीडरशिप में, सभापति महोदय, सब से ज्यादा जो काम आने की बात है वह यह है कि शरणार्थियों के बारे में जितना कम काम हो उतनी ज्यादा आसानी से इस मसले पर बातचीत हो सकती है। उतना ही आसान हो जाता है शरणार्थियों का लीडर बनना। मुसीबतज़दों की बातों के मामले हमारे सामने लाये जायें या उस समस्या को लोग समझ जायें तो बात और हो जाती है, सभापति महोदय, मुझ को याद आया कि हमारे यहां से एक जगह ऐसेम्बली की सदस्यता के लिये एक साहब खड़े थे जो कि बिल्कुल पढ़े लिखे न थे। गांव वालों ने बड़ा शोर किया कि यह पढ़े लिखे तो बिल्कुल नहीं हैं, वहां जा कर क्या करेंगे। इस पर उस आदमी के दोस्तों ने कहा कि तुम बड़े बेवक़ूफ़ हो, पढ़े लिखे लोग काम नहीं कर सकते। लोगों ने पूछा कि इस का क्या मतलब है ? तो उन्हों ने कहा कि जो पढ़ा लिखा मेम्बर होगा तो वह तुम से कानून की बात करेगा और फौरन कह देगा कि यह काम नहीं हो सकता। लेकिन अगर अनपढ़ होगा तो वह सिर पर सवार हो जायेगा, दिल्ली और चंडीगढ़ तक हर एक के पास भागा भागा फिरेगा। मंत्री कहेंगे कि कोई काम नहीं हो सकता है तो वह कहेगा कि क्यों नहीं हो सकता है। अगर वह अनपढ़ होगा तो मोर्चा लेगा और एक एक कदम पर लड़ेगा। तो आज जब मैं ने भाषणों को सुना तो मुझे मालूम हुआ कि लोग जानते नहीं हैं कि इस बिल में क्या है पर बड़े ज़ोर से सवालों को उठा रहे हैं। कहा गया कि उन मकानों में जिन में लोग रह रहे हैं गवर्नमेंट नीलाम कर रही है। जहां तक मुझे मालूम है सिर्फ खाली मकानों को इस वक्त सरकार नीलाम कर रही है, जिन में शरणार्थी बैठे हुए हैं उन का नीलाम नहीं हो रहा है। और कोई माकन इस किस्म का नीलाम नहीं हुआ जिस में कि कोई बैठा हो। इसलिये उन लोगों का ऐसी बात करना ठीक नहीं है।

ट्रस्ट्स के बारे में भी कहा गया कि उन को कुछ नहीं दिया गया है। हमारे टंडन जी ने भी फरमाया कि बहुत सा पैसा वे लोग वहां पर छोड़ आये हैं, लेकिन उन के लिये कोई इन्तजाम नहीं है। आप ने फर्माया कि मैं ने सुना है कि कोई इन्तजाम नहीं है। पार्लियामेन्ट में सुनने से कोई काम नहीं चलता है। बिल को पढ़ने से काम चलता है। अगर वह इस चीज़ का अध्ययन करते तो देखते कि कुछ न कुछ प्राविज़न इन सब चीज़ों का इस बिल में मौजूद है।

श्री टंडन : सभापति जी, मेरा नाम लिया गया है इस लिये मैं आप से कहता हूं कि हमारी देवी जी ने मुझ को बिल्कुल गलत समझा है। मैं ने जो कहा था वह यह है कि महज यह कह देना कि गवर्नमेंट ट्रस्टों का इन्तजाम करेगी, यह गलत चीज़ है। उन को पूल के अनुसार मिलना चाहिये। मैं ने यह कहा था कि इस में कोई तर्क नहीं है कि एक आदमी को तो पैसा मिले लेकिन ट्रस्ट को पैसा न दिया जाय। अगर आप इस का जवाब देना चाहें तो दे सकती हैं। मैं ने यह कहा था कि ट्रस्ट को गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देना कि वह जा कर उस से खुशामद

[श्री टंडन]

करे, यह मुनासिब नहीं है। पूल में होना चाहिये उन का अधिकार मगर चूंकि पूल थोड़ा है इसलिये पूल को बढ़ाना चाहिये। मेरी यह दलील है कि पूल इतना हो जिस में से कि ट्रस्ट को भी दिया जाय और व्यक्तियों को भी दिया जाय। अगर आप को यह नापसन्द है तो आप कह सकती हैं।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : सभापति महोदय, अगर समझने में कुछ गलती हो, तो मैं उस की माफ़ी चाहती हूं।

दूसरी बात जो यहां कही जाती है वह कम्पेन्सेशन पूल के लिये है। पूल में दो चीजें हैं। एक तो है इवैक्वी प्रापर्टी और दूसरी है वह जो सरकार अपनी तरफ से पैसा पूल में डालेगी। जो पैसा सरकार डालेगी उस को बढ़ाया जा सकता है और उस को बढ़ाने की मांग करना जायज़ हो सकती है। मैं भी चाहती हूं कि उस को जहां तक बढ़ाया जा सके, बढ़ाया जाय। पर मुझे अफसोस इस बात से हुआ कि जो बार बार इवैक्वी प्रापर्टी का ज़िक्र किया गया। और उस के बारे में कई किस्म की चर्चा की गई। सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि इवैक्वी प्रापर्टी का इतिहास पाकिस्तान में जो है वह तो है ही, लेकिन हमारे यहां का जो इवैक्वी प्रापर्टी का इतिहास है वह भी कोई गौरव की बात नहीं है। वही खून से सना हुआ इतिहास हमारे यहां भी है। हमारे यहां इवैक्वी प्रापर्टी उन लोगों की है जो हमारे यहां से गये हैं। यह तो सभी लोग जानते हैं। जो लोग यहां से चले गये, मारे गये, या उजड़ गये, जिस तरह से वहां से हमारे यहां लाखों भाई आये, उन की प्रापर्टी वहां रह गई। उन की प्रापर्टी से या जो कुछ वहां हुआ उस से मुकाबला कर के नापना या तोलना कि वहां क्या हुआ या यहां क्या हुआ, यह मेरी मंशा नहीं है, पर वह प्रापर्टी इवैक्वी की हो गई। एक अजीब बात जो हमारे यहां हुई जिस का कि पाकिस्तान ने कभी सवाल नहीं उठाया, वह यह थी कि वहां से तो हमारे भाई यहां आ गये, उन की जायदाद वहां पर ही रह गई, लेकिन हमारे देश में उन लाखों भाइयों की जायदाद जोकि इसी देश में मौजूद हैं, इवैक्वी प्रापर्टी के नाम से हो गई। इस चीज़ का ज़िक्र करना हम लोगों ने कभी मुनासिब नहीं समझा, और न करते हैं, इस कारण से कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे हिन्दुस्तान के बाहर के दूसरे मुल्क इस चीज़ का फायदा न उठायें। मैं कहना चाहती हूं, हमारी सुचेता बहन होतीं तो वह दिल्ली की बात जानती होतीं, कि जिस वक्त यहां पर फसाद हुए तो लोग यहां से चले गये, मारे गये। जो चले गये वह कहां चले गये ? जो पाकिस्तान चले गये उन की दूसरी बात है, लेकिन जो लोग यहां से सब्ज़ी मंडी से बाड़ा हिन्दू राव चले गये, पहाड़गंज से बल्ली मारान में चले गये या किसी मस्जिद में चले गये, उन के मकानों का क्या हुआ ? हमारे यहां जो पहला सवाल उठा वह यह था कि जो मकान खाली हुए हुकूमत उन की मालिक बन गई, और अगर मुझे याद पड़ता है तो हमारी सुचेता बहन भी शायद उस कमेटी की मेम्बर बनीं। यह सभी को मालूम है कि जो लोग मकानों में नहीं मिले, उन की मालिक गवर्नमेंट बन गई। इस बारे में गांधी जी ने कहा था कि जिन मकानों के मालिक जिन्दा हैं, अगर उन की मालिक सरकार होती है तो वह सरकार चोरों की है। और उस वक्त यह कस्टोडियन ला बना। यह कस्टोडियन ला इसलिये बना था कि वह उन मकानों की और जायदादों की रक्षा करेगा। उस कानून में रक्खा गया कि अगर कोई आदमी अपनी प्रापर्टी की देख भाल नहीं कर सकता है तो वह प्रापर्टी इवैक्वी प्रापर्टी हो जायेगी, कस्टो-

डियन की प्रापर्टी हो जायेगी । उस वक्त यह था कि जब तक वह आदमी आ कर नहीं कहेगा कि यह मेरी प्रापर्टी है तब तक उस की हिफाजत सरकार करेगी और जब आदमी आयेगा तो वह उस को मिल जायेगी। हिन्दुस्तान में सिर्फ एक मुहल्ले से दूसरे मुहल्ले में चले जाने वाले की प्रापर्टी इवैक्वी प्रापर्टी हो गई और बड़ी ईमानदारी से हो गई । लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि उस प्रापर्टी के ऊपर हम ने उन लाखों आदमियों का जो कि पाकिस्तान से आये थे, अपना सब कुछ छोड़ कर आये थे, इन्टरेस्ट क्रिएट कर दिया । उस प्रापर्टी के साथ यह बात भी थी कि जो खाली मकान थे, उन में उन भाइयों को आबाद किया जा सकता था, वह जायदाद भी दी जा सकती थी, इसलिये हमारे भाइयों ने उस प्रापर्टी को अपनी समझा, जैसे कि हमारा ला समझता है । यह बड़ी भारी भूल थी कि हम ने उस प्रापर्टी में उन का यह इन्टरेस्ट क्रिएट कर दिया कि जिन भाइयों को कम्पेन्सेशन मिलना है उन को यह प्रापर्टी भी मिल सकती है । हम जा कर कहते हैं कि हमारी सेकुलर हुकूमत है, उन भाइयों से जा कर कहते हैं कि हमारी हुकूमत सेकुलर है, तो वह कहते हैं कि हम इस सेकुलर हुकूमत को ले कर क्या करें । वह लोग सोचते हैं कि अगर यह हमारे भाई पाकिस्तान को चले गये तो मकान और जायदाद सब हम लोगों को मिल जायेंगे । यही फसाद के वक्त में हुआ था । जो लोकल लोग थे उन्हों ने मार काट में हिस्सा लिया यह समझ कर कि हम यहां के लोगों को मार कर भगा देंगे तो उन की सब जायदाद हम को मिल जायेगी। उस वक्त वह लोग कम्यूनल हो गये थे । अब उन को मालूम हो गया कि वह उन को नहीं मिलेगी, शरणार्थियों को मिलेगी, तो फिर सेकुलर हो गये और कहने लगे कि उन मकानों को पाकिस्तान से आये हुए लोगों से ले लिया जाय । इसलिये हम ने जो यहां पर एक इन्टरेस्ट क्रिएट कर दिया उस का फल यह हुआ कि उस से ऐसी हालात डेवेलप हुए जोकि आज सिर्फ बाहर ही नहीं नजर आते हैं बल्कि इस सभा में भी नजर आते हैं और सब को बड़ी शर्म महसूस होती है ।

सभापति महोदय, अगर आप हमारी सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को देखें तो पायेंगे कि एक आदमी वहां गवाही देने के लिये आये थे । वह भाई इसलिये आये थे नुमाइंदगी करने कि आज तो वह छोटे लीडर हैं, लेकिन वह हमारी गाइडेन्स पा कर बड़े लीडर बनने वाले हैं ।

और यह भावना उन के दिल में है । उन्हों ने कहा है कि 'मुसलमानों को अपनी सम्पत्ति बेचने की मनाही कर देनी चाहिये । कुछ वर्षों में जब उन के पास और कोई चारा नहीं रहेगा, तो वे अपनी सम्पत्ति की अदला-बदली के लिये तैयार हो जायेंगे ।' तो एक मेंटेलिटी जो हम को एनकरेज करती है वह यह है कि यहां से भागते जाओ और इवैक्वी प्रापर्टी बढ़ाते जाओ । यह जो धारणा हम में आ गई है कि हम को आबाद होने के लिये किसी को उजाड़ना बहुत लाजमी है, इस के बगैर हम को कम्पेन्सेशन नहीं मिल सकता है, यह बहुत मददगार होने वाली नहीं है । हमारे कुछ भाइयों ने कहा कि ऐसी प्रापर्टी है कि जिस में एक आदमी यहां है और उस के बीवी बच्चे वहां पर हैं । ज़ाहिर है कि यह अफ़सोसनाक बात है । पर मैं आप के सामने एक दूसरा नज़रिया रखना चाहती हूं । मैं अपनी हुकूमत पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं डालना चाहती लेकिन मैं कहती हूं कि हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है कि इन लोगों की बीवियां और बच्चे सात साल से पाकिस्तान में तड़प रहे हैं कि हम को अपने हसबड के साथ नहीं रहने

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

दिया जाता । हमें उन के पास नहीं आने दिया जाता । उन के यहां आने में दिक्कत है । सुचेता बहिन यहां तो एक बात कहती हैं लेकिन जब वे लोग उन के पास जाते हैं तो उन के लिये दौड़ी दौड़ी फिरती हैं और उन के लिये सब कुछ करना चाहती हैं । तो हम चाहते हैं कि वे फ़ैमिलीज़ एक साथ रहें । पर मेरी यह समझ में नहीं आता कि आज हिन्दुस्तान में किसी भी सिटिजन के लिये प्रापर्टी रखने के लिये यह क्यों ज़रूरी समझा जाय कि उस को बीवी बच्चों को अपने साथ रखना ज़रूरी है । मैं नहीं समझती कि उस से यह कैसे कहा जा सकता है कि तुम्हारे बीवी बच्चे कहां हैं । अगर तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे साथ नहीं हैं तो तुम्हारी प्रापर्टी भी नहीं है । जब तक किसी प्रापर्टी का मालिक हिन्दुस्तान में है तब तक उस को अपनी प्रापर्टी रखने का पूरा अख्तियार है । इसलिये मैं ने आप से कहा कि हम को इस मेंटेलिटी को डिस्करेज करना चाहिये, क्योंकि जो हिन्दुस्तान के नागरिक हैं उन को प्रापर्टी रखने का अधिकार है । सब लोगों ने यहां कहा है कि हमारी यह नीयत नहीं है कि जो यहां के नागरिक हैं उन को हटा कर औरों को आबाद करने की कोशिश करें ।

दूसरी बात मैं कम्पेन्सेशन के बारे में कहना चाहती हूं । अभी हमारे राजभोज साहब ने उधर से संकेत किया कि आखिर यह चीज़ हम क्यों कह रहे हैं कि कम्पेन्सेशन हो । सवाल यह होता है कि वह पूल कहां से आया । पूल दो ही जगह से आया है । एक तो उस में इवेक्वी प्रापर्टी है और दूसरे गवर्नमेंट ने कुछ दिया है । अब गवर्नमेंट वह चीज़ कहां से लाई । ज़ाहिर है कि वह छोटे छोटे लोगों से टैक्स लगा कर वह लाई है । किसी की रोटी छीन कर, किसी का कपड़ा छीन कर, किसी का साबुन और तेल कम कर के, वह छोटे और बड़े लोगों से यह टैक्स लाती है । यह पैसा पूल में दिया गया है । लेकिन इस के बारे में यह अभी तक किसी ने नहीं कहा कि इस का बटवारा किस तरह से होना चाहिये । बटवारे के बारे में मैं एक बात आप के सामने सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में रखना चाहती हूं । मुझे ताज्जुब हुआ कि यह नोट उस में कैसे शामिल कर लिया गया । यह नोट आफ डिसेंट तो है नहीं । यह एक नोट था जिस को शामिल कर लिया गया । शायद यह सजेशन बहुत पसन्द किया गया हो । लेकिन आज बीसवीं सदी में इस का ज़िक्र करने से ज़रा हंसी आती है । लालसिंह साहब का यह नोट है और उन्हों ने कहा है "जिस तन लागे सो ही जाने और को जाने पीर पराई" और आगे उन्होंने लिखा है कि "क्या ही अच्छा होता कि भारत के लोगों को इन शरणार्थी भाइयों के कष्टों का अधिक ज्ञान होता जिन्हें कि अपने पीछे भव्य भवनों, लहलहाते खेतों और समृद्ध व्यापारों को छोड़ कर चले आना पड़ा है ।" तो आज हमें उन भाइयों से पूरी हमदर्दी है जो कि पेलेशियल बिल्डिंग्स छोड़ कर आये हैं । पर मैं आप से कहना चाहती हूं कि आज हिन्दुस्तान में हमारा नक्शा किसी और तरफ चल रहा है । हम डैथ ड्यूटी लगा कर, इनकम टैक्स बढ़ा कर, लैंड की सीलिंग लगा कर कोशिश यह कर रहे हैं कि जो हमारे यहां अनईक्वेल डिस्ट्रीब्यूशन आफ वैल्थ है उस को कम करें । तो आज हमारे भाई लालसिंह साहब ने किसी जगह यह ज़िक्र नहीं किया कि यह कम्पेन्सेशन का बटवारा किस तरह से हो । यह सवाल कि इस पूल का बटवारा कैसे हो यह कोई रिफ्यूजी और नान रिफ्यूजी का सवाल नहीं है, यह किसी

हिन्दू और मुसलमान का सवाल नहीं है। यह सवाल है रिफ्यूजी और रिफ्युजी का। यह जो हमारे पास पूल है उस में से हम क्या चाहते हैं ? क्या ज्यादा से ज्यादा अमीर आदमियों के पास चला जाय, या ज्यादा हिस्सा गरीबों के पास पहुंचे ? जितने रुपये से एक कोठी बन सकती है उस से कई सौ घर आबाद हो सकते हैं। आखिर एक बात हम सब कहते हैं और मानते हैं कि हम चाहे कितनी भी मदद करें हिन्दुस्तान में हमारे शरणार्थी भाइयों की वह दशा नहीं हो सकती जैसी कि उन की अपने घर पर थी। पर जो कुछ भी थोड़ा बहुत हमारे पास देने के लिये है उस में हम को यह देखना है कि आया हम कोठी बनाने में मदद करें, जागीर बनाने में मदद करें या उस से सौ, दो सौ, पांच सौ फ़ैमिली आबाद करने की कोशिश करें। तो जैसा कि राजभोज जी ने कहा यह बटवारे का काम ठीक से होना चाहिये। किसी ने उस का जिक्र ही नहीं किया। इन रिफ्यजीज़ में हरिजन हैं, मजदूर हैं, बवा औरतें हैं उन का क्या होगा ? बहुत से ऐसे गरीब आदमी हैं जिन के छोटे छोटे क्लेम हैं, उन का क्या होगा ? बहुत से ऐसे लोग हैं जिन के कोई क्लेम नहीं हैं उन का क्या होगा ? तो मैं सोचती हूं कि हुकूमत को इस तरफ तवज्जह देनी चाहिये। अगर आज पेलेशियल बिल्डिंग बनाने का ख्याल रखा जायगा तो यह हमारे लिये कोई गौरव की बात नहीं होगी।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि यहां प्रोफेसर साहब ने कहा कि इवैक्वी प्रापर्टी सिर्फ उन्हीं को मिले जो कि रिफ्यूजी हैं। लेकिन अगर गलतफहमी न हो तो मैं यह कहूंगी कि यह कहना नामुनासिब है कि रिफ्यूजी को यह मिले या वह मिले। मैं सिर्फ गवर्नमेंट की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहती हूं कि मदद देने के जोश में कहीं ऐसा न हो कि हम किसी को उजाड़ दें। जो इवैक्वी प्रापर्टी है उस में तीन या साढ़े तीन लाख के करीब मकान हैं। इस में से एक तिहाई जो प्रापर्टी है उस में नान रिफ्यूजी बैठे हैं। यह हमारी बदकिस्मती है कि हम समझते हैं कि इवैक्वी प्रापर्टी से ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों का है। और चूंकि इस का ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से है इसलिये चाहे कुछ करो कोई कुछ कहेगा नहीं। पर इन मकानों में जो लोग बैठे हैं, जो किरायेदार बैठे हैं वे सब मुसलमान नहीं हैं। उन में हिन्दू भी हैं, सिख भी हैं, मजदूर भी हैं, हरिजन भी हैं। और ये जो किरायेदार हैं ये बरसों से चले आ रहे हैं, इन की पीढ़ियां इन मकानों में गुजर गई हैं। तो मैं आप से यह दरखास्त करना चाहती हूं, जैसा कि बिल में दिया हुआ है कि हम चाहते हैं कि ऐसा न हो कि इन भाइयों को डिसप्लेस कर दिया जाय। किसी को आबाद करने के लिये जो आबाद हैं उन को न उजाड़ दिया जाय, क्योंकि उन को भी आबाद करने का हुकूमत का उतना ही बड़ा फर्ज़ है जितना कि शरणार्थियों को आबाद करने का।

सभापति महोदय : सरदार हुक्म सिंह।

सरदार हुक्म सिंह : मैं श्रीमान् को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे इस समय बोलने का अवसर दिया है।

यह विधेयक निष्क्रमणार्थियों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति का विस्थापितों में वितरण करने के बारे में है। हमें चाहिये था कि हम केवल इसी बात पर विचार करते।

परन्तु कुछ बातें जो यहां कही गई ह उन का उत्तर देना ही पड़ेगा। ऐसा कहा गया है कि केवल खाली मकानों को ही बेचा जाता है लेकिन यह ग़लत है। कुछ ऐसे मकान भी हैं जिन में कुछ विस्थापित रह रहे हैं परन्तु वह मकान उन्हें आवंटित नहीं किये गये थे अर्थात् वह मकान उन तथाकथित 'अनधिकृत'

[सरदार हुक्म सिंह]

विस्थापितों ने अधिकृत विस्थापितों से लिये थे । उन मकानों को अब खाली कराया जा रहा है और उन को बेचा जा रहा है । और जिन मकानों में यह अनधिकृत विस्थापित रह रहे हैं, उन मकानों को प्राधिकारी खाली समझते हैं ।

कई बार कहा गया ह कि यदि किसी विस्थापित व्यक्ति ने जिसे मकान आवंटित नहीं हुआ है, किसी ऐसे विस्थापित व्यक्ति से मकान रहने के लिये ले लिया है, जो कि किसी अन्य स्थान पर रोज़गार करने चला गया है, तो उसे खाली नहीं कराया जाना चाहिये, परन्तु ऐसा किया जा रहा है । श्री टंडन जी ने भी कहा है कि एक छोटे से मकान में विस्थापितों के तीन तीन परिवार रह रहे हैं । क्या सरकार का यह उत्तरदायित्व नहीं है कि ऐसे विस्थापितों के लिये रहने के स्थान का उपबन्ध करे । परन्तु सरकार तो उन्हें स्थान देने के बजाय उन के मकान खाली करा कर उन को बेच रही है । यह सरकार का कर्तव्य नहीं है । हमारी यही प्रार्थना है कि उन्हें मकान दिये जाने चाहियें ।

इस के पश्चात् यह भी कहा गया कि जो निष्क्रमणार्थी यहां पर हैं उन की सम्पत्ति भी निष्क्रान्त घोषित की जा रही है । यह भी बिल्कुल ग़लत है । मुझे खेद है कि प्रवर समिति का कोई सदस्य ऐसी बात कहे, जबकि प्रवर समिति में इस बारे में सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया था कि यदि कोई मुसलमान भारत से बाहर नहीं गया है तो उसे उस की सम्पत्ति वापिस दे दी जायगी । हम सब ने उस का समर्थन किया था । हमारी जो इच्छा थी वह कुछ और थी—वह धोखे से बचने के बारे में थी । हम ने अपनी विधि को बहुत अधिक उदार बनाया है । हमारी सरकार निष्क्रान्त सम्पत्ति का किराया पाकिस्तान भेजती रही ह । आप श्री लियाक़त अली खां का उदाहरण ही लीजिये । उन्हें ७५,००० रुपया वार्षिक उन की जायदाद का किराया भेजा जाता रहा है । वह वहां पर हमारी जायदादें जब्त करते थे परन्तु हम फिर भी उन का किराया भेजते रहे हैं ।

में यहां पर सरकार की निष्क्रान्त संपत्ति सम्बन्धी पुस्तिका का उल्लेख करना चाहता हूं ताकि दोनों सरकारों का दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाय ।

पुस्तिका में लिखा है कि भारत सरकार का विचार यह है कि निष्क्रान्त सम्पत्ति का बिना क्षतिपूर्ति दिये उपयोग नहीं किया जाना चाहिये, परन्तु पाकिस्तान सरकार चालू किराया भी नहीं देना चाहती है । पाकिस्तान सरकार वास्तव में अमुस्लिम निष्क्रान्त सम्पत्ति को जब्त करना चाहती है ।

इस में आगे लिखा है कि १५ अक्तूबर को पाकिस्तान सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, जिस के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को भी निष्क्रमणार्थी घोषित कर दिया जायगा जिन का कोई दूर का सम्बन्धी भी भारत में आ गया हो । इस के विरुद्ध किसी अपील का उपबन्ध तक भी नहीं है । अभिरक्षक सम्पत्ति हस्तान्तरण के लिये चाहे सूचना दें और चाहे न भी दें सम्पत्ति १ मार्च, १९४७ से अभिरक्षक में निहित समझी जायगी । निष्क्रमणार्थियों को इस विधि ने बचाव का अवसर भी नहीं दिया है ।

इस के तीन दिन बाद हमारी सरकार ने भी एक अध्यादेश जारी किया जो पूर्वी भागों पर लागू नहीं होता था । उस ने विधि को और उदार बनाया जिस के अनुसार सम्पत्ति स्वयं ही अभिरक्षक में अधिष्ठित नहीं हो सकती थी । उस के लिये पूर्व-सूचना देनी आवश्यक थी । 'निष्क्रमणार्थी' शब्द की परिभाषा भी उदार कर दी गई । अपील का

उपबन्ध किया गया और उस के साथ धारा १६ का भी उपबन्ध किया गया ।

यह सब दोनों सरकारों के दृष्टिकोणों को प्रकट करता है । सरकार का यह अनुमान था कि मुसलमानों ने भारत में ४०० करोड़ रुपये की सम्पत्ति छोड़ी है और हिन्दुओं ने पाकिस्तान में २,००० करोड़ रुपये की । परन्तु अब कहा जा रहा है कि केवल १०० करोड़ रुपये की सम्पत्ति ही छोड़ी गई है । साथ ही निष्क्रान्त सम्पत्ति की वापसी के बारे में अब तो कार्य प्रणाली बड़ी सरल हो गई है, अब तो धारा १६ के अन्तर्गत सरकार ने यह सारे अधिकार ले लिये हैं । छतरीवाला तथा जापानवाला के मामलों में यह स्पष्ट हो चुका है । उस धारा के अधीन अब उसी प्रकार के १०,५०० आवेदन पत्र और हैं । उन के बारे में अभी निर्णय किये जाने हैं ।

इतना होते हुए भी यह कहा जा रहा है कि हमारी विधियां कठोर हैं । एक मुसलमान पाकिस्तान को स्त्री बच्चों के लिये यहां से भरण पोषण धन भेज सकता है, उसे वहां पर अपने व्यापार में धन लगाने तक की आज्ञा है । मैं नहीं समझ सकता कि इस से अधिक वह और क्या चाहता है ? ऐसी ऐसी सुविधायें दी गई हैं, परन्तु फिर भी हमें तो दोष ही दिया जाता रहा है । एक स्त्री ने श्री टंडन जी पर अभियोग लगाया है, मगर मैं कहता हूं कि यह ग़लत है । स्त्रियां यह कह रही हैं कि उन्हें उन के पतियों से जो पाकिस्तान में हैं मिलने की आज्ञा नहीं दी गई । परन्तु यह सब आधारहीन है । ऐसे सभी व्यक्तियों की सम्पत्तियां वापिस कर दी गई थीं जो यथासमय पहुंच गये थे ।

कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस सम्पत्ति में विस्थापित अभिरुचि उत्पन्न करना एक ग़लती थी ; संभवत: उन की यह इच्छा है कि स्थानीय लोग ही उन्हें अपने कब्ज़े में रखते और विस्थापितों के लिये कुछ न छोड़ा जाता । मैं पूछता हूं कि ऐसा क्यों, विस्थापितों ने क्या अपराध किया है ? क्या आप उन पर कोई दया या कृपा कर रहे हैं ? क्या ऐसा कहना और ऐसी बढ़ी चढ़ी बातें करना ठीक है ? हम ने स्वतंत्रता की कीमत दी है । वैसे तो हम इधर आना भी नहीं चाहते थे, हम तो वहीं पर रहना चाहते थे, परन्तु हमें कांग्रेस के नेताओं की एक बड़ी ग़लती के कारण यहां आना पड़ा । यह लोग ही विभाजन के लिये ज़िम्मेदार हैं । हमारे नुकसान की एक एक पाई इन्हें देनी चाहिये ।

जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों की राय है यह विधेयक विलम्ब से प्रस्तुत हुआ है, उसी प्रकार मेरा भी यही विचार है । हम तो बहुत देर से इस सभा में चिल्लाते रहे हैं । यह आशा रखना कि हम पाकिस्तान से कुछ प्राप्त कर लेंगे बड़ा धोखा था । मैं ने तो ९ फ़रवरी, १९५० को भी एक संकल्प प्रस्तुत किया था जिस में लिखा था कि न तो हम पाकिस्तान से युद्ध ही करेंगे, और न वार्तालाप से ही यह मामला सुलझेगा, अत: भारत सरकार को ही स्वयं कुछ देना चाहिये । उस समय कुछ माननीय सदस्यों ने मेरे प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत किये थे कि हमें पाकिस्तान से धन प्राप्त करना चाहिये । यदि आज भी उन का यही विचार है तो वह आगे आयें, मैं उन का स्वागत करता हूं ।

उस समय उस संकल्प के उत्तर में श्री गोपालस्वामी आयंगर ने कहा था कि वह अवश्य ही सरकार से पर्याप्त मात्रा में धन दिलवायेंगे । श्री गिडवानी ने भी बताया है कि उस समय श्री गोपालस्वामी ने कहा था कि उस धन की मात्रा पर्याप्त होगी । परन्तु अब क्या हो रहा है । जब माननीय मंत्री ने यह योजना प्रस्तुत की थी तो कहा गया था कि यह एक वायदे की अभिपूर्ति है । क्या वास्तव में वायदा पूरा ही किया जा रहा है ! माननीया महिला सदस्या ने कहा है कि मजदूर

[सरदार हुक्म सिंह]

के लिये क्या हुआ ? विधवाओं के लिये क्या हुआ ? और जिन लोगों के दावे नहीं हैं उन के लिये क्या हुआ ?

यह ९० करोड़ रुपये की रकम तो छोटे दर्जे के विस्थापितों के लिये है, इसे क्षतिपूर्ति पुंज में नहीं रखा जा रहा है । इस रक़म को १९० करोड़ कहना भी धोखा है । यह तो केवल १०० करोड़ पये ही है । ९० करोड़ की राशि तो पुनर्वास कार्य के लिये है, यह क्षतिपूर्ति के रूप में नहीं दी जायेगी । इसलिये हम से क्षतिपूर्ति का नाम कैसे दे सकते हैं । यह पुनर्वास के अनुदान तो अब भी दिये जाते हैं ।

श्री गिडवानी : हम यह मांग करते रहे हैं कि इन छोटे छोटे ऋणों को संलिखित कर दिया जाय ।

सरदार हुक्म सिंह : हां, हम तो यह मांग करते रहे हैं कि यह छोटी रक़में संलिखित कर दी जायें । हम बड़े व्यक्तियों के लिये ही उत्सुक नहीं थे । हमारी मांग तो सब के लिये ही थी । ३०० रुपये की सीमा रखी गई है, मगर हम चाहते हैं कि इसे ५०० पये कर दिया जाय । हम ने तो यहां तक भी कह दिया है कि चाहे पुंज में कमी कर दी जाय, परन्तु इन निर्धन छोटे लोगों की ओर अधिक ध्यान दिया जाय ।

तत्पश्चात लोक-सभा बुधवार, २२ सितम्बर, १९५४ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।